सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

23 जुलाई, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा | वृहस्पतिवार, तिथि 23 जुलाई, 2026 ई०
तृतीय सत्र | 01 श्रावण, 1948 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा।
बोलिये, श्याम बाबू जी।
(व्यवधान)
देंगे, मौका देंगे।
श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, कल छात्र आंदोलन के दौरान...
अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। माईक में लाईन आया हुआ है।
श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, कल छात्र आंदोलन के दौरान, जो हमला हुआ डाक बंगला चौराहा के पास, वह जो हमलावर थे, वह छात्र नहीं थे, वह गुंडा थे। अध्यक्ष महोदय, वह हमलावर सैकड़ों की संख्या में हम पर हमला किये।
(व्यवधान)
(इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)
अध्यक्ष : बैठ जाइये।
श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : हमको जान बचानी पड़ी और जो हमारे साथ सहयोगी और मित्र थे, उनसे भी हाथापाई की गयी। दुकानदार अगर मदद नहीं करते, तो मेरी हत्या हो जाती।
(व्यवधान जारी)
अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।
श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इस पर जांच करके दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
अध्यक्ष : मो0 तौसीफ आलम।
(व्यवधान जारी)
कृपया, बैठ जायें। शून्यकाल में मौका मिलेगा। कृपया, बैठ जायें। शून्यकाल में मौका देंगे। पहले बैठ जाइये। बैठिये, बैठिये।
(व्यवधान जारी)
मौका देंगे। पहले आप बैठ जाइये। बोलने का मौका दे रहे हैं। बैठ जाइये सब लोग।

(इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

अध्यक्ष : शांति–शांति।

हम चाहेंगे कि जो बातें सामने आ रही हैं, विषय को आप रखिये, हम मौका देंगे, लेकिन प्रश्नकाल चलने दीजिए। विषय आपसे रखवा देते हैं। पहले श्याम जी अपनी बात को उठाये थे, पहले आप बता दीजिए।

(व्यवधान)

आपको दे रहे हैं मौका। इनके बाद दे रहे हैं।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, कल जो छात्र द्वारा आंदोलन हो रहा था, के नाम पर, डाक बंगला चौराहा के पास मेरी गाड़ी लगी हुई थी और हमला हुआ। सैकड़ों की संख्या में हमलावर आये और गाड़ी पर हमला किये, लेकिन जो हमलावर थे, वह छात्र हो नहीं सकते हैं। वह छात्र नहीं थे, वह गुंडा थे, वह अपराधी थे और जो है...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : श्याम बाबू जी, बैठ जाइये। बैठिये, बैठिये। आपकी बात आ गयी है। आलोक जी, बोलिये। शांति–शांति। बैठिये, बैठिये।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

श्याम जी, बैठ जाइये। बात आ गयी है। सबको मौका मिलेगा। बैठ जाइये।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्याम बाबू जी, आपको मौका मिला है। प्लीज, बैठ जाइये। शांति–शांति। आप बोलिये।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये। सबकी बात सुनी जायेगी। बोलिये आप।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक–एक करके बुलवायेंगे न। श्याम बाबू जी ने बातों को रखा है। आपको भी मौका देंगे। बैठ जाइये। आपको भी मौका देंगे।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

प्लीज, बैठ जाइये। बात आ गयी। आपको हमने बोलने का मौका दिया।

(व्यवधान जारी)

इनके बाद आपको बोलने का मौका देंगे। बैठ जाइये।

(व्यवधान जारी)

आग्रह है कि सदन चलने दीजिए। सबको मौका मिलेगा, बैठ जाइये प्लीज। श्याम बाबू जी, आपकी बात हो गयी।

(व्यवधान जारी)

बोलने के लिए मौका देंगे। आप बैठ जाइये। बोलने के लिए मौका पुनः देंगे। बैठिये। अनुमति आपको देंगे। प्लीज, बैठ जाइये।

(व्यवधान जारी)

सबको मौका मिलेगा। हल्ला करने से बात नहीं बनेगी। श्याम बाबू जी, आपकी बात आ गयी। आप बैठ जाइये। आसन की बात मानिये। आपको हमने मौका दिया। प्लीज, बैठिये, बैठिये। ऐसा मत कीजिए, श्याम जी। आपको मौका हमने दिया, अब बैठ जाइये। बैठिये, बैठिये।

(इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री कुमार सर्वजीत : देश का...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम पहले ही ले लिये। गजब बात है। बैठिये, ऋषि जी। हमने उनकी बातों को ले लिया, आप बैठिये। गजब बात है। कहां थे आप ? श्याम बाबू जी ने अपनी बातों को रख दिया, आप बैठ जाइये। तारकिशोर जी।

(इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

कृपया, शांति बनायें। शांति बनायें। अपनी सीटों पर बैठिये।

(व्यवधान जारी)

बैठिये, बैठिये। प्लीज, बैठ जाइये। कृपया, शांति बनाइये। प्लीज, अपनी सीटों पर बैठ जाइये। बैठ जाइये। प्लीज, बैठ जाइये। श्याम बाबू जी, बैठिये। यह सदन है, कोई युद्ध का मैदान नहीं है। बैठिये, बैठिये।

(व्यवधान जारी)

अब हो गया, बैठ जाइये।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न–2 / संगीता / 23.07.2026

(अंतराल के बाद)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
(व्यवधान)
बैठिए, बैठिए, बिना अनुमति के मत बोलिए ।
(व्यवधान)
बैठिए पहले आप, बैठ जाइए ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा'' वर्ष 2017–18 से 2022–23 के ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'' तथा वर्ष 2024–25 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूं ।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथासमय सदन में उपस्थापित किया जाएगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा'' वर्ष 2017–18 से 2022–23 के ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'' तथा वर्ष 2024–25 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा'' वर्ष 2017–18

से 2022–23 के ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'' तथा वर्ष 2024–25 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा–35(2) के अंतर्गत अधिसूचना सं0–5736799, दिनांक–09.06.2026, अधिसूचना सं0–5818886, दिनांक–24.06.2026, अधिसूचना सं0–5827307, दिनांक– 25.06.2026, अधिसूचना सं0– 5827238, दिनांक–25.06.2026, अधिसूचना सं0–5773433, दिनांक– 16.06.2026, अधिसूचना सं0–5846671, दिनांक–01.07.2026, अधिसूचना सं0–5818887, दिनांक–24.06.2026, अधिसूचना सं0–5841929, दिनांक–01.07.2026, तथा संकल्प सं0–5736787, दिनांक–09.06.2026, संकल्प सं0–5827214, दिनांक–25.06.2026, संकल्प सं0–5846791, दिनांक–01.07.2026 एवं संकल्प सं0– 5846794, दिनांक–01.07.2026 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024 की धारा–25(2) के तहत ''बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026'' की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 सपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा–28(3) के तहत ''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2024'' एवं ''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2025'' की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 सपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा–28(3) के तहत ''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2024'' एवं ''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2025'' की प्रति सभा पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा–68 (3) के तहत ''बिहार राज्य सहबद्ध एवं

स्वास्थ्य देखभाल परिषद नियमावली, 2026'' एवं ''बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद (संशोधन) नियमावली, 2026'' की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008, सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2013, सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2026 एवं सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा ऐवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–78(2) के तहत भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार का वित्तीय वर्ष 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023–24 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–28 (3) के तहत ''बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026'' की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

समितियों का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत बिहार राज्य भंडारण निगम, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से संबंधित समिति का क्रमशः 224वां एवं 230वां प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री पन्ना लाल सिंह ''पटेल'' : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का गृह विभाग से संबंधित 343वां प्रतिवेदन, पथ निर्माण विभाग से संबंधित 347वां प्रतिवेदन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 349वां, 359वां एवं 360वां प्रतिवेदन, ऊर्जा विभाग से संबंधित 354वां, 355वां एवं 361वां प्रतिवेदन, उद्योग विभाग से संबंधित 357वां प्रतिवेदन, लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित 358वां प्रतिवेदन एवं ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 363वां प्रतिवेदन की एक–एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य लिए जाएंगे ।

टर्न–3 / यानपति / 23.07.2026

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या–47 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है ।

अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूं जिस पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जाएगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :–

भारतीय जनता पार्टी	– 65 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 63 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 19 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी(रा0)	– 14 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 04 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	– 04 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)(एल0)	– 01 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0)	– 01 मिनट
इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी	– 01 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	– 01 मिनट

——————————————

कुल–180 मिनट

——————————————

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त 13682,63,96,000/– (तेरह हजार छः सौ बयासी करोड़ तिरेसठ लाख छियानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री कमरूल होदा एवं श्री अखतरूल ईमान से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो व्यापक है और जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार का प्रस्ताव प्रथम है अतएव माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/–रुपये से घटायी जाय ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत जी, शुरू कीजिए।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपने समय हमें दिया है बोलने के लिए। मैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक बजट के विरोध में तथा विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, हमलोग बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बिहार की तमाम जनता ने जिस पार्टी को सत्ता सौंपा ये बिहार की जनता काफी चिंतित है खजाने को लेकर। अभीतक हमने जो देखा है महोदय कि अनुपूरक बजट मुख्य बजट का पांच प्रतिशत तक होता है महोदय, तब तो हमलोग मानते हैं कि चलिए, बिहार की हालत अच्छी है लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि पहला अनुपूरक बजट में ही सरकार के द्वारा मूल बजट का 25 प्रतिशत, एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को साझा कर रहा हूं महोदय, लोक वित्त प्रबंधन एम0आई0एफ0, वर्ल्ड बैंक, ओ0ई0सी0डी0 जैसे फेमस संस्थाओं का मानक जो निर्धारित है, पांच प्रतिशत अगर आपका होता है तो संतुलित रहती है, पांच से दस तो चेतावनी, 10 से 15 तो खराब योजना, 20 प्रतिशत से अधिक तो गंभीर दबाव इसी गंभीर दबाव की वजह से बिहार की अवाम इतनी चिंतित है। महोदय, स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट के 24–25 में यह बताया

गया कि बिहार 2024 में राजस्व घाटा वाला राज्य बन गया है। तभी सरकार को यह जवाब देना पड़ रहा है कि हम गांव में कौन–कौन टैक्स ले रहे हैं, किस प्रकार से हम टैक्स की वसूली कर रहे हैं, महोदय, 2024 में बिहार राज्य का सबसे घाटा वाला राज्य बना जहां राजस्व घाटा का 357 करोड़ रहा, राजकीय कोष घाटा स्थापित नियम जी0एस0डी0पी0 का 3 प्रतिशत बैरियर को तोड़कर 4.16 प्रतिशत पहुंच गया। इसी रिपोर्ट लोक ऋण निर्धारित मानक 32.8 का बैरियर को तोड़कर 37.8, 3 लाख 16 हजार 361 करोड़ पहुंच गया महोदय। अब तो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि ब्याज भुगतान का राजस्व भुगतान का 9 प्रतिशत खर्च हो जा रहा है और इस रिपोर्ट की काउंटिंग की गड़बड़ी की क्या जिसमें राजस्व व्यय की पूंजीगत व्यय को दर्शाया गया है तथा इस रिपोर्ट के अनुसार 2015–16 से 2024–25 दशक के दौरान बिहार में अग्रिम राशि के रूप में निकाले गए ए0सी0 बिल का समायोजन भी नहीं होने की प्रवृत्ति बहुत अधिक रही है महोदय। वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में बिहार 10362 करोड़ ऐसी बिलों के साथ देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के कुल राजस्व में उनके अपने कर राजस्व की हिस्सेदारी मात्र 24.5 प्रतिशत जबकि केंद्र करों की हिस्सेदारी में, केंद्रीय अनुदान मिलकर राज्य के वित्तीय ढांचे का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। महालेखाकार की यह रिपोर्ट स्वयं सरकार की पोल खोल रही है महोदय। महोदय, हमारे बिजेन्द्र बाबू हमलोगों के अभिभावक हैं महोदय, उनका एक बयान हमने देखा, अभिभावक हैं, हम सब उनको अपने पिता तुल्य मानते हैं, उन्होंने कहा कि जिसको खजाना के बारे में जानकारी होती है वही चोर होते हैं। तो पूरे बिहार का अवाम यह कह रहा है कि आपका खजाना खाली है तो क्या पूरे बिहार का अवाम चोर है। अगर...

(व्यवधान)

बस एक मिनट रुकिए, वह बताते हैं।

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखिए। आप सबों को बोलने का मौका मिलेगा, बोलिएगा। अपने समय में बोलिएगा। बैठे–बैठे चर्चा नहीं करें।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, XXX

XXX – इस अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, यह सदन का मुद्दा नहीं है, इसको प्रोसीडिंग से हटा दिया जाय।

अध्यक्ष : बिल्कुल, इस बात को प्रोसीडिंग से हटा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, अभी जब हम गए थे बांकीपुर, जब हम गए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति।

(व्यवधान)

हटा दिया हमने।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, यह किताब है, यह किताब हमने नहीं छापा है, यह सरकार की ओर से है।

(क्रमशः)

टर्न–4 / मुकुल / 23.07.2026

क्रमशः

श्री कुमार सर्वजीत : इसमें नियम और कानून हमने नहीं बनाया है, जिनकी सत्ता है, जिनकी सरकार है उन्होंने बनाया है । मैं इसलिए यह किताब दिखाना चाह रहा था महोदय कि आपदा का पैसा किस परिस्थिति में निकाली जाती है, जब राज्य में कोई बहुत बड़ा आपातकाल आ जाये, राज्य में भूकम्प आ जाये, राज्य में बाढ़ से काफी लोग पीड़ित हो जाएं, पूरा राज्य सूखाड़ के चपेट में हो जाये । महोदय, मैं सरकार के एक अत्यंत गंभीर वित्तीय निर्णय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । महोदय, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ रुपये निकाले, बिना सदन की अनुमति के, सदन बुला लिये होते, जनता से जीते हुए प्रतिनिधियों से राय ले लिये होते, निकाल लेते अगर आपको इतनी वित्तीय संकट पड़ी थी तो और मैंने जो किताब दिखाया महोदय, उसमें बिहार बजट मैन्युअल, बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की प्रति है उसमें । महोदय, धारा–5 स्पष्ट कहती है कि यह निधि केवल अप्रत्याशित....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाएं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सर्वजीत जी अच्छा बोल रहे थे केवल हम फैक्ट चेक में एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि आपदा में और आकस्मिकी में फर्क होता है, आपदा डिजास्टर है और आकस्मिकी कंटीजेंसी है, बिहार में कंटीजेंसी फंड ही होता है कि अगर सरकार को आपदा सहित किसी दूसरे मद में भी पैसे की जरूरत है तो सरकार कंटीजेंसी फंड से निकालती है और फिर उसके बाद में भरपाई करती है, यह अलग बात है कि आपदा की हालत में भी तुरंत अगर हमें जनता को जो आपदा पीड़ित होते हैं उनको कोई सहूलियत देनी होती है तो उस वक्त भी पैसा हम

इसी आकस्मिक निधि से निकालते हैं लेकिन आकस्मिक निधि में और डिजास्टर फंड में फर्क होता है ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से मैं यही बात सुनना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाहता था कि हम और आवाम जो कह रहे हैं कि क्या बिहार में सच में वित्तीय संकट है, स्वयं माननीय मंत्री ने वह अलग बात है कि इन्होंने घूमाकर बोला, ठीक है मैं आपकी बात को मानता हूं लेकिन यह मान लीजिए कि बिहार में वित्तीय संकट है और महोदय.....

अध्यक्ष : सर्वजीत जी, आप एक मिनट बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में पैसा थोड़ा देर–सबेर मिलता है, उसी को मेकअप करने के लिए वह पैसे निकाले गये थे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक्ट के अनुरूप ही किये गये थे ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैंने मान लिया, ये हमारे अभिभावक हैं मैं उनसे बहुत ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन अगर आप पैसा अभी निकाले, आपके पास वित्तीय संकट नहीं था तो दो वर्षों से बिहार के कॉन्ट्रेक्टरों को आपने पैसा क्यों नहीं दिया । जनता की गाढ़ी कमाई अगर खजाने में पड़ी है तो माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद मतलब उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा, उनकी कमी खलती है । मुख्यमंत्री के द्वारा रोड का शिलान्यास किया गया, उन सारे टेंडरों को रद्द क्यों किया गया, अगर आपका वित्तीय संकट नहीं था तो । महोदय, हम यही तो आपसे जानना चाहते थे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, बेहतर होता कि ये इस विषय को ध्यानाकर्षण में लाते । क्यों ग्लोबल टेंडर को कैंसिल किया गया, चूंकि एक प्रखंड में सभी कॉन्ट्रेक्टर का एक नियम था, उस नियम को बदला गया, कैबिनेट ने निर्णय लिया और 50 करोड़ तक लोकल ठेकेदार को प्राथमिकता की नीति भी निर्धारित की गयी और जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं इनके नेता को बयान दिये थे, जिस बयान का उन्होंने जिक्र किया कि मेरा तनख्वाह भी नहीं मिला है, विधान सभा से रिपोर्ट लेट गया ही तो ठेकेदार की रिपोर्ट जब विभाग में मैंने कहा है कि जो रोड बन गया है उसकी रिपोर्ट सहित भेजिए, पैसा दिया जायेगा, पैसे की कोई कमी नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, सरकार हमारी है कि इनकी है, 20 वर्षों से सरकार हमारी है या इनकी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसे मंत्री थे जिन्होंने बिहार के साथियों के साथ विश्वासघात किया, किसने ग्लोबल टेंडर का नियम बनाया, किसने एक साथ 10 करोड़ से 100 करोड़ का टेंडर बनाया, सरकार आपकी थी, माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते थे, उस समय आपको बिहारियों की चिंता क्यों नहीं हुई । मुख्यमंत्री के कुर्सी छोड़ने के बाद आपको बिहारियों की चिंता क्यों होने लगी, बिहार के ठेकेदारों की चिंता

क्यों होने लगी, यह तय तो आप मुख्यमंत्री जी के समय में भी कर सकते थे । खैर महोदय....

अध्यक्ष : कुमार सर्वजीत जी, आप अपनी बातों को कन्क्लूड करें, आपका समय पूरा हो गया है।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, जब भी सरकार के बारे में हम कुछ बोलते हैं तो बिजेन्द्र बाबू हमेशा बोल देते हैं और हमलोग तो भाई कुछ बोल नहीं सकते हैं उनका आदर करते हैं खैर । महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात को कन्क्लूड कर लीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, युवाओं की बात भी हुई, पूरा देश युवाओं की हालात को देखकर चिंतित है, बिहार में युवाओं की क्या हालात है.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया, आपसे आग्रह है कि आप बैठ जाएं ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, हम कन्क्लूड कर रहे हैं । महोदय, सड़कों पर बिहार की बेटियां, बिहार के छात्र, बेटे, ये क्या मांग रहे हैं, आपसे ये कोई सदन की रजिस्ट्री करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, बिहार विधान सभा के कैम्पस में अपने छात्रावास बनाने की तो चर्चा वे नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में कोई एक प्लॉट तो वह अपने हॉस्टल के लिए नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरी परीक्षा सही समय पर ले लो और जो मंत्री काम नहीं करते हैं उनको हटा दो । क्या लोकतंत्र में छात्रों को यह अधिकार है कि नहीं, क्या यह सदन गवाह नहीं है, क्या यह सदन में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लिया । आज अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सदन में मुख्यमंत्री होते तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के छात्रों को इस तरह से सड़क पर घसीटकर कोई नहीं मारता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : कल की घटना में, शांति–शांति ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये । कल की घटना में । प्लीज बैठ जाइये, मौका देंगे, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

मौका देंगे, हम मौका देंगे, बैठ जाइये । रोमित जी बैठिए, आपलोगों को हम मौका देंगे, प्लीज बैठ जाइये, रोमित बाबू, पासवान जी बैठिए, हम मौका देंगे, आप सबों को मौका देंगे, डिबेट के बाद मौका देंगे ।

(व्यवधान जारी)

रोमित जी बैठिए, राहुल जी डिबेट के बाद मौका देंगे, बैठ जाइये, आलोक जी बैठिए प्लीज, बैठ जाइये । हमलोग समय देंगे, आपको अपनी बातों को रखने का मौका दिया जायेगा, प्लीज बैठ जाइये, संजय जी बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

आपलोगों को बोलने का मौका देंगे, बैठ जाइये, बाबू लाल जी बैठिए । सर्वजीत जी बोलिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : हमारी जानकारी में सारी बात आ गयी है, हमसे हमारे कक्ष में आकर माननीय सदस्य मिले थे और निश्चित तौर पर कल जो घटना घटी है उसका सी0सी0टी0वी0 फुटेज मंगवाकर के सरकार जांच करायेगी और दोषियों पर कार्रवाई करने का काम करेगी । कुमार सर्वजीत जी, बोलिए ।

(व्यवधान जारी)

टर्न–5 / सुरज / 23.07.2026

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । हमने कह दिया ।

(व्यवधान)

हमने बता दिया, बैठिये । प्लीज बैठ जाइये । बैठिये पासवान जी, बैठिये, राहुल जी ।

(व्यवधान)

हम देंगे मौका, बैठ जाइये । मेरी बात मानिये । बुलवायेंगे सब लोगों से । अभी जो काम हो रहा है, डिबेट हो जाने दीजिये फिर हम आगे समय सबको अवसर देंगे । प्रमोद जी का है, श्याम बाबू जी का है और सामने में राहुल जी का है । सबको हम अवसर देंगे, बस अभी धैर्य बनाये रखिये । धन्यवाद । बोलिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको भी मौका देंगे, सबको देंगे । केवल शांति बनाये रखिये । सबको मौका मिलेगा।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, जो हमारा समय बर्बाद किया गया है, उसको माइन्स किया जाए....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम हैं न ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हम थोड़ा कानून व्यवस्था पर भी...

अध्यक्ष : बैठ जाइये प्लीज । हो गयी बात । जब बोलने का मौका देंगे ।

(व्यवधान)

बाबूलाल जी बोलने का जब मौका देंगे तब बोलियेगा । आलोक जी बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आलोक जी प्लीज बैठिये, राहुल जी बैठिये । हम मौका देंगे सब रिकॉर्ड में आयेगा प्लीज । कल के बारे में जो बात उठा रहे हैं आप, हम मौका देंगे उन बातों को रखियेगा आप । बैठिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, देखिये हमलोगों का संस्कार । जब पूर्व मुख्यमंत्री जी का बेटा...

(व्यवधान)

सुन लीजिये । जब माननीय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब माननीय नीतीश कुमार जी का बेटा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें प्लीज ।

श्री कुमार सर्वजीत : पहली बार सदन में आयें....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं । मौका मिलेगा, मौका मिलेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललन बाबू बैठिये । माननीय सदस्य बैठ जाइये । मौका मिलेगा, बैठिये न । देंगे, सबको मौका देंगे । बैठिये तो ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हमलोगों से दो–तीन साल जूनियर थे, मेरे कमरे के बगल में ही रहा करते थे । जब वह सदन में आएं तो कितना हमलोगों ने सम्मान के साथ कहा और जानते हैं महोदय जब उनको हमने देखा कि ठंडा लग रही है तो माननीय सदस्य राहुल जी को हमने कहा कि ऊपर जाकर ए0सी0 बंद करवाइये और जब हमलोग बोलते हैं या हमारे नेता लालू जी के पुत्र जब बोलते हैं तो इनलोगों को मिर्ची लग जाती है ।

(व्यवधान)

महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । विजय बाबू बोलिये ।

(व्यवधान)

शांति । कृषि मंत्री बोल रहे हैं । प्लीज बैठिये । विजय बाबू बोल रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संजय बाबू, संजय जी । माननीय मंत्री जी खड़े हैं बैठिये तो ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य बहुत अच्छा ध्यान आकृष्ट किये । कृषि मंत्री भी रहे हैं, मित्रवत हैं । सदन जानना चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष कहां हैं ? बतायें कि नेता प्रतिपक्ष, कल अंतिम दिन है । शासन और लोकतंत्र की खूबसूरती नेता प्रतिपक्ष से होता है । सरकार सुशासन स्थापित तभी कर पाता है पूर्णतः जब प्रतिपक्ष पूरी तरह से सजग हो । जहां प्रतिपक्ष का ये हाल है कि सदन की गरिमा में गायब हैं और उन्होंने ठीक, उनके दल के लोग ही कह रहे हैं और लोगों का ध्यान आकृष्ट किये । एक बार बता दें कि कहां हैं नेता प्रतिपक्ष ?

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये, बात आ गयी ।

(व्यवधान)

बात रिकॉर्ड में आ गयी ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कुमार सर्वजीत जी मुख्य सचेतक हैं....

(व्यवधान)

कुमार सर्वजीत जी बतायेंगे आप सब लोगों को, धैर्य रखिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, यहां....

(व्यवधान)

बता रहे हैं । यहां गंभीर चर्चाएं भी हो रही हैं और हमारे अभिभावक विजय जी जानना चाहते हैं कि तेजस्वी जी कहां हैं और पूरा बिहार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हर बात में बोलना जरूरी है, सुनिये तो ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, जब बिहार में इतनी बड़ी वित्तीय संकट उत्पन्न हुई है तो बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई निशांत कहां हैं ?

(व्यवधान)

हमारे बिहार के लोग यह भी जानना चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई निशांत कहां हैं ? यह भी जानना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, निशांत जी लगातार हाउस में रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : महोदय, जिनके बारे में यह जानना चाहते हैं वह काउंसिल में बैठे हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत : बुलवाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : काउंसिल में बैठे हैं । आप बताइये, देखिये लोकतंत्र में गुलामी और बंधुआ मजदूर का खेल...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री निशांत जी लगातार विधान सभा में आये हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : लोकतंत्र में बंधुआ मजदूर की भावना खत्म होनी चाहिये । हर सदस्य अपने नेता से उनकी जिम्मेवारी का बात और आभास करना चाहिये और नहीं कर पाते हैं तो यह लोकतंत्र के लिये खतरा है । आज हम अपने मित्रों से कहेंगे कि यह कहीं भी शुभ का प्रतीक नहीं है । आपको बताना चाहिये बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, पारिवारिक मामले से बाहर हैं । यह जिम्मेवारी है, सदन जानना चाहता है नेता प्रतिपक्ष के बारे में । यह चौथा दिन है । बताना चाहिये आपको ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, निशांत जी लगातार हाउस में रहे हैं, विधान सभा में ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, अब कानून व्यवस्था पर हम कुछ बोलना चाहते हैं । 20 वर्षों से सरकार है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री कुमार सर्वजीत : हत्या की जो रिपोर्ट है वर्ष 2024 के दौरान 2,38,753 संगीन अपराध दर्ज हुये हैं बिहार में । हिंसक अपराधों की संख्या 52,165 से बढ़कर 1,60,303 हो गया। महोदय, हत्या 278, अपहरण 7305, रंगदारी 6240, चोरी की घटना 47,352 महोदय, शिक्षा मंत्री नहीं हैं...

अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है ।

श्री कुमार सर्वजीत : हम तो जो तिवारी बाबा लोग हैं बिहार में । हम बड़े हृदय से उनको शुक्रिया अदा करते हैं । अगर यह तिवारी बाबा का फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ रहता तो न जाने बिहार में कितने दलित, पिछड़ों का पुलिस एनकाउंटर हो गया होती । यही समझ लीजिये महोदय....

अध्यक्ष : अब प्लीज समाप्त कर दीजिये और बता दीजिये, सबकी इच्छा है कि तेजस्वी जी कहां गये हैं ? बता दीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : बता देते हैं महोदय । हमारे नेता, पूरे देश ने मीडिया के माध्यम से देखा है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है । वह दिल्ली में हैं और अपने पिता का ईलाज करा रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : राजू तिवारी जी, राजू बाबू बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया आपका, समाप्त ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सदन है और सदन के नेता या नेता प्रतिपक्ष दोनों हमारे प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं । सदन की जिम्मेवारी है कि अवगत कराये कि नेता प्रतिपक्ष कहां हैं ? सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, विदेश में हैं, देश में हैं, यह सदन को जानने का अधिकार है और आपसे आग्रह करेंगे कि यह जानकारी उपलब्ध करायी जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार जी। आपका समय 15 मिनट है ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर जाले की महान जनता के कारण लगातार इस सदन में आने का जो अवसर मिला । ग्रामीण विकास के अनुदान की मांग पर बोलने का अवसर मिला है ।

(क्रमशः)

टर्न–6 / धिरेन्द्र / 23.07.2026

....क्रमशः.....

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, ऋग्वेद में लिखा है–''विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम्'', अर्थात गांव विश्व की शांति और स्वावलंबी इकाई के रूप में विकसित हो । ऐसा ऋग्वेद कहता है और मुझे प्रसन्नता है कि एन॰डी॰ए॰ की सरकार लगातार पिछले वर्ष 2005–06 से गांव किस प्रकार स्वालंबी बने इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए एक–एक क्षण, एक–एक पल बिहार की महान जनता के लिए खर्च करने का काम किया है । मैं तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को और उस समय के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस लाईन को चरितार्थ करने के लिए सबसे पहले बिहार की महिलाओं पर नजर डाली और उनके लिए जीविका जैसी स्वावलंबी योजना को लाने का काम किया और माननीय मंत्री आदरणीय श्री श्रवण बाबू के नेतृत्व में लगातार यह विभाग नये आयाम को रच रहा है । महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर सबसे बड़ा स्वावलंबी संगठन जीविका के रूप में बिहार ने खड़ा किया है और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आज 11 लाख 45 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहा है । महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में 01 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवार आज जीविका

से जुड़े हैं । कुमार सर्वजीत जी चले गए, माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी उनसे पूछ दिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहां हैं ? लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब–जब सदन चला है सदन में रहे नहीं हैं हुजूर, पता नहीं सदन से उनको क्या एलर्जी है, क्यों नहीं रहना चाहते हैं सदन में, यह सदन उनकी भी जवाबदारी, जिम्मेदारी है, सदन के नेता विपक्ष के तौर पर हैं और शायद उनके नहीं रहने के कारण आज कुमार सर्वजीत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे नेता के पुत्र, मतलब हमारे नेता नहीं तो कुमार सर्वजीत जी उनको नेता मानते ही नहीं जिनको सदन के विपक्ष के साथियों ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया, उनको नेता नहीं मानते हैं हुजूर, मेरी चिंता का तो विषय यह है, वे कहां गए, किधर हैं, क्या कर रहे हैं, यह बाद में, नेता मानते ही नहीं कुमार सर्वजीत और लगातार मैं देख रहा हूँ हुजूर कि बिहार के अंदर विकास की गाथा महिलाओं को सशक्त कर के बनाया जा रहा है । आज बिहार में 61 किसान उत्पादक समितियां काम कर रही हैं । जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 85 जैविक क्लस्टर आज विकसित किए गए हैं । केवल वर्ष 2025–26 में 03 लाख 31 हजार ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है । महोदय, सरकार लगातार जीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को मजबूत करने में लगी हुई है और गांव का विकास किस प्रकार हो इस दिशा में सार्थक कदम उठा रही है । महोदय, हमलोगों को जब अवसर मिला तो बिहार में एक हजार किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी और आज 01 लाख 20 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं । हुजूर, मैं कहना चाहता हूँ कि

बिहार में हुए सड़क विकास को ये क्या बतलायेंगे,
जो लोग अलकतरा पी गए वे नजर क्या मिलायेंगे ।

हुजूर, वे नजर क्या मिलायेंगे, वे बोलने की हिम्मत रखते हैं हम तो ताजुब करते हैं, सदन में यह तो पक्ष–विपक्ष की प्रक्रिया है....

(व्यवधान)

सदन में बोलने की हिम्मत जुटा लेते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्या–क्या कुकर्म इसी बिहार के अंदर किए हैं, अलकतरा पी गए, चारा खा गए । हुजूर, हमलोगों को जब मौका मिला....

(व्यवधान)

अब सुन लीजिये कुछ डाटा बता रहे हैं । जब हमलोगों को मौका मिला तो हमलोगों ने गरीब के कलम में स्याही भरने का काम किया और जब इनको मौका मिला तो लाठी में तेल पिला रहे थे और जब हमलोगों को मौका मिला तो इस बिहार के अंदर आठ इंजीनियरिंग कॉलेज इनके जमाने तक थी प्राइवेट कॉलेज को लेकर, युवाओं की चिंता कर रहे थे न कुछ देर पहले, युवाओं की चिंता कर रहे थे न, इनका टोटल बजट ही 23 हजार करोड़ का था । जब हमलोगों को मौका मिला तो आज का बजट 03 लाख

47 हजार करोड़ रुपया का है और ये चिंता कर रहे हैं बिहार के युवाओं का, इनको 15 साल मौका मिला, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना पायें, जब एन॰डी॰ए॰ को मौका मिला तो आज बिहार में 38 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हुजूर और पूरे देश में सबसे सस्ता पढ़ाई इंजीनियरिंग का मात्र दस रुपये में बिहार में हो रहा है हुजूर, इसी बिहार में हो रहा है और जब इनको मौका मिला तो बिहार में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाये और जब हमलोगों को मौका मिला तो आज 22 मेडिकल कॉलेज बिहार में बनने जा रहा है और 13 मेडिकल कॉलेज इस समय काम कर रहा है बिहार के अंदर और मैं बता दूं अभी हमारे वित्त मंत्री बैठे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री थे, जब इनको मौका मिला तो बिजली आती नहीं थी अब है कि बिजली जाती नहीं है, यह बदलाव हमने किया है, यह बदलाव एन॰डी॰ए॰ ने किया है हुजूर । जब इनको मौका मिला तो पूरी ताकत लगाकर 700 मेगावॉट बिजली पहुंचा पाये थे, आज 9000 मेगावॉट बिजली इसी बिहार में कंजम्पशन हो रहा है हुजूर । जब इनका जमाना था तो इसी बिहार में सात–आठ यूनिवर्सिटी होता था, आज 20 विश्वविद्यालय इस बिहार के अंदर है हुजूर । पूछते हैं कि युवाओं के लिए क्या किया और युवाओं के लिए, युवा तो कोई था नहीं कल जो उपद्रव मचा रहा था, फोटो आया हुआ है, हमारे आवास कैंपस में दो आवास हैं किसी माननीय विधायक जी का वहां हमलोगों ने देखा कौन–कौन लोग आये हुए हैं और क्या–क्या लेकर आये हुए हैं, उन विषयों में जायेंगे तो विषय विषयांतर हो जायेगा हुजूर, मैं विषय पर ही रहना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

हुजूर, वे हर बात में खड़े होते हैं, उनको उनकी पार्टी बोलने का अवसर नहीं देती है, वे क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मुण्डकोपनिषद् अथर्ववेद का कहता है–'सत्यमेव जयते', खड़े हों तो कम–से–कम सत्य को बोलें, जैसे मैं डाटा के साथ सत्य इस सदन के पटल पर रख रहा हूँ हुजूर । मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि देश की आजादी के बाद से लेकर 2025–26 तक इस पूरे बिहार में 272 डिग्री कॉलेज थे और एक झटके में 211 डिग्री कॉलेज समर्पित करने के लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ और ग्रामीण कार्य पर आ रहा हूँ । बिहार के अंदर 31 लाख 71 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया गया, यह घोषित है हुजूर । महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए अभी जो विश्व बैंक है उसकी रिपोर्ट आयी है कि महिलाओं की आमदनी बिहार के अंदर 30 परसेंट से अधिक बढ़ी है, यह जीविका का कमाल है हुजूर, जिसको ग्रामीण विकास विभाग ने स्थापित करने का काम किया है । आज मनरेगा के तहत लगातार हमलोग मानव दिवस का सृजन अधिक–से–अधिक कर के बिहार के मजदूरों के घर तक रोजगार पहुंचाने का काम, इस बिहार के अंदर करने का काम हमलोगों ने

किया है हुजूर । लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत आज 36 जिलों में गोवर्धन योजना संचालित हो रही है और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये डी०बी०टी० की सहायता से गांव के गरीब आदमी को इज्जत का घर और शौचालय बनाने के लिए यह सरकार उनके खाते में भेजी है हुजूर और इनको चिंता कहां है, इन लोगों को जब अवसर मिला तो अपने काम में ही व्यस्त थे हुजूर ।

अब न ही वह बात, अब न ही वह जमाना है,
किसने की रखवाली, किसने लूटा खजाना है ।
ग्रामीण विकास विभाग की, ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें बोल रही है,
यह जनता है इनको सब पता है कौन इनका दिवाना है ।

बिहार की जनता को मालूम है और उसका परिणाम अभी वर्ष 2025 में आया है, हुजूर।

चलते हैं जमीन पर, आसमान देखते हैं,
हम घर बचाने में लगे हैं, ये तुफान देखते हैं ।

....क्रमशः....

टर्न–7/अभिनीत/23.07.2026

..क्रमशः..

श्री जिवेश कुमार : हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम गरीबों के हित में काम करने वाले लोग हैं । हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है । हुजूर, हमारी सरकार ने इस बिहार के अंदर 49 लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास स्वीकृत किया है । हुजूर 39 लाख से अधिक का पक्के घर का निर्माण हो गया । 15 वर्ष में एक भी गरीबनी मां की इज्जत बचाने के लिए एक शौचालय बनाने का काम इनकी सरकार ने नहीं किया । 15 वर्षों में एक भी गरीबनी मां के कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलने का काम इनकी सरकार ने नहीं किया और ये सवाल खड़े करते हैं । सदन में खड़े होकर हुजूर ये सवाल खड़े करते हैं । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री आवास में जिन गरीबों का घर छूट गया उनको भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना से मैं इस घर को अच्छादित करूंगा और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 82 हजार ऐसे लोगों को आवास इस बिहार के अंदर दे दिया गया । मैं श्रवण बाबू को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जर्जर प्रखंड कार्यालय की जगह नये आधुनिक प्रखंड कार्यालय का निर्माण ये करवा रहे हैं । मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं दरभंगा का हूं हुजूर, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को 2018 में जब वर्षा कम हुई थी और दरभंगा में चापाकल सूखने की शिकायत हमलोगों के क्षेत्र में आने लगी तो मैनें माननीय मुख्यमंत्री

जी के पास चिंता व्यक्त की थी एज ए विधायक जाकर के कि हुजूर हमलोगों का घर जो है दरभंगा, मधुबनी, मिथिला पानी का नैहर बोला जाता है । महिला बिना बुलाए अगर कहीं जाती है तो अपने नैहर जाती है । वैसे ही बिना बुलाए पानी कहीं आता है बाढ़ का तो मिथिला में आता है और हमलोग पानी के नैहर में रहते हैं और वहां चापाकल सूख रहा है । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री को, माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और बाद में और सोर्स से जानकारी जमा करके सर्वदलीय बैठक इसी सेंट्रल हॉल में बुलाई थी और ''जल–जीवन–हरियाली'' जैसी योजना आयी । मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है हुजूर कि 17 हजार 475 सार्वजनिक जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनको जल से युक्त किया गया है। एक लाख से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है । उसका परिणाम बताते हुए और प्रसन्नता हो रही है हुजूर कि इस बार आवश्यकता से कम बारिश होने के बावजूद हमलोगों के यहां चापाकल सूखने की शिकायत नहीं आयी । धन्यवाद देना चाहते हैं ग्रामीण विकास विभाग की इस योजना को कि 73 हजार 722 नये जल स्रोत इस योजना में विकसित किये गये । 21 करोड़ से अधिक पौधारोपण कराया गया । ये सब अद्‌भुत कार्य अगर किसी ने किया है, हम समझते हैं कि उसका पूरा श्रेय एनडीए सरकार और ग्रामीण विकास विभाग को जाता है । हम वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करते हैं कि लगातार एक–एक योजना को मॉनिटर करते हुए, आज छात्रों की बात कर रहे थे, मॉडल स्कूल बनाने का काम, वहां किस प्रकार हमारे बच्चे पढ़ें, गरीब बच्चों को आई0आई0टी0 करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए कहीं जाना न पड़े, इस प्रकार की चिंता...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया कंक्लूड करें ।

श्री जिवेश कुमार : हम स्कूल में ही पढ़ाकर इसको करना चाहते हैं । हुजूर का जब आदेश आ गया, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन जब हुजूर का आदेश आ गया तो इतना कहते हुए कि ऋग वेद कहता है–

''कृण्वन्तो विश्वमार्यम्''

अर्थात् हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनायें । इस भाव के साथ मेरा क्या, तेरा क्या इन चीजों को छोड़कर बिहार कैसे विकसित हो इस दिशा में विपक्ष के साथियों को सार्थक कदम बढ़ाना चाहिए और मैं आज ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की जो मांग है उसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

बहुत–बहुत आभार । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा । आपका समय 09 मिनट है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के फस्ट सप्लीमेंट्री डिमांड के पक्ष में और विपक्ष ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके विपक्ष में खड़ी हूं । मैं सबसे

पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे दल के आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय बिजेन्द्र यादव जी और धन्यवाद देना चाहती हूं मैं आदरणीय श्रवण कुमार जी का और धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे उप मुख्य सचेतक हमारे दल के आदरणीय मंजीत कुमार सिंह जी का कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका, अपने दल का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है ।

महोदय, यह पल मेरे लिए बहुत भावुक पल है । आज का दिन बहुत भावुक है । यह मेरा दूसरा कार्यकाल है और जबसे मैं यहां आयी हूं हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से पहली बार आयी और पहली बार जब भी बोली तो वे या तो सदन में रहते थे या मुझे संतुष्टि रहती थी कि मॉनिटर से कहीं न कहीं देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है । आज भी आशीर्वाद प्राप्त है लेकिन बहुत कमी उनकी खल रही है कि वो यहां नहीं हैं ।

(व्यवधान)

मुझे खुशी है, साथ ही साथ मुझे खुशी है महोदय । इतना जलने की बात नहीं है । साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी उनके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिखाये रास्ते पर बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए दिन–रात काम कर रहे हैं । साथ ही साथ मुझे खुशी है कि आदरणीय निशांत जी, उनके सुपुत्र उनके विरासत को बखूबी समझ रहे हैं और बखूबी संभाल रहे हैं । बात हो रही है यहां विपक्ष के कटौती प्रस्ताव की, पानी पी–पी कर कुमार सर्वजीत जी आलोचना कर रहे थे लेकिन उनको यह समझ नहीं आया कि उनके नेता कहां हैं । यह तो सिर्फ रश्म अदायगी है । अभी तक तो पूरा बिहार चर्चा कर रहा था, आज सदन में यह चर्चा का विषय बन गया कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष कहां हैं । मैं तो यह कहना चाहूंगी कि उन्होंने जान–बूझकर, कुमार सर्वजीत जी ने यह मुद्दा, उनका नाम लिया ताकि उनको खुद भी पता लगे कि उनके नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, इसलिए उन्होंने जान–बूझकर यह मुद्दा उठाया है । प्रतिपक्ष को खुद ही नहीं पता है कि वे कहां हैं । लेकिन मैं बताती हूं, मेरी जानकारी में, मैंने कभी उनको नार्वे में देखा है, आंख पूरी तरह से लगभग बंद है, फोटो खींचवाते हुए, कभी हाफ पैंट में उनको देखा है दुबई में फोटो खींचवाते हुए । मेरी जानकारी से तो कभी दुबई हैं तो कभी नार्वे में हैं । कहां वे गये हैं वह तो वे जानेंगे ।

(व्यवधान)

इतिहास जानता है कि ये कभी सीरियस नहीं रहे हैं । हमारा प्रतिपक्ष कभी सीरियस रहा नहीं है । इनका इतिहास है लूट–खसोट, मसखरी, टाईम–पास, यही करते रहे हैं और यही नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं । यही वजह है कि जब कभी सदन..

(व्यवधान)

उसी पर आ रही हूं । यही वजह है कि कभी सदन प्रतिपक्ष से भरा होता था आधा सदन अब एक स्कूल बस भी लगभग नहीं भर सकती है और शायद इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वह बाहर गये हुए हैं । महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि 2005 में जब कानून का राज स्थापित हुआ, आदरणीय नीतीश कुमार जी आयें तो उनका लक्ष्य था न्याय के साथ विकास, उनका लक्ष्य था बिहार के ग्रामीण जनता का विकास, उनका लक्ष्य था बिहार के ग्रामों में अच्छी सुविधा देना ताकि पहले जहां लोग बाहर चले जाते थे, पलायन करते थे, शहरों में जाते थे वे गांव की ओर लौटें । गांवों में बुनियादी सुविधा हो, पहले का जो आलम था वह कहने की जरूरत नहीं, बहुत मिर्ची लगती है इन लोगों को इसलिए 2005 से पहले नहीं जाउंगी चिंता मत कीजिए । लेकिन अब जो हालत है हमारे यहां, पहले एक–दो चीजें बताना चाहती हूं कि सड़कों की क्या हालत थी हमारे गांव में और दूसरे गांव में । लोग सड़कों मे विरोध के लिए धान रोपणी कर देते थे । महोदय, लोग सड़कों पे चल नहीं पाते थे, गडढ़े होते थे, धान रोपणी कर देते थे । जो बिजली की तार होती थी लोग उस पर कपड़े फैलाते थे, स्कूल के नाम पर चरवाहा विद्यालय था । अब हमारे पास यूनिफॉर्म है, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, साईकिल से जाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं..

(व्यवधान)

और आपलोगों को सड़क और बिजली दिखेगी नहीं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सुनिए । कृपया सुनिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : आपलोगों को तो सड़क और बिजली दिखेगी नहीं और जब अपनी बात कहेंगे तो उसमें एक सदस्य उस दिन कह रहे थे कि न सड़क है, न बिजली है । शर्म है...

..क्रमशः..

टर्न–8 / अंजली / 23.07.2026

(क्रमशः)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : ग्लानि भी नहीं होती है यह कहते हुए कि बिहार में सड़क नहीं है और बिजली नहीं है । आप इसी सड़क से अपने सदन आते हैं । दो घंटे में, चार घंटे में, पांच घंटे में पूर्णियां तक से चले आते हैं पटना सदन और काम करके एक ही दिन में वापस भी चले जाते हैं और ग्लानि भी नहीं होती आपको यह कहते हुए ।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं और भी कई चीजें हैं, ग्रामीण विकास की जब हम बात करेंगे तो जीविका दीदिओं की बात से अछूते नहीं रह सकते हैं । जब जीविका समूह की स्थापना हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया, तो विपक्ष मसखरी करते थे, उनको लगता था कि यह मजाक की बात है, आज हमारे आदरणीय जिवेश मिश्रा जी ने आंकड़े कहे हैं, 11 लाख 70 हजार जीविका समूह हैं । 1 करोड़ 71 लाख परिवार जीविका से जुड़कर ग्रामों में विकास कर रही हैं जीविका दीदियां, अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही हैं, साथ ही साथ, पूरे बिहार के लागों का भरण–पोषण कर रही हैं ।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अभी तीन–चार दिन पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, उसको आगे बढ़ाते हुए 2246 जीविका कर्मियों की बहाली की चिट्ठी दी है, यह है बिहार के बेटियों की नई उड़ान की कहानी, यह है हमारे बिहार की महिलाओं के नई उड़ान की कहानी, बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूं, जब सदन शुरू हुआ था, इस सत्र का 18वीं विधान सभा का तो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव का तुरंत आया था, उन्होंने कहा कि दस–दस हजार में बिहार की महिलाएं बिकती हैं और उन्होंने बिककर एन0डी0ए0 को वोट दिया, यह उनकी ओछी मानसिकता को दिखाता है और मैं कहना चाहती हूं कि...

(व्यवधान)

ऑनरिकॉर्ड है, ऑनरिकॉर्ड है वह । मैं कहना चाहती हूं कि बिहार की महिलाएं कभी भी उनको माफ नहीं करेंगी इस बयान के लिए, एक महिला होने के नाते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें । प्लीज । शांति–शांति ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं की पीड़ा समझती हूं और बिहार की महिलाएं कभी उनको माफ नहीं करेंगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बेवजह आपलोग बीच में नहीं आएं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : बिहार की महिलाएं कभी भी उनको माफ नहीं करेंगी । इस ओछी मानसिकता और इस बयान के लिए और मैं कहना चाहती हूं कि आप कहते हैं कि हम महिला के बहुत हितैषी हैं, एक महिला को बांकीपुर उप चुनाव में आपने टिकट दे दिया और उनके प्रचार के लिए आप नहीं हैं, उनके प्रचार से भाग कर आप चले गए ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

मुझे नेता प्रतिपक्ष की चिंता भी होती है कि आखिर हो क्या गया है उनको, आखिर बीमार हैं, क्या हैं, सदन में काफी चर्चा हुई है, चिंता वाजिब है ।

(व्यवधान)

महोदय, कार्यों की चिंता हम कर रहे हैं । बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चतुर्दिक विकास हो रहा है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति । शांति बनाए रखिए । टोका–टोकी नहीं कीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : लगातार हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं । सी0एम0 जो हमारे हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी दुगुनी....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका समय पूर्ण हो गया है । आप कृपया बैठ जाएं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मैं एक मिनट में कंक्लूड करूंगी । मुझे नोटिस नहीं मिला था कि समय पूर्ण होने वाला है । बस एक मिनट में मैं कंक्लूड करूंगी । महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी दुगुनी ऊर्जा से हमारे बिहार विकास का विकास कर रहे हैं और मैं कहना चाहूंगी कि बिहारियों की चिंता अगर ये करते तो बिहारी उनको जिस 25 सीट पर समेट कर रख दिया और विपक्ष को 40 से भी जो कम सीट मिली है, बिहारियों की चिंता अगर ये करते, तो यह नहीं होता । साहिर लुधियानवी साहब ने कहा है– हमारी सरकार रुकने वाली नहीं है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं कीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : हमारी सरकार बिहार के विकास से रुकने वाली नहीं है । साहिर लुधियानवी ने बहुत सही कहा है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बैठ जाएं । आपका समय हो गया है । माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय,

"हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें,
वो फूल खिल के रहेंगे, जो खिलने वाले हैं ।"

बहुत–बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं, टोका–टोकी मत कीजिए । यूं बैठे–बैठे बीच में मत बोलिए । आपके पास चार मिनट का वक्त है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : थैंक्यू महोदय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । मैं बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में कहना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट, असाधारण स्थिति में लाया

जाता है, सामान्य स्थिति में नहीं लाया जाता है लेकिन जो बजट लाया गया है वह सामान्य बजट है, अनुपूरक बजट है, इससे पता चलता है कि जो अनुपूरक बजट में, बजट बनाते समय जो बजट का आकलन किया गया था, ठीक ढंग से उसका आकलन नहीं किया गया था । अगर आकलन ठीक ढंग से किया गया होता तो दो–तीन महीने के अंदर में ही यह अनुपूरक बजट पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं समझता हूं कि 87 हजार 383 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है, यह निश्चित रूप से असंतोषजनक है और सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उसका एक चित्र उपस्थित करता है ।

महोदय, कहा जा रहा है अभी, बहुत से आंकड़े दिए जा रहे थे कि बिहार अग्रसर हो रहा है, बहुत उन्नति हो रही है । महोदय, कोई एक महिला अपनी थाली की रोटी अपने बेटे की थाली में डालकर और भूखे पेट सो जाए और उसके आंकड़े से उसकी तुलना की जाए तो इस पीड़ा का बहुत अपमान है, बहुत उपहास है । महोदय, आंकड़ों से उन्नति नहीं देखी जाती है, उन्नति सड़क पर देखी जाती है, स्थिति में देखी जाती है । अभी बहुत सारी सड़कें बन गईं, कितनी किलोमीटर की सड़कें बन गईं लेकिन मैं आपको बतला रहा हूं कि मेरे यहां जो भी सड़कें बन रही हैं, वह सड़कें बनना बंद है, पूछा जाता है तो कहा जाता है कि जो ठेकेदार थे, अभिकर्त्ता थे उनको पैसा नहीं मिला इसलिए सड़क बनाना बंद कर दिया गया, तो यह किस विकास की सूची है । महोदय, मैं समझता हूं कि बिहार में सारी जगह यही स्थिति है । लोग शर्म से या लिहाज से नहीं बोलते होंगे, सत्ताधारी पक्ष के लोग भी यह महसूस करते होंगे कि क्या स्थिति हो रही है, सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है ।

महोदय, हमारे यहां एक पुल बनना था महानंदा में, उसका शिलान्यास कर दिया गया और फिर बंद कर दिया गया । मेरे यहां एक और पुल बन रहा था ढोरबा पुल है, उसके बगल में बन रहा था, उसका भी शिलान्यास हुआ बंद कर दिया गया, एक और पुल बन रहा था जो अलीनगर की तरफ जाना था उसको भी बंद कर दिया गया । महोदय, पुल का शिलान्यास करके उसको बंद कर देने का क्या तुक है ? क्यों बंद कर दिया गया ? उसके बाद अभी कटाव की जो स्थिति है, भयंकर स्थिति हमारे यहां है । हमारे यहां जो धुरियाही ब्लॉक है, धुरियाही है, शमदाह है, उन सारे ब्लॉकों में कटौती चल रही है और कटौती के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, 15 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था, यहां से ढाई करोड़ का प्रस्ताव भेजकर किया गया, ढाई करोड़ में काम करने से कुछ होगा नहीं, यह गांव अगर कटेगा तो 5वीं बार कटेगा और कम से कम हजारों लोगों को विस्थापित होने की आशंका है, लेकिन उसका कोई काम नहीं हो रहा है । हमलोग लिखकर भेज रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । लखनपुर पंचायत में लखनपुर है, डकरा है..

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, 4 मिनट हो गया ?

उपाध्यक्ष : चार मिनट हो गया है । संक्षिप्त करें ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह काम नहीं हो रहा है, तो क्यों काम नहीं हो रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष : आपकी बात को डिप्टी सी0एम0 साहब सुन रहे हैं ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत से विभाग में यही हो रहा है ।

उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं । आपका समय हो गया है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती संगीता कुमारी । आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें । आपके पास में दस मिनट का वक्त है ।

टर्न–9 / पुलकित / 23.07.2026

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ और ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी । माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, माननीय दोनों उपमुख्यमंत्री जी को, माननीय सचेतक महोदय जी को बहुत–बहुत आभार है कि इन्होंने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज अनुदान मांग पर ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ और यह अनुदान मांग मुझे लगता है कि नव–युवाओं के हौसलों की उड़ान की अनुदान मांग है, महिलाओं के सशक्तिकरण की अनुदान मांग है । ग्रामीणों के, किसानों की समृद्धि का अनुदान मांग है और मैं यह कहूँगी कि दलितों और गरीबों और पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए यह मांग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, एक महिला होने के नाते, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्य जीविका के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ, आर्थिक दृष्टि से गरीब महिलाओं को एक स्वयं सहायता समूह से जोड़कर जो सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए गए, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में जो महत्वपूर्ण काम किए गए, ग्रामीण महिलाएँ जिन्हें कहा जाता था, जिनकी कहीं गिनती नहीं थी, लेकिन आज वह सशक्त दिखती हैं, तो इसकी जीविका का बहुत बड़ा योगदान है।

जिन्होंने उनकी गरीबी उन्मूलन का काम किया, उन्हें सशक्त किया। आज समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ी है, महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ी है, महिलाएँ जागरूक हुई हैं। जिस तरह से जीविका की बात करना चाहें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालयों में रसोई दीदी के रूप में, जो अस्पतालों में, गृह विभाग में महिलाएँ रसोई दीदी के रूप में जीविका बहनें हमारी काम कर रही हैं । बागवानी में जो जीविका बहनें काम कर रही हैं, बैंकों से लगभग 1 करोड़ 47 लाख परिवार जीविका के माध्यम से सशक्त हुआ है। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है । आर्थिक दृष्टि से जीविका के माध्यम से और मैं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को आवास मिलना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वैसे घर जो छूट गए हैं उनको आवास देना, उनको छत देना, यह उन लोगों के लिए, यह उन लोगों कि आहें हैं, जो गरीब परिवार जो बिना छत के रहता था, जब उन्हें आवास मिलता है, उन्हें छत मिलती है, तो वह गरीब परिवार दुआएँ देता है और मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है कि सरकार की जो योजनाएँ हैं, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से चाहे योजना की बात करें या लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की बात करें, सबका सम्मान–जीवन आसान अभियान की बात करें या आवास की बात करें या मनरेगा की बात करें, जो VB-G RAM G विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी । अभी जो उसमें समन्वित हुआ है, जिसके तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, जिसके तहत जल जीवन हरियाली के तहत पौधारोपण में महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, वैसे लोग कृषि कार्यों से जो वंचित रह जाते हैं उन्हें कृषि कार्यों में लगाया जा रहा है ।

ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करना चाहेंगे, मॉडल स्कूल जिस तरह से हमारे पंचायतों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किए हैं उन्होंने, मॉडल स्कूलों की बात करें, डिग्री कॉलेजों की बात करें, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालयों की स्थापना करके समाज के अंतिम पायदान के बच्चों के लिए लोग कहते हैं कि गाहे–बगाहे दलितों को गुमराह करने की जो विपक्ष की मंशा रहती है, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के सपनों को अगर किसी ने साकार किया है तो वह

एनडीए की सरकार ने किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बताए गए रास्ते को माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी साकार करते हुए दिख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले महिला विद्यालय की स्थापना की मांग करती हूँ। मैं चाहूँगी आवासीय विद्यालय जहाँ नहीं है वहाँ बने। यह देखने को जरूर मिलता है कि सामुदायिक भवन कहीं–कहीं जो दलित बस्ती में बनाने की सरकार की योजना है, यह बहुत ही अच्छी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगी कि चाहे दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, अति पिछड़ों की बात हो, कहने का मतलब यह है कि समाज के हर तबके को समावेश करके जो सरकार काम करती है वह एनडीए की सरकार है और जिन्होंने काम किया है।

मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ विपक्ष को भी जिस तरह से छात्रों को आगे लाकर विरोध और हिंसा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन हिंसक रूप जो दिया जा रहा है और उसको प्रोवोक किया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए गलत है, यह संविधान के लिए गलत है। महोदय, वैसे बच्चों को आगे किया जा रहा है, आगे करके, जिनका आगे फ्यूचर है, जो बहुत ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चे हैं, अगर किसी चीज में फँस जाएँगे तो क्या यह विपक्ष के नेता उन्हें बचाएँगे? इसलिए मैं कहूँगी राजनीति करिए, लेकिन उस राजनीति का स्तर वह नहीं होना चाहिए, राजनीति का स्तर वह हिंसक रूप में नहीं होना चाहिए। विधायकों पर अमर्यादित व्यवहार करना यह कहीं भी उचित नहीं है और लोकतंत्र में किसी भी हिंसा की कोई जगह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की बात करें तो सरकार जितना विकास कर रही है, आधी आबादी को अगर समकक्ष में खड़ा करने का किसी ने काम किया तो एनडीए की सरकार ने किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं । चाहे नगर निकायों में आरक्षण की बात करें या नौकरियों में बात करें, महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की गयी है।

मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उपाध्यक्ष महोदय को कि मेरे क्षेत्र में रोड जाम की समस्या रहती है मोहनिया विधानसभा के मोहनिया चौक पर, जो बस स्टैंड की वजह से है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि मोहनिया में पटना मोड़ से अमरपुरा होते हुए भभुआ मोहनिया पथ तक बाईपास का निर्माण करवाया जाए, जिससे लोगों को जाम से निजात मिले। महोदय, आप ही एक आस हैं, महिलाओं का विश्वास हैं, एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ही महिलाओं का विश्वास हैं और आस हैं।

एक बात जरूर मैं दो पंक्तियाँ देकर कहूँगी क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं कि –

देश में अमन के पैगाम की जरूरत है,
भरत के भाई श्रीराम की जरूरत है।
और
कंस के जुल्म का सूरज है फिर जवानी पर,
इस कड़ी धूप में मोदी और सम्राट जी के काम की जरूरत है।।

बहुत–बहुत आभार।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शुभानंद मुकेश जी । अपना पक्ष प्रस्तुत करें, आपके पास 9 मिनट का समय है ।

श्री शुभानंद मुकेश : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर और बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं सर्वप्रथम कहलगाँव विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा, सुशासन एवं न्याय से विकास करने वाले हमारे सर्वमान्य नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं सदन तक पहुँचा।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। 15 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा कहलगाँव में थे और बिहार को ज्ञान से प्रकाशित करने वाले 211 प्रखंड कॉलेजों को खोलने की शुरुआत उन्होंने की है। माननीय मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है और सशक्त निर्णय का जो उनका काम करने का तरीका है, उससे सचमुच में विकास को गति मिल रही है, स्पष्टता मिल रही है।

त्वरित प्रशासनिक फैसले और धरातल पर काम उतरते देख बिहार की जनता को भी विश्वास हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी सर्वमान्य नेता के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सर्वमान्य नेता के विजन का माननीय मुख्यमंत्री जी को विजनरी एक्शन मिला है और ये बिहार को नई ऊँचाइयों पर ले जाएँगे।

महोदय, मैं हमारे अभिभावक एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय चौधरी जी एवं हमारे आदरणीय बिजेंद्र यादव जी उप मुख्यमंत्री, एवं विधायक दल के नेता श्री श्रवण कुमार जी एवं उप सचेतक महोदय श्री मंजीत जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन पटल पर उप–मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 87383 करोड़ 43 लाख 1000 रुपये का प्रथम अनुपूरक, कोई साधारण दस्तावेज नहीं है । यह बिहार के किसान, युवा और महिलाओं के सपनों की उड़ान है। हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस दौर में बिहार की बागडोर संभाली थी, जब राज्य निराशा और अंधकार में डूबा था, उनकी दूरदर्शिता ने एक नई पहचान बना दी। उसी सुशासन और विकास की मजबूत नींव पर आज हमारे ऊर्जावान, दृढ़–संकल्पित मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी बिहार को वह नई ऊँचाइयों पर ले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने वित्तीय प्रबंधन इतना सुदृढ़ किया है कि पहले पूर्व घोषित 1100 रुपये जो वृद्धजनों के लिए मिलता था, उसके लिए भी उन्होंने 6710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है ।

(क्रमशः)

टर्न–10 / हेमन्त / 23.07.2026

(क्रमशः)

श्री शुभानंद मुकेश : इसलिए 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 2638 करोड़ और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 447 करोड़ रूपये सुनिश्चित किया गया है। मेडिकल कॉलेजों के 927 करोड़, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए 940 करोड़, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए भी प्रावधान है और बिहार को, पटना शहर को नई पहचान देने के लिए, पटना मेट्रो के लिए 952 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की बातों को अगर लिया जाए, तो स्वयं सहायता समूह, दो–तीन बात कहूंगा सर, आई.आई.एम. कोलकाता जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से वहां पर 150 जीविका दीदियों को उद्यम विकास कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 42 ऐसे सदस्य हैं, जिनको चयनित करके, मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर में विकास किया गया है और अभी तक 29 लाख बैग निर्माण कराए जा चुके हैं। लगभग 7781 पशु प्रशिक्षित किया गया है। बकरी पालन, जो बहुत विस्तार हुआ है, करीब 8 लाख 12 हजार परिवारों को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेडिकल की सुविधा की चर्चा किया जाए, तो लगभग 6 महाविद्यालय पूर्व में थे, 12 विद्यालय अभी संचालित हो रहे हैं और 13 निर्माणाधीन हैं। 7 जिलों में नये विद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की स्वीकृति कर दी गई है। तो ये मेडिकल कॉलेज हम लोगों के बिहार को और सुदृढ़ करेगा, उस उद्देश्य से

यह किया जा रहा है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से, गरीब मरीजों के इलाज हेतु 202 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहलगांव विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं और यह अनुपूरक बजट हमारे क्षेत्र के लिए भी वरदान है। कहलगांव, अष्टावक्र एवं कोहल ऋषि की भूमि रही है और गंगा नदी उत्तर वाहिनी बहती है। गंगा घाटों का विकास अति आवश्यक है। कहलगांव घाट में न सिर्फ पर्यटन, बल्कि आस्था का भी बढ़ावा होगा। कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहलगांव के तीन पहाड़ी पर रोपवे के निर्माण की भी घोषणा की है। मैं मानता हूं कि उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। यही कहूंगा कि, बिहार अब रुकने वाला नहीं, बिहार अब झुकने वाला नहीं। यह नया बिहार है, जो विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसके लिए संकल्पित है। जहां नीति में, नीयत साफ हो, जहां विकास बने, हर वर्ग का अधिकार, वही है हमारा बिहार, वही है नया आत्मनिर्भर बिहार। इन्हीं शब्दों के साथ इस ऐतिहासिक अनुपूरक व्यय विवरणी और विनियोग विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। जय बिहार, जय अंगिका। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान साहब। आपका समय चार मिनट है।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त बिहार सरकार के पेशकर्त्ता फर्स्ट सप्लीमेंट्री, जो असल बजट के लगभग 25 प्रतिशत इजाफे की रकम है, उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ निरा आलोचक नहीं हूं, बल्कि सरकार को मशविरा देना चाहता हूं। सरकार की चतुर चाल और आंकड़ों के जंजाल से ऊपर उठकर, मैं साफ–साफ कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता के लिए उसने क्या किया है। ग्रामीण विकास मंत्री हमारे बड़े सज्जन पुरुष हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक में अभी भी दो ब्लॉक का जो भवन है, वह ऊपर से गिर रहा है। जब तक वह जर्जर होगा और नया मकान नहीं बनेगा, तो आपको पैसा क्यों दिया जाएगा ? आपके ग्रामीण विकास में मनरेगा, जल जीवन, ये सारे हालात ऐसे हैं, जिनको ठीक करने की जरूरत है। हुजूर, मैं बिहार की जनता की आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि 10 महीने, 11 महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, मतलब इलेक्शन से पहले हम लोगों ने शिलान्यास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट शिलान्यास किया। तो एक–एक विधान सभा में 50–50 सड़कें, जो पुरानी सड़कें हैं, मरम्मत नहीं हो पा रही है, गड्ढ़े में सड़क चली गई है। उसकी राशि ये जल्दी दें, ताकि वहां पर काम हो सके।

महोदय, अभयपुर, आसजा में, अमोर में सड़क कट कर गिर रही है। सर, हरिया में, बालू टोला में गिर रही है। सर, बायसी में माला रोड है और अर्राबाड़ी,

खुटिया रोड है सर, पंचायतों का रिश्ता कट रहा है, वह सड़कें नहीं बन पा रही हैं। सर, खाड़ी रसेली में 14 साल से बन रहा है, अब पैसा ये जारी नहीं कर रहे हैं, उस पर कराया जाए सर। नदी कटाव का मामला, क्षेत्र में ऐसा है कि अमौर में मलनहा, कासीबाड़ी, डमड़ाहा, चिल्ना, बनगमा, मिर्जापुर, कोचा धामन में महिनगांव, मचघूरी, बाईसी में तारबाड़ी, हरिनतोर और बहादुरगंज में बोचागाड़ी, लौचा, महेशभतना, गोड़िया टोली, पथरघट्टी, कमरखोद, मटियारी, माली टोला, और इसी तरह से सर, आप देखेंगे कि जोकी में, रामरैया, सदभिठा, मटयारी, केसररा, चोक्ता में भीषण कटाव है। सर, उस कटाव से बचाया जाए । बिजली की हालत खराब है, उस पर तवज्जो दी जाए। राजस्व कर्मचारी के पास तीन–तीन पंचायतें हैं। सर, राजस्व कर्मचारी बहाल किया जाए और उसमें लूट खसोट, फर्जी दस्तावेज पर फौरन कार्रवाई की जाए। सर, मदरसा शिक्षकों का मामला, भुखमरी के शिकार हैं, पांच महीने से तनख्वाह नहीं है। सर, उनकी तनख्वाह जारी करायी जाए। सर, मेरा मुतालबा होगा, जो शिक्षक 20 साल पहले रिटायर कर गए, पेंशन नहीं है, भूखे मर रहे हैं। उनकी पंचम, षष्ठम्, वित्त आयोग की अतिरिक्त जो राशि थी, उसका उनको भुगतान कराया जाए। सर, अब डिग्री कॉलेज में उर्दू को दीजिए। राशन कार्ड में 12 लोगों का नाम कटा है, 57 लाख लोगों के नाम काटने की तैयारी है, उसको रोका जाए सर। यहीं क्षेत्रों में डॉक्टर को दिया जाए। सर, दो गंभीर मसले हैं। सर, रोहटा में सेंट्रल बैंक में सीएसपी के जरिए 273 लाभुकों से 3 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। वित्त मंत्री, चूंकि बैंकों को देखते हैं, फौरन उस पर कार्रवाई कराएं। सर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ऐसा है पूरे बिहार में कि इस पर चिंतन की जरूरत है। फैज दरभंगा का एक लड़का मारा जाता है दुकान में। दर्द की बात है सर। मैं आपको उसका आवेदन समर्पित करता हूं। सर, अब 12–12 फोटो हैं। पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया लोगों को...

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है।

श्री अखतरूल ईमान : सर, एक मिनट। जमील अंसारी, सीतामढ़ी, नुरशेद सुपौल, अतर अंसारी, नवादा, नासरीन बेगम, मुजफ्फरपुर, शहजाद नौशाद, सिवान, रोशन आरा, मधुबनी, बंटी यादव, पटना, हिना परवीन, मधेपुरा, किशनगंज में,....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अखतरूल ईमान : सर, एहसान रजा को मारा गया, उसकी बीवी ने मारा।

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है।

श्री अखतरूल ईमान : रिजवान को उसकी बीवी ने अपने नौकर से मरवाया सर।

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है।

श्री अखतरूल ईमान : सर, कैसर की लाश नहीं मिल रही है तीन महीने से सर।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र।

श्री अखतरूल ईमान : सर, यह दुःख की बात है। ये बात कैसे नहीं सुनी जाएगी सर। इन लोगों पर कार्रवाई कराई जाए सर। मक्का किसानों की फसलों का मुआवजा दिलवाए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र। अपना भाषण प्रारंभ करें।

(व्यवधान)

आप बैठ जायें।

श्री प्रकाश चन्द्र : सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में, वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद–विवाद में सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आसन को समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा प्रदेश तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का, अपनी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से अभिनंदन करता हूं। इस सरकार का दूरदर्शी विजन हमारे नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग जी की सोच को साकार करता है। युवाओं का पलायन रोकने के लिए, नए विश्वविद्यालयों, अभियंत्रण विद्यालयों, ए0आई0 की पढ़ाई हेतु अलग से विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कल ही हम लोगों ने सदन में बिल पारित किया है। यह सरकार के विजन को दर्शाता है। यह मेरे सरकार के युवा एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार के प्रति गंभीरता को भी दिखलाता है। हमारी सरकार युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, बिहार के युवाओं के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, 87,383 रुपए के अनुपूरक व्यय बजट को मुख्य रूप से तीन मदों में बांटा गया है। विकास योजना मद, वार्षिक स्कीम पर व्यय इस मद में सबसे बड़ा हिस्सा सड़क, पुल, सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा और ग्रामीण विकास के लिए रखा गया है। जी–राम–जी, जो अभी लॉन्च होने वाला है, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट आदि को रफ्तार मिलेगी। अभी हमारा बिहार तेजी से मेट्रो की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हम शहरी यातायात को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना एवं स्थापना व्यय के लिए अनुपूरक बजट आवश्यक है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश के भुगतान हेतु अनुपूरक बजट आवश्यक है। पीएम आवास योजना, पीएम किसान, जल जीवन मिशन को गति देने हेतु यह अनुपूरक बजट अति आवश्यक है। इस बजट में विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के तहत 9335.35 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महिला सशक्तिकरण, जीविका दीदियों एवं अन्य महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उन्हें उद्यमी बनाने की योजना को इस बजट से नई ताकत मिलेगी। हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। किसानों का अनाज मंडी तक

पहुंचे, हमारे किसान समृद्ध हो, इसके लिए सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्था एवं बेहतर सड़क के लिए यह अनुपूरक बजट, राज्य हित, किसान हित के लिए आवश्यक है। यह पैसा खर्च होगा ग्रामीण सड़कों पर, राज्य की बेटियों की शिक्षा पर, किसानों के हित के लिए, वृद्धों के पेंशन के लिए, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्मान के लिए शुरू की गई है। इसके लिए इस अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान है।

(क्रमशः)

टर्न–11 / संगीता / 23.07.2026

श्री प्रकाश चन्द्र (क्रमशः) : उपाध्यक्ष महोदय, पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है जिसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि हमारे प्रदेश की राजधानी विश्वस्तरीय बन सके तथा निवेशक हमारे राज्य की ओर आकर्षित हों । आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीबों के स्वास्थ्य संबंधी चिन्ताओं को दूर किया जा रहा है। अब गरीबों का आसानी से इलाज हो पा रहा है । बजट का बड़ा हिस्सा लगभग 57 हजार 77 करोड़ रुपया वार्षिक योजनाओं पर खर्च होगा । इस बजट का लगभग 65 परसेंट हिस्सा सीधे तौर पर विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च हो रहा है, जो हमारे राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है । वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक बजट 87 हजार 343 करोड़ का मुख्य उद्देश्य राज्य का सर्वांगीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं सिंचाई, युवाओं को रोजगार, खेलों को बढ़ावा, खिलाड़ियों के लिए अवसर विकसित करना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक को गढ़ना, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बिहार को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है । हमलोगों ने हाल के दिनों में देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने हेलिकॉप्टर से भी बिहार के लोगों को विभिन्न पर्यटन स्थलों तक आवागमन सुगम कराया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लोग बाल्मीकिनगर तक जा सकें । अंत में, मैं एन0डी0ए0 के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार एवं राज्य के युवा एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बिहार के युवाओं, छात्रों एवं उनके अभिभावकों की ओर से राज्य के प्रखंडों में खोले गए 211 डिग्री कॉलेजों के लिए तथा सभी आर्थिक सुख–सुविधाओं से लैश स्मार्ट क्लास के साथ बच्चों को एक साथ 551 संस्वीकृत विद्या निकेतन विद्यालयों के लिए अपनी पार्टी लो0ज0पा0, रामविलास एवं बिहारवासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं । मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग जो हमारे अच्छे कामों की भी प्रशंसा नहीं करते उनको अपनी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, उन्हें यह समझना चाहिए कि बिहार के युवा पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, उन्हें अराजक नहीं बनाइए, उन्हें पढ़ने दीजिए । हमारी सरकार की चिन्ता को

समझिए, हम चिन्तित हैं युवाओं के भविष्य के लिए, हम चिन्तित हैं छात्रों के भविष्य के लिए, आप युवाओं को अराजक बना रहे हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शान्ति, शान्ति ।

श्री प्रकाश चन्द्र : उनको आप उपद्रवी गतिविधियों में लिप्त कर रहे हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें, शांति बनाएं ।

श्री प्रकाश चन्द्र : आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम होता है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं । माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय ।

श्री प्रकाश चन्द्र : महोदय, विपक्ष का काम होता है कि आप सत्ता पक्ष को उनकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाएं । राज्य के विकास में योगदान दें लेकिन आप देख रहे होंगे कि हम सभी जो नए सदस्य हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री प्रकाश चन्द्र : हमलोग यहां इसलिए आए थे कि हमारी सरकार की आलोचना होगी तो हम भी अपनी सरकार...

उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं, माननीय सदस्य आपका समय हो गया है ।

श्री प्रकाश चन्द्र : पर दवाब बनायेंगे लेकिन आलोचना करने वाले नेता प्रतिपक्ष ही गायब हैं । हम सभी नेता प्रतिपक्ष को सुनना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री माधव आनंद जी, आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

श्री माधव आनंद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और अपने नेता आदरणीय उपेन्द्र कुशवाहा जी के तरफ से ग्रामीण विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक बजट का स्वागत एवं समर्थन करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, अब ग्रामीण विकास विभाग की जब बात होती है और हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि कुछ कार्य नहीं हुआ तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से जितने भाई लोग या माननीय सदस्य चश्मा पहने हुए हैं, चश्मे का पावर थोड़ा बढ़ा लीजिए । विकास ग्रामीण इलाकों में कितने हुए हैं, मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा और ...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें । बैठे–बैठे मत बोलिए ।

श्री माधव आनंद : चुनाव में हमलोग सब जीतकर आए तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाके में जितने लोग रहते हैं, सबका दिल जितने का काम हमारी उस समय की सरकार और अभी की सरकार ने की है तो ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे कार्य हुए हैं । वक्त कम है लेकिन आपकी एक–एक बात का जवाब दूंगा । बहुत माननीय साथियों ने बोला कि वित्तीय संकट की स्थिति है । माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग अर्थशास्त्री भी इसमें होंगे, जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं या जितने भी डेवलप नेशन हैं चाहे यूरोप का उदाहरण ले लीजिए, चाहे यू0एस0 का उदाहरण ले लीजिए, चाहे अफ्रीकन कंट्री का ले लीजिए, हर कंट्री कर्ज लेती है क्योंकि स्वाभाविक है जहां विकास होगा तो आपको फंड की आवश्यकता पड़ेगी और जहां विकास ही नहीं करना है, आपके टाईम में विकास नाम की कोई चीज ही नहीं थी तो आप कर्ज काहे का लेते ? आज यू0एस0 का कितना कर्ज है आपको पता होगा, गुप्ता जी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, यू0एस0 के पास भी बहुत सारे कर्ज हैं । सारे डेवलपिंग नेशन कर्ज लेते हैं तो कर्ज की चिन्ता मत कीजिए, वित्तीय कोई संकट यहां नहीं है और अगर कोई संकट है तो मैंने तो पहले भी कहा था कि जब 2026–27 का बजट हमलोगों ने पेश किया था तो मैंने वहां वित्तीय अनुशासन की बात कही थी और जब वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं तो कितना आपका इन्कम और कितना घाटा है उसके बैलेंस की बात मैंने की थी और सरकार ने पूरी व्यवस्था अपने बजट में की तो यहां कोई वित्तीय संकट की स्थिति नहीं है । एक संकट जरूर है माननीय उपाध्यक्ष जी, जो हम हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हमारे विपक्ष के साथी भी मजबूत होंगे लेकिन दुर्भाग्य का विषय है आपके पास न नेता है, न विजन है, आप नेतृत्वविहिन हो चुके हैं क्योंकि जब आपके नेता ही सदन में नहीं बैठेंगे तो आपका हौसला कैसे बढ़ेगा ? यह एक चिन्ता का विषय है उपाध्यक्ष जी । हमलोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को मजबूत करें, अगर विपक्ष के नेता सदन में नहीं बैठते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि उनको विपक्ष के नेता के पद से हटाए जाने की भी आवश्यकता पड़े तो हटाना चाहिए सदन की तरफ से क्योंकि हमेशा लगातार वे गायब रहते हैं । ये तो तीसरी बार मैं देख रहा हूं कि नेता सदन तो हैं ही नहीं, कभी दिखाई पड़ता है नार्वे में हैं, शालिनी जी ने बड़ा अच्छा कहा कभी दिखाई पड़ते हैं दुबई में । सदन का जब सत्र चल रहा हो तो वही एक मौका होता है कि जनहित से जुड़े हुए जितने मामले हैं , ये अपने–अपने क्षेत्र के मामले हैं उनको उठाने का मौका मिलता है लेकिन सदन के नेता की इतनी लापरवाही, उनको तो बिहारवासियों की चिन्ता ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है तो सदन से गायब रहते हैं तो ऐसे विपक्ष के नेता को हमलोग क्या कहेंगे, उनका क्या करेंगे तो...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री माधव आनंद : बस हो गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कम टाईम में जितने कार्य हुए हैं, हम सब लोग सराहना करते हैं और उपाध्यक्ष जी मैं समाप्त कर रहा हूं और अपनी पार्टी के माध्यम से, अपने नेता की तरफ से और जितने मेरे तमाम साथी हैं सबकी तरफ से, कल जो घटना घटित विपक्ष के साथियों के द्वारा की गई है, उसकी घोर निन्दा भी करता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण बाबू ।

श्री अरूण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो समझता हूं कि...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शान्ति–शान्ति । शान्ति बनाएं ।

श्री अरूण सिंह : बिहार के विकास के संबंध में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है । पिछले दिनों बिहार विधान सभा के अंदर ही एक प्रस्ताव हुआ जातीय जनगणना कराने का और जातीय जनगणना ने बिहार की तस्वीर को साफ–साफ रखने का काम किया है । जहां 34 परसेंट परिवार 6 हजार से कम आय पर जिन्दगी बसर कर रहे हैं और उसको 10 हजार कर दिया जाए तो 63 परसेंट बिहार के परिवार गुजर–बसर करते हैं इसलिए बिहार के विकास के सवाल पर मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहस की जरूरत है, सच्चाई तो यही है । सच्चाई तो हम नहीं लाए हैं, जांच के जरिए पैदा हुआ, जांच के जरिए जो आया वही है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत जो है यह युवाओं का देश है । युवाओं का भारत भी कहा जाता है लेकिन 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए हैं ।

(व्यवधान)

हम देश के बारे में कह रहे हैं, हिमाचल हो, पंजाब हो चाहे जहां भी हो लेकिन 152 पेपर लीक हुए हैं तो भविष्य किसी का खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं यह बात जानना चाहता हूं । अगर भविष्य खराब हुआ है तो इसका कोई दोषी होगा कि नहीं होगा ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री अरूण सिंह : इसका कोई जिम्मेवार होगा कि नहीं होगा ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं कीजिए ।

श्री अरूण सिंह : कौन होगा इसका जिम्मेवार ? और देश के छात्र–युवा ये मांग रहे हैं कि इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए ।

(क्रमशः)

टर्न–12 / यानपति / 23.07.2026

(क्रमशः)

श्री अरूण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, कौन गलत मांग है। यह मांग होना चाहिए कि नहीं, आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश है...

उपाध्यक्ष : अरूण बाबू, आपका समय हो गया है।

श्री अरूण कुमार : लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। ये मजबूत आप करेंगे या नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष : आप बैठ जायं, आपका समय हो गया है।

श्री अरूण कुमार : यह सवाल है महोदय। अभी समय हो रहा है महोदय।

उपाध्यक्ष : एक ही मिनट था, तीन मिनट दिए हैं।

श्री अरूण कुमार : दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना दो साल से बंद पड़ा हुआ है जितने बिहार में काम चल रहे हैं वे सारे काम आज बंद पड़े हैं। मैं नहीं जानता हूं क्यों बंद पड़े हैं, अगर पैसे हैं बिहार मे ंतो यह काम तो होना चाहिए। बहुत सारे टेंडर स्वीकृत था, टेंडर भी हुआ था, मुख्यमंत्री जाकर शिलान्यास भी कर दिए...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायं।

श्री अरूण कुमार : लेकिन काम नहीं हो रहा है महोदय...

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है।

श्री अरूण कुमार : इसलिए इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए, क्यों है ये...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार। आपके पास एक मिनट का वक्त है।

श्री अरूण कुमार : सारा सवाल है। ठीक है धन्यवाद।

श्री अजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं और ग्रामीण विकास विभाग की मूल जो है आज बजट पर बात करना है, कई तरह की बात लोग कर रहे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, सदन में कौन है, कौन नहीं है, इसपर बहस करने की बजाय इस सदन को बहस करना है बिहार को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाया जा सकता है। मैं जहांतक समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिहार में विकास हुआ लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि विकास का पैमाना क्या है। अगर बिहार का विकास हुआ, बिहार में सबसे निचली पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं उसके रहन–सहन और उसके खाने–पीने की थाली में व्यंजन में सुधार हुआ कि नहीं, पलायन बिहार का रुका या नहीं, अगर इसकी व्याख्या कर लें तब आपको पता चलेगा यह मेरा डाटा नहीं है, 63 लाख लोग पलायन कर रहे हैं यह सरकारी आंकड़ा है। बिहार के अंदर आवास योजना की जो हालत है यह श्रवण बाबू ने सेंट्रल को रिपोर्ट भेजा था 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार लोग बेघर हैं उसमें मात्र 39 लाख लोगों को घर दे पाए हैं, बाकी लोगों को कितने दिनों में घर दे पाइयेगा। लोग मर जायेंगे तब उनको घर दीजिएगा, कितने लोग भूमिहीन हैं इस बिहार के अंदर, इस

बिहार के अंदर 1 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जमीन देने के लिए आपको कौन मना कर रहा है, आपका ही अपना रिपोर्ट डी–वन उपाध्याय आयोग का रिपोर्ट कहता है 22 लाख एकड़ जमीन आपके पास पड़ी हुई है, उस जमीन को बांटने से आपको कौन रोक रहा है, उस जमीन को अगर आप बांट दीजिए सभी भूमिहीन को जमीन मिलेगा और जब सभी भूमिहीन को जमीन मिलेगा तो सबको उपज करने की ताकत मिलेगी और बिहार का विकास होगा लेकिन यह काम आप नहीं करेंगे चूंकि भू–स्वामी उस जमीन पर कब्जा किए हुए है और उसी की ताकत पर आपकी सरकार बनी हुई है और जब उसकी ताकत आपकी सरकार बनी हुई है, आप उस जमीन को नहीं बांट सकते। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया।

श्री अजय कुमार : महोदय, 30 सेकंड हम लेना चाहते हैं, ग्रामीण विकास विभाग जिनका इनका सबसे बड़ा स्वच्छता, स्वच्छताकर्मी को जो है सिर्फ 100 रुपया रोज तीन हजार रुपया महीना पर काम लेते हैं, बिहार के अंदर न्यूनतम मजदूरी कानून क्या कहता है, एक दिन का काम आप लेते हैं, आपको पौने चार सौ रुपये उसकी मजदूरी देना है लेकिन आप सरकारी काम, सरकार आप फैसला लेते हैं 100 रुपया...

उपाध्यक्ष : अब आप आसन ग्रहण करें।

श्री अजय कुमार : इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि...

उपाध्यक्ष : अजय बाबू, आपका समय हो गया है।

श्री अजय कुमार : सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिस पेंशन को बढ़ाने की बात आपने थोड़ी सी की थी लेकिन आज भी बिहार देश के 11 राज्य से कम आप देते हैं उसको...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायं।

श्री अजय कुमार : मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

(व्यवधान)

जितना हल्ला कीजिएगा...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : जबतक हम बोलेंगे नहीं, छोड़ेंग नहीं। चाहे जितना हो जाय...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : हम समय वहीं से काउंट करेंगे, जहां से शोर–शराबा खत्म होता है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर मुखातिब हों।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : मुझे बोलने देना होगा उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

चाहे जितना हल्ला कर लें आप। जबतक हम बोलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं आज।

उपाध्यक्ष : आप आसन की ओर देखें।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : उधर मत देखिए। आप आसन की ओर देखिए।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : मैं सिर्फ सहरसा पर रहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र सहरसा के साथ कोशी का 76 परसेंट फ्लड एफेक्टेड एरिया है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाएं। माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : पटना हाईकोर्ट ने 2023 में...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायं।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : कोशी के, सहरसा के फ्लड रिलेटेड जितने भी मामले थे, जमीन रिलेटेड जितना भी मामला था, ये कोशी डेवलपमेंट ऑथोरिटी बनाने की बात कही थी...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखें। शांति बनाएं।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, पटना हाईकोर्ट ने सहरसा सहित कोशी के फ्लड रिलेटेड इशूज को जमीन रिलेटेड इशूज को सरकार को निर्देश दिया था कि कोशी डेवलपमेंट औथोरिटी बनाया जाय जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार ये मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी थी सर जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार और नेपाल सरकार के लोग रहेंगे और अन्य लोग रहेंगे और उस कमेटी का क्या हुआ ये पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसके बाद सर आपको पता है कि, आप भी उसी एरिया से आते हैं 76 परसेंट फ्लड प्रॉन एरिया है और उसमें हमेशा वहां के हजारों किसान और जमीन के लोग आज बसने के लिए मजबूर हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपलोग थोड़ा सा इसपर ध्यान दीजिए, कोशी रिवर की वजह से जो कोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, जो लोग बांधों पर...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायं।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : कोशी स्पेसिफिक कोई प्लान बनाइये, कोई प्रोग्राम बनाइये, ताकि हमारे...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : सहरसा के लोगों...

(व्यवधान)

सर, तेजस्वी यादव जी के बारे में बता देना चाहते हैं...

उपाध्यक्ष : बैठ जायं–बैठ जायं।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : सब लोग पूछते हैं कि तेजस्वी यादव जी कहां गए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुजीत कुमार।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : तेजस्वी यादव जी नहीं हैं तो इतना परेशान हैं, तेजस्वी यादव जी अगर आ जायेंगे तब क्या होगा, इसको समझिए आपलोग।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुजीत कुमार जी।

श्री सुजीत कुमार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ मैं गौड़ा बौराम की जनता और संपूर्ण दरभंगा जिला की जनता का आभारी हूं जिनके आर्शीवाद से मैं आज बोल रहा हूं। महोदय, इस विषय पर सदन में बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, कई लोग अनुपूरक बजट के साथ में और भी कई सारे मुद्दे उठाए हैं, उनका बढ़िया से जवाब भी दिया गया है एक महाशय ने सवाल उठाया कि बिहार डेफिसिट में चल रहा है, श्रीमान् अगर डेफिसिट न हो तो हमारी यह वित्तीय व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। डेफिसिट इसीलिए है क्योंकि बिहार सरकार कटिबद्ध है बिहार के विकास के लिए, इसीलिए हम खर्च ज्यादा करते हैं और लोन हमको सॉफ्ट लोन मिलता है, हमको बहुत ही कम रेट पर लोन मिलता है और उसको हम अपनी जनता के लिए खर्च करते हैं। विपक्ष के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है इसको कृपा करके समझ लिया जाय। दुनिया का हर बड़ा और डेवलप्ड कंट्री में डेफिसिट बजट ही होता है। जीरो बजटिंग से कभी विकास नहीं होता है और देश, कम से कम भारत जैसा देश और बिहार जैसा राज्य, अगर हमलोग जितना इनकम है और कितना एक्सपेंडीचर है, अगर इसकी बराबरी करने लगें तो हमारा विकास नहीं होगा, हमारी चिंता इसी में रहेगी कि इनकम आया या नहीं, तभी हम खर्च करेंगे। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार जनता के विकास के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशील है और जागरूक है कि पहले खर्च करती है और उसके बाद हमलोग कहीं न कहीं से उस खर्च की भी हमको व्यवस्था हो जाती है, चाहे केंद्र सरकार दे, बैंक दे या हमारे अपने इंटरनल रिसोर्सेज से हो। महोदय, आज प्रथम अनुपूरक के माध्यम से विभागीय प्रस्ताव के वित्तीय वर्ष–2026–27 के प्रथम अनुपूरक के माध्यम से वी0बी0 जीरामजी के अंतर्गत 93 अरब 35 करोड़ 34 लाख 52 हजार

रुपये की मांग की गई है, महोदय, वी0बी0 जीरामजी में हमारे पास जितना पहले खर्च था उससे बहुत ज्यादा हो गया है। कारण क्या है कि अभी 60–40 के रेशियो में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पैसा देती है, यानी कि हर 100 रुपये में 40 रुपये बिहार सरकार को देना है, उसके लिए बजटिंग तो करना होगा, उसके लिए हमें डिमांड करना होगा।

टर्न–13/मुकुल/23.07.2026

क्रमशः

श्री सुजीत कुमार : इसलिए हमलोग यह अनुपूरक बजट लेकर आये हैं । साथ ही साथ रोजगार का जितना सृजन अभी तक हो चुका है, वी0बी0जी0 राम जी योजना में उतना शायद बिहार में पहले कभी नहीं किया गया था। जीविका के माध्यम से हमारे लिए, बिहार के लिए जीविका एक वरदान सिद्ध हुआ है, गांव–गांव में रोजगार का सृजन हो रहा है और महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं जीविका समूह के केन्द्र में हैं और उन्हीं के आस–पास यह पूरा जीविका का ताना–बाना बुना गया है, जब हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होंगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ पायेगा तो एक डिमांड हमारा जीविका समूह के लिए भी है साथ में पुराने मनरेगा, पुराना जो पहले मनरेगा था अभी अब वी0बी0जी0 राम जी, हमको लगता है जी राम जी बोलने में कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही होगी तो पुराने मनरेगा में हमको 33 अरब 42 करोड़ 12 लाख 1 हजार रुपये का देनदारी है, उसके लिए भी सरकार प्रावधान कर रही है, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2 अरब 45 करोड़ 32 लाख 49 हजार रुपये का डिमांड किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 अरब 49 करोड़ रुपये का डिमांग किया गया है, बी0आर0टी0पी0 यानी बिहार ग्रामीण परिवर्तन योजना के तहत 3 अरब रुपये टोकन मनी के रूप में जो पुरानी इंदिरा आवास योजना थी पहले जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गयी उसके तहत 1 लाख रुपये और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 831 लाख रुपये का डिमांड किया गया है, अर्थात् कुल मिलाकर के 136 अरब 82 करोड़ 63 लाख 96 हजार रुपये की स्वीकृति के लिए डिमांड किया गया है । साथ ही साथ हमारे विपक्ष की तरफ इसमें कुछ कटौती की गयी है, मैं कटौती का विरोध करता हूं और सरकार का जो डिमांड है उसका मैं समर्थन करता हूं । महोदय, बिहार में 1 जुलाई से वी0बी0जी0 राम जी योजना लागू की गयी है, इस योजना में बहुत कुछ ऐसा प्रावधान किया गया, जिससे हर स्टेट के ऊपर वित्तीय रिस्पोंसिब्लिटी आये, जो सबसे पहला किया गया कि 60/40 के रेश्यो में सेंट्रल और स्टेट किया जाए । जब स्टेट गवर्नमेंट 40 परसेंट हिस्सेदारी करेगी योजना में तो स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा यह देखना होगा कि क्या हमारी राशि सही ढंग से एक्सपेंड हो रही है या नहीं तो एक यह इसमें प्रावधान किया गया । नंबर ऑफ

डेज जितना दिन का पहले कार्डधारकों को काम देने की योजना थी उससे ज्यादा इसको किया गया 125 दिन किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही साथ हमारे यहां पर जितने भी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे थे, पुराने वाले मनरेगा से अब वह वी0बी0जी0 राम जी में उसको और सुदृढ़ किया गया । बस एक एग्जामपल कहना चाहूंगा महोदय, हमारे यहां जो पहले योजनाएं चल रही थीं उसमें नाले का प्रावधान कुछ जगहों पर था, लेकिन गांव के क्षेत्र में कई जगहों पर नाले बनाये गये थे एक एण्ड से दूसरे एण्ड तक नाला बनाया गया, नाले की निकासी कहां होगी किसी को पता नहीं था, हम सब लोग अपने–अपने क्षेत्रों में कुछ ऐसे नाले देखे होंगे, जिसमें नाला न बनकर के एक बड़ा सा, लंबा सा टैंक बन गया । अभी जो वी0बी0जी0 राम जी योजना आयी है इसमें प्रावधान किया गया है नाला तब तक नहीं बनेगा, जब तक उसका एण्ड प्वाइंट नहीं होगा, यह योजना अच्छी है या खराब है यह हम सब लोग समझ सकते हैं । पानी कहां निकलेगा एक इंटीग्रेटेड योजना, अभी जो वी0बी0जी0 राम जी योजना के तहत जितना भी कार्य होना है, सब एक इंटीग्रेटेड योजना के तहत होना है, स्टैंड एलॉन न ही रोड बनेगा, न ही स्टैंड एलॉन नाला बनेगा, न ही सड़का का कोई दूसरा काम होगा । महोदय, हमारा एक विभाग को सुझाव भी था, आजकल जब से पक्की सड़क बननी शुरू हो गयी है गांवों में, सीमेंटेड सड़क बनना शुरू हो गया है तब तक गांव में हमलोग देखते हैं कि जल जमाव की समस्याएं लगभग हर गांव में उत्पन्न हो गयी हैं, रोड का न ही कोई प्रोपर ग्रेडिएंट होता है, क्योंकि ग्रामीण सड़क उसका न ही कोई प्रोपर ग्रेडिएंट होता है और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा खर्च विभाग के द्वारा हर गांव में नाले के ऊपर अगर किया जायेगा तो गांव में ग्रामीणों का जीवन स्तर और भी अच्छा हो जायेगा साथ में बीमारी भी थोड़ी कम होगी, इसके लिए सीमेंटेड ब्लॉक्स, अगर हमलोग रोड ढालने के बदले अगर हमलोग सीमेंटेड ब्लॉक्स बनाते हैं तो पानी का सीपेज ग्राउंड वाटर में होगा और साथ ही साथ हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जायेगा । महोदय, एक और मसला है.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री सुजीत कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं । एक और मसला है रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, कुछ–कुछ भवन, कुछ ऐसे गांव हैं जिनके पास एक भी भवन नहीं है और कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनके पास बहुत सारे भवन हैं । महोदय, अभी सरकार की एक योजना आयी है कि हर पंचायत में एक विवाह भवन बनाने का, हमारा सरकार को एक सुझाव रहेगा, माननीय मंत्री महोदय हैं कि इस योजना का एक्सटेंड करके हर गांव जिसमें 200 या ज्यादा परिवार रहते हैं उस गांव में एक विवाह भवन या एक सामुदायिक भवन या किसी तरह का एक सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जहां पर गांव के लोग बैठ सकें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं, आपका समय हो गया है ।

श्री सुजीत कुमार : गांव के लोग बैठ सकें और उनका कार्यक्रम हो सके ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, मैं सरकार के इस अनुपूरक बजट की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सदन से सहमति चाहता हूं । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी साहब । आपके पास 4 मिनट का वक्त है।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद । अभी प्रथम अनुपूरक बजट की बातें हो रही हैं हम उसका समर्थन करते हैं और अपनी बात कहते हैं कि ग्रामीण विकास योजना से गांवों में आवास योजना का लाभ लोगों को दिया जाता है, आवास योजना का लाभ जो मजलूम लोग हैं, मजदूर लोग हैं उनको दिया जाता है और उनके पास आवास बनाने की भूमि नहीं है । सरकार बासगीत पर्चा के द्वारा, बन्दोबस्ती पर्चा के द्वारा और सिलिंग एक्ट की जमीन को उनको देते हैं, उनका उपयोग वे करते हैं । सरकार की योजना अच्छी है, पहल अच्छी है अभी भी चल रही है, लेकिन उसमें मेरा कहना है कि जितनी भी जमीन सरकार के द्वारा दी जाती है बासगीत पर्चा के द्वारा, बन्दोबस्त पर्चा के द्वारा उस पर सरकार कब्जा दिलाने से महरूम हो जाती है । हम उसमें कहना चाहेंगे कि सरकार शिविर लगाकर वैसे लोगों को जिनको जमीन दी गयी है, अगर उनको शिविर लगाकर जमीन दे दी जाए तो हमलोग आवास योजना का लाभ उनको सही मायने में देंगे । दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि 2023 में जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना में सभी जातियों की गणना हुई कुछ वैसे उप जातियां थीं जिनको जाति में मिलाकर एक कोड दिया गया, मुसहर, भूईया जाति है बिहार में जो सबसे विपन्न है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, राजनीतिक रूप से कमजोर साथ ही साथ वह शैक्षणिक रूप से भी कमजोर है, जिसके कारण वह अपनी बातों को बताने से महरूम हो जाता है । सरकार ने जो गिनती की उसमें उसे दो जाति में बांटकर रख दिया, भूईया को अलग कोड दे दिया गया, मुसहर का अलग कोड दिया गया । उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मुसहर, भूईया जाति को एक कोड देकर के, एक क्रमांक में रखा जाए ।

क्रमशः

टर्न–14 / सुरज / 23.07.2026

(क्रमशः)

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : ताकि सरकार की जो भी योजना है उसको अच्छे तरीके से मिलने का है, वह मिलेगा और इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि वह पानी से भी महरूम है। हम जिस क्षेत्र से जीतकर आते हैं वह रेन शैडो एरिया में पड़ता

है । बारिश वहां काफी कम होती है । इस बार तो और भी कम बारिश हुई है, लोग पानी पीने से महरूम हैं । हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चूंकि यह हमारे बगलगीर के जिला में हैं । हम भी मुंगेर जिला से ही आते थे । हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : कि आपकी कुछ नजर–ए–इनायत हो जाए ताकि उनको पीने का पानी निश्चित रूप से मिले ।

उपाध्यक्ष : कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 कुमार पुष्पंजय जी ।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया । हमारी पार्टी जनता दल(यू) के नेतृत्व एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कुशल दिशा–निर्देशन में मुझे आज वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक व्यय पर सरकार के पक्ष में बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिहार वासियों के लिये अत्यंत गर्व की बात है कि प्रदेश को निरंतर एक दूरदर्शी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है । हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन और उनका विकासवादी दृष्टिकोण बिहार के नव–निर्माण की मजबूत आधारशिला रही है, जिसकी सराहणा पूरे देश में हुई है । उसी विकास यात्रा को नयी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते हुये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के चहुमुंखी विकास और जनकल्याण के लिये पूरी निष्ठा से समर्पित है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये जा रहे ऐतिहासिक क्रांतिकारी एवं जन कल्याणकारी कार्यों के समर्थन में अपनी बात रखने जा रहा हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास और सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर निरंतर आगे बढ़ रही है । राज्य का ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने में पूरी तत्परता से लगा हुआ है । बिहार के 80 प्रतिशत से अधिक आबादी गांव में बसती है और जबतक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक समृद्ध बिहार की कल्पना अधूरी है । हमारी सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिये पूरी निष्ठा से संकल्पित है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जीविका आज केवल एक परियोजना नहीं है बल्कि बिहार की डेढ करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं के स्वालंबन और सामाजिक क्रांति की

कहानी बन चुकी है । बिहार में आज लगभग 32 लाख से अधिक जीविका दीदियां लखपती दीदी बन चुकी हैं ।

महोदय, बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये हमारी सरकार ने 02 अक्तूबर, 2019 से जल–जीवन–हरियाली अभियान की शुरूआत की थी । इस अभियान के अंतर्गत अब तक 25 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है और जो निरंतर जारी है ।

महोदय, राज्य को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के तहत अभूतपूर्व कार्य किये जा रहे हैं ।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी सुविधा पहुंचाने के लिये सरकार कृतसंकल्पित है । महोदय, सरकार बातें कम और काम ज्यादा करने में विश्वास रखती है । जीविका दीदीयों के चेहरों की मुस्कान, गांव में बनती पक्की सड़कें, हरियाली से लहलहाते जलस्त्रोत और स्वच्छ गांव की इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बिहार विकास की एक नई इबारत लिख रहा है ।

सात–निश्चय के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाल ही में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 551 आदर्श विद्यालयों और 211 डिग्री कॉलेजों का उद्‌घाटन किया जा चुका है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर सरकार द्वारा अभूतपूर्व कार्य किये गये हैं । उच्च शिक्षा को नई ऊचाईयों पर ले जाने के लिये निजी विशविद्यालय अधिनियम एक दूरगामी कदम है । इससे हमारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिये दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा ।

महोदय, निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिये राज्यों के नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जो एक खंड में होना चाहिये । जबकि शहरी क्षेत्र में एक खंड में 5 एकड़ जमीन प्राप्त करना कठिन है । इसलिये सरकार से आग्रह है कि आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर के दायरे में कम से कम शहरी क्षेत्र में दो खंड में भूमि पर विचार किया जाए । विश्वविद्यालय खोलने के लिये ट्रस्ट या सोसायटी जो आवेदक होता है उसके द्वारा पहले से अगर कोई संचालित संस्था है तो उसकी भी जमीन को 5 एकड़ की जमीन में शामिल करने पर सरकार विचार करे । यह मेरा आग्रह है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर हमारे राज्य के ऊर्जावान माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री निशांत जी के कुशल कार्यप्रणाली की विशेष रूप से भूरी–भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं । उनकी कार्यशैली में संवेदनशीलता भी है, कठोरता भी...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है । आप कृपया बैठ जाएं ।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी वाद–विवाद में सरकार के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूं । मैं आसन को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं । अपनी पार्टी के नेता राजू तिवारी जी और उप नेता प्रकाश चन्द्रा जी का भी हमें समय देने के लिये आभार व्यक्त करता हूं । आज ग्रामीण विकास विभाग के अवसर पर बोलने के लिये मौका मिला । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विकसित हो रहा है इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने नेता ग्रामीण विकास मंत्री, श्रवण कुमार जी का अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की तरफ से ढ़ेर सारी बधाई, शुभकामना देता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की सोच को हमारी बिहार की धरती पर उतारने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सम्राट जी कर रहे हैं इसलिये पूरे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की तरफ से हमलोग आभार व्यक्त करते हैं । जैसा कि ग्रामीण विकास में हमारी सरकार ने जीविका दीदी पर निरंतर कार्य कर रही है । इससे हमारे क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और उन्हें रोजगार का एक श्रृजन हुआ है । इससे हमारे क्षेत्र में निरंतर महिलाओं में हमारी सरकार के प्रति एक सोच आगे बढ़ी है । उनको रोजगार के रूप में और अपने घर–परिवार को आगे बढ़ाने में निरंतर उन्हें आगे मौका मिला । इसमें निरंतर हमारी सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण विकास में कार्य हो रहे हैं । भी0बी0–जी0, राम जी के तहत विभिन्न नदी, तालाब, आहर, पोखर, नल–जल के माध्यम से निरंतर कार्य हो रहे हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / धिरेन्द्र / 23.07.2026

....क्रमशः....

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : महोदय, और हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज और अभी आदर्श मॉडल स्कूल का भी उद्‌घाटन हुआ और हमलोग निरंतर देख रहे हैं कि पूर्व काल में हमारे यहां चरवाहा विद्यालय खुलता था लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदर्श विद्यालय खोलने का काम किया । उन्होंने निफ्ट के माध्यम से हमारे बच्चों में एक प्रेरणा दी कि आप 12 बजे रात्रि में भी अगर आपको कोई चीज की तैयारी करनी हो तो नेट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं । यह हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और हमारी सड़कें जो पूर्व काल में गड्‌ढों में तब्दील थी, आज हमलोग हर गांव, हर क्षेत्र में आज अच्छी सड़कों में हमलोग जा

रहे हैं । विशेषकर आज मुख्यमंत्री जी युवा, रोजगार कौशल के तहत उद्योग में निरंतर हमारी सरकार कटिबद्ध है । मैं चाहूंगा कि मैं डेहरी डालमिया नगर एक औद्योगिक नगरी से आता हूँ जो सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में है तो हम भी चाहेंगे कि वह उद्योग की धरती रही है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाय, उसे पर्यटक क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाय और ग्रामीण विकास विभाग से भी उसे बढ़ाया जाय । विशेषकर हमारे यहां कोढ़ीगोला प्रखंड में एक महिला महाविद्यालय बनाया जाय, जहाँ लड़कियों को निरंतर पढ़ाई में, शिक्षा में वहां जाने में उन्हें तकलीफ होती है । विशेषकर आज मैं अपनी सरकार को अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा विकसित बिहार और जीविका के माध्यम से बी॰वी॰जी॰ मनरेगा के माध्यम से और विकास कार्य हो रहे हैं और इसी तरह चलता रहे उद्योग कार्य । मैं अनुपूरक बजट के वाद–विवाद में अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग के प्रथम अनुपूरक विषय पर कुल 17 माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में व्यक्त किये हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विकास के बारे में कुछ सुझाव दिए और कुछ माननीय सदस्यों ने इधर–उधर की बात कर अपने समय को समाप्त कर लिया। जिन माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विकास की योजनाओं और ग्रामीण विकास के द्वारा संचालित योजनाओं के संचालन के लिए सुझाव दिया है उस पर ग्रामीण विकास विभाग पूरा अमल करेगा । महोदय, एक माननीय सदस्य अभी सदन में नहीं हैं श्री अखतरूल ईमान साहब, ये जनवरी, 2025 में इनके प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग से मिली है। महोदय, जनवरी से लेकर अब तक इनको मालूम नहीं है इस प्रक्रिया के बारे में और ये सदन में कह रहे हैं कि हमारा प्रखंड कार्यालय स्वीकृत नहीं करते हैं तो हम पैसा कैसे इनको बढ़ायें । अभी इनको रहना चाहिए था, पैसा बढ़ाने के लिए ये कटौती कर रहे हैं तो कटौती इनको नहीं करना चाहिए । दूसरे हमारे माननीय सदस्य विपक्ष के....

(व्यवधान)

आ गए । ये नहीं आते तो ये दोनों प्रखंड का जो आदेश निकाले थे, इसको वापस लेने वाले थे ।

महोदय, ग्रामीण विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और खासकर गांव के गरीबों का बड़ा भरोसा और विश्वास है । अगर किसी के घर में आग लग जाती है

तो सी॰ओ॰ को तलाशने नहीं जाते हैं वे सीधे बी॰डी॰ओ॰ के पास आवेदन लेकर जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि गांव के सबसे नीचे रहने वाले व्यक्ति के घर में अगर कोई आग लग जाय, कोई नुकसान हो जाय तो सीधा बी॰डी॰ओ॰ के पास आवेदन लेकर जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भरोसा है । जब हम गरीबों की योजना के लिए पैसा मांगते हैं तो माननीय विपक्ष के सदस्य कटौती लाते हैं । अब हम मांग रहे हैं पैसा बी॰वी॰जी॰ राम जी॰ योजना के अंतर्गत जिससे हमारा कार्य आगे चलेगा, उसके लिए हम पैसा मांगते हैं तो ये कटौती करते हैं । मनरेगा में पैसा जो मटेरियल का बकाया रह गया है उसके लिए जब पैसा मांगते हैं तो ये कटौती लाते हैं । हम एन॰आर॰एल॰एम॰ जो जीविका को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार पैसा देती है उसके लिए जब पैसा मांगते हैं तो ये कटौती की बात करते हैं । हम प्रधानमंत्री आवास, और ज्यादा चिंता हमारे अरूण बाबू, अजय बाबू करते रहते हैं गरीबों के लिए कि गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है तो इनको जब हम आवास देने के लिए पैसा मांगते हैं तो आप कटौती लाते हैं । आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए लेकिन उनको खुशी नहीं होती है सिर्फ आलोचना में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। आलोचना करिए, आलोचना से हमलोग भागने वाले नहीं हैं, आप आलोचना अगर करते हैं तो हममें जो कमी है, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं । आपकी आलोचना से हमको सम्बल मिलता है, हमको मजबूती मिलती है, यह हमेशा हमलोग इस बात को मानते हैं । अब ये दूसरा, तीसरा और भी जो योजना है, उसके लिए जब पैसा मांगते हैं तो ये कहते हैं कि कटौती कर लेंगे तो जब आप कटौती कीजियेगा तो राज्य का विकास कैसे हो सकता है, राज्य की तरक्की कैसे हो सकती है तो राज्य की तरक्की के लिए आप सरकार को सहयोग कीजिये । आप अगर सहयोग ऊपर से नहीं कर सकते हैं तो दिल से बाहर जब निकलते हैं तो जरूर आप करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास और भरोसा है । बी॰वी॰जी॰ राम जी॰ योजना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, आजीविका मिशन, ग्रामीण अधिनियम, 2025 जिसे सामान्यतः बी॰वी॰जी॰ राम जी॰ योजना कहा जाता है । इसमें जो योजनाएं लेनी हैं, उसमें बहुत प्राथमिकताएं तय की हैं सरकार ने, इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका, जलवायु लचिलापन और केंद्रित कार्य सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र के विकास ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से टिकाव विकास सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल किया गया है और खासतौर पर इसमें श्रमिकों को 125 दिन, पहले 100 दिन का काम मिलता था साल में अब 125 दिन का काम देने के लिए सरकार ने निर्धारित किया है और जब कृषि कार्य हमारे किसान करेंगे तो उस समय जब उनकी रोपनी का काम होगा, उनकी बोआई का काम होगा तो उसमें 60 दिन तक कृषि कार्य में सहयोग करने के लिए, किसानों के काम में सहयोग करने के लिए उनको मनरेगा में काम में नहीं लगाया जायेगा और

इस प्रकार से और भी जो मौसम आधारित हमारी जो चीजें हैं और मौसम आधारित आपदा से निपटने के लिए भी विशेषतौर पर इसमें प्रावधान किया गया है । महोदय, मैं जीविका की तरफ आता हूँ, हमारे माननीय सदस्यों ने जीविका के बारे में सब लोगों ने कहा है लेकिन विपक्ष को इसके बारे में कहना चाहिए, जानना चाहिए और विपक्ष को अगर उसमें सही काम हो रहा है तो उसके बारे में जरूर बोलना चाहिए । अब ये सिर्फ आलोचना करने की बात करते हैं तो आलोचना से सरकार और आप बिहार की तरक्की नहीं कर सकते हैं । महोदय, हमने देखा है बिहार कई राज्यों से छोटा प्रदेश है लेकिन बिहार में जो हमारे जीविका की समूह है, 11 लाख 83 हजार समूह बनाया गया है और कुल 01 करोड़ 81 लाख परिवार तक अभी हमलोग पहुंच गए हैं, ये कौन लोग हैं । ये माले के नेता लोग नहीं समझ रहे हैं क्या, सी॰पी॰आई॰(एम), सी॰पी॰आई॰ के नेता लोगों को यह नहीं मालूम है क्या, आर॰जे॰डी॰ के लोगों को यह नहीं मालूम है, यह हो सकता है लेकिन आपलोगों को तो मालूम है कि जो गांव के गरीब हैं, ये जीविका में कौन शामिल होते थे, जीविका में गांव के गरीब लोग शामिल होते थे । अब तो तीन मंझला के ऊपर से मैडम जी देख रही हैं, बड़े घर की महिलाएं भी अब देख रही हैं कि ये झोला लेकर जाती थी जिस पर फतिहा कसी जाती थी गरीब महिलाओं पर, आज तीन मंझला से झांक कर कहती हैं हम भी अगर शामिल हो जाते तो कितना अच्छा होता, ये है जीविका ।

(व्यवधान)

आपके पार्टी को समय मिला, इधर–उधर की बात करते चले गए और अब आए हैं तो दूसरी बात कर रहे हैं । थोड़ा सुन लीजिये ।

....क्रमशः.....

टर्न–16 / अभिनीत / 23.07.2026

..क्रमशः

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : हमारी बात पसंद नहीं आयेगी, जब आप इधर आइयेगा, इधर आइयेगा तब हमारी बात पसंद आयेगी । उधर रहने पर हमारी बात पसंद नहीं आयेगी..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आलोक जी, आपलोगों ने अपनी बातों को रख दिया है । आपका समय समाप्त हुआ । आप बात रख चुके हैं । सरकार को सुन लीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : तो मैं कह रहा था कि ये जो गांव के गरीब लोग हैं इसको पहले शामिल किया । 2006 से इस योजना को शुरू किया गया और स्वयं सहायता समूह में जो बचत खाते खोले गये हैं उसमें 11 लाख 08 हजार से भी जयादा हमने बचत खाते खोले हैं । 73 हजार 53 करोड़ रुपये ऋण दिलाये गये हैं इनको बैंकों के माध्यम से

रोजगार के लिए और प्रशिक्षण देकर 06 हजार 459 ग्राहक सेवा केंद्र भी बनाये गये हैं । ये बैंकों में हमारे ग्राहक सेवा केंद्र में हमारा काम करते हैं । महोदय, जीविका से जुड़ी दीदियों का भी बीमा हमने कराया है और बीमा के माध्यम से उनको सशक्त बनाया है । इसमें 91 लाख 11 हजार से ज्यादा जीविका दीदियों का बीमा कराया है । उनके दुर्घटना होने पर उनको हम सहायता करते हैं महोदय और वित्तीय वर्ष 2025–26 में, हम सिर्फ इनको बैंकों से पैसा ही नहीं देते हम राज्य सरकार की तरफ से प्रारंभिक पूंजी भी देते हैं यानी, उसको आई0सी0एफ0 बोलते हैं महोदय । 07 हजार करोड़ 566 लाख 90 हजार रुपये हमने प्रारंभिक पूंजी उनको दिया है और वित्तीय वर्ष 2025–26 में आर0एफ0 में हमने 03 हजार करोड़ 89 लाख 94 हजार की राशि उनको अनुदान के रूप में राज्य सरकार की तरफ से दिया है । आप सोच सकते हैं कि सिर्फ बैंकों से पैसा दिलाकर कारोबार नहीं करते, सरकार द्वारा, अनुदान देकर भी उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में हमारी सरकार काम करती है । अबतक कुल अनुदान 2006 से, 15 हजार करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी गयी है । यह राशि, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह काम हुआ है । महोदय, इसी प्रकार से राज्य में जीविका की दीदियों के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2025–26 में 01 लाख 29 हजार समूह को बैंकों से 07 हजार 52 करोड़ से अधिक रुपये ऋण के रूप में दिया गया है । महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है । राज्य स्तर पर एक सहकारी संस्थान, बिहार राज्य की जीविका निधि–सह–सहकारी संघ लिमिटेड जीविका निधि का गठन भी किया गया है । 2006 में अबतक बैंकों से जो हमलोगों ने पैसा दिलाया और जीविका की दीदियों को मात्र एक प्रतिशत पर लोन हम उनको देते हैं । महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी जो जीविका दीदियां हैं वह बैंकों से पैसा लेती हैं । बड़े–बड़े लोग तो पैसा लेकर निकल जाते हैं, लेकिन इतनी ईमानदारी, इतनी निष्ठा के साथ 99 परसेंट से ज्यादा रिकवरी रेट है । समय पर जमा करते हैं, तब ये आगे बढ़ रहे हैं । अगर इनमें निष्ठा, ईमानदारी नहीं होती तो ये आगे बढ़ने वाली नहीं थी । अररिया में, अररिया में नेता जी लोग हैं, अररिया में सीमांचल बकरी उत्पादन कंपनी बनाकर 19 हजार 956 परिवार को जोड़ा है । आज हमारी दीदियां काफी तरक्की कर रही हैं । राज्य में अब तक 07 हजार 781 पशु सखी को प्रशिक्षण दिया गया है । अगर गांव में बकरी को, मुर्गी को, पशु को अगर कोई बीमारी हो जाये तो डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, यह हमने प्रशिक्षण देकर जीविका की दीदियों को आगे बढ़ाया है । बकरी पालन 08 लाख 12 हजार परिवारों को ये सेवा हमारे ये पशु सखी दे रही हैं । राज्य में 2026–27 में 01 लाख 91 हजार 317 परिवारों को पशु पालन से जोड़ा गया है । महोदय, कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर, नई तकनीक

से खेती के कार्य में 46 लाख 89 हजार किसान दीदी को काम में लगाया गया है । राज्य में जीविका दीदी के द्वारा 61 उत्पादक कंपनी बनायी गयी हैं, जिससे वे उत्पाद को बाजार से जोड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं । राज्य में 520 कस्टम हायरिंग सेंटर संचालित किये जा रहे हैं । जीविका जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 06 हजार 876 किसान दीदी को जोड़ा गया है । 2025–26 में 03 लाख 31 हजार से ज्यादा किसान दीदियों को कृषि से संबंधित योजनाओं से जोड़ा गया और लगातार कार्य चल रहा है । वर्ष 2026–27 में लगभग 04 लाख 29 हजार किसान दीदी को विभिन्न तरह के कृषि कार्य से जोड़ा गया है । 2025–26 में 01 करोड़ 53 लाख लीटर नीरा का भी हमने बिहार में उत्पादन किया है महोदय । अध्यक्ष महोदय, दीदी की रसोई निम्नलिखित संस्थाओं में चलायी जा रही है । बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कैन्टीन चल रही है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज में कैन्टीन, कपड़ा धुलाई का काम, जिला अस्पताल में कैन्टीन, अनुमंडल अस्पताल में कैन्टीन, सभी प्रखंड कार्यालयों में कैन्टीन, सफाई का काम, परिवहन विभाग में कैन्टीन, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 हॉस्टल में कैन्टीन, अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर बनाकर रोजगार के अवसर के साथ–साथ 29 लाख बैग का निर्माण किया गया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं । आलोक जी, आपको बोलने का मौका मिला है । आपको बोलने का अवसर मिला था और आपने अपनी बातों को रख दिया है । प्लीज, बिना अनुमति के नहीं बोलिए ।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : कोईलवर के मानसिक आरोग्यशाला में दीदी की रसोई, कपड़े की धुलाई–सफाई, कपड़ा सिलाई प्रशिक्षण, बिहार पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण पा रहे पुलिस के लिए कपड़ा सिलाई का काम, कोईलवर एवं गरौल में जीविका दीदी की सिलाई संचालित है । राज्य भर में 01 हजार 365 सिलाई मशीनों के माध्यम से सिलाई की जा रही है । प्रत्येक प्रखंड में सिलाई केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे 40 हजार से ज्यादा जीविका दीदी को प्रशिक्षण दिया गया है और 51 हजार से ज्यादा जीविका दीदियों को रोजगार मिला है । ये तो हमेशा भागते ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं बहुत अच्छी बात है ।

(व्यवधान)

नेता ही भाग गये, तो इनको भगा देते हैं आपलोग बगल में बैठकर । अध्यक्ष महोदय, बिहार में जब शराबबंदी हुई, हम सबके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने

शराबबंदी की और जो तारी बेचकर, शराब बेचकर जिन्दगी बसर करते थे उनको भी चिन्हित करने का काम किया । वैकल्पिक रोजगार उनको दे सकें उसके लिए 02 लाख 01 हजार लोगों को बिहार में हमने चिन्हित किया, राज्य के खजाने से 01 रुपये से लेकर 02 लाख रुपये तक वैकल्पिक रोजगार के लिए हमलोगों ने दिया है । महोदय, बिहार देश का पहला राज्य है जहां सतत जीविकोपार्जन योजना चलायी जा रही है । आज लाखों दीदियां लखपति बन गयी हैं । महोदय, इस प्रकार का काम हमलोगों ने बिहार में किया है ।

महिला रोजगार योजना की चर्चा करते हैं, तब तो तरह–तरह की बात ये बोलते थे । ये गांव में अब जाने वाले नहीं हैं, ये अब गांव में जायेंगे महोदय तो शायद उनकी बीमारी ठीक होने वाली है, ऐसी दवा वहां होगी । हमने जब बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाया, महिलाओं को अर्थिक दृष्टिकोण से उनको आगे बढ़ाया और 01 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खाते में, जीविका की दीदियों के खाते में रोजगार करने के लिए जब हमलोगों ने उनको प्रोत्साहित किया तो ये लोग तरह–तरह की बात बोलते थे । ये इसीलिए नहीं टिकते हैं कि ये तरह–तरह की बात बोलकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं । इनका काम सिर्फ समाज को तोड़ना है, समाज में उत्तेजना फैलाना है, समाज में गैर बराबरी पैदा करना है । यह काम हमारे विपक्ष के लोग करते हैं । इनको आज बात सुनने की साहस और हिम्मत नहीं है । महोदय, आपसे कहना चाहते हैं कि हमने 72 हजार महिला संवाद किया है और पूरे बिहार की महिलाओं के संवाद से जो चीजें निकली हैं सबलोगों को मालूम है । आज अगर 125 यूनिट बिजली फ्री है, हमारी सरकार ने किया है और हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है, हमारे सम्राट चौधरी जी ने किया है तो यह जीविका दीदियों की देन है । आज 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है तो इसी 72 हजार महिला संवाद से निकली हुई चिंगारी है कि आज 400 रुपये से 1100 रुपये किया गया है । इस प्रकार से इतना ही नहीं इसके अलावे भी जो हमारे दीदियों ने सुझाव दिया है । सुझाव दिया वहां पर कई तरह के जीविका भवन बनाने के लिए, वहां पर जीविका भवन बनाने के लिए, विवाह मंडप बनाने के लिए तथा दीदियों ने लाइब्रेरी और तरह–तरह के अधिकार केंद्र के बारे में, हॉस्पिटल में काम के बारे में तरह–तरह के सुझाव दिये हैं । हमारी जो जीविका की दीदियां हैं वह सिर्फ अपनी चिंता नहीं करती हैं, सिर्फ परिवार की चिंता नहीं करती हैं, समाज की चिंता करती हैं कि समाज कैसे उठे । गांव के गरीब, शहर के गरीब कैसे उठें, इसकी चिंता हमारी जीविका की दीदियां करती हैं । महोदय, आपको और सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जीविका की दीदियां मधुमक्खी पालन कर आज जीविकोपार्जन कर रही हैं । इसमें 11 हजार 855 दीदियां लगी हैं और अब तक 04 हजार 340 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है ।

क्रमशः

टर्न–17 / अंजली / 23.07.2026

(क्रमशः)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : हम जीविका के माध्यम से शहद का उत्पादन करते हैं, आज हमारी डाबर की जो कंपनी है, उनको हम शहद भेजने का काम करते हैं । प्रधानमंत्री आवास की चर्चा, उनको रहना चाहिए था, प्रधानमंत्री आवास के बारे में उनको सुनना चाहिए था । प्रधानमंत्री आवास में जो छूटे हुए लोग थे, भारत सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सर्वे कराने का आदेश निर्गत किया और कहा कि बिहार में जितने छूटे हुए पात्र परिवार हैं उनको आप जोड़ने का काम कीजिए । 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार लोगों को हमने सूचीबद्ध किया है और भारत सरकार को सूची भेजी है, जैसे ही भारत सरकार से निर्माण के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित होगा, हम बिहार में उसको बनाने का काम करेंगे और अभी कह रहे थे कि दो साल से प्रधानमंत्री योजना का काम बंद है । उनको नहीं मालूम है कि डबल इंजन की सरकार में डबल हमको लक्ष्य मिला है । 12 लाख से 10 हजार से ज्यादा लक्ष्य हमें बिहार को मिला है, उनको नहीं मालूम है, तो मैं मालूम करा देना चाहता हूं, वे चले गए हैं, तो कहीं जरूर सुनेंगे महोदय । यानी 12 लाख 19 हजार लक्ष्य प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं धन्यवाद दिया ।

महोदय, 2026–27 में 1 लाख 91 हजार 446 आवास को हमने पूर्ण कराया है । 2026–27 में 1 हजार 572 करोड़ रुपए हमने इस पर व्यय किया है । महोदय, यह देश का पहला राज्य था जो मुख्यमंत्री आवास योजना चलाया, अब तो देखा–देखी बिहार की नकल दूसरे प्रदेशों ने भी किया है, कई प्रदेश ने और भी इसको शुरू किया है । हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको शुरू किया । जो प्रधानमंत्री आवास में छूट गए थे उनको भी इसमें शामिल करने के लिए, यह काम बिहार में हमलोगों ने किया है । आज 93 हजार से ज्यादा गरीबों के आवास की स्वीकृति दी गई है । 88 हजार 431 आवास पूर्ण किए गए हैं, अब तक राज्य में संसाधन से 1 हजार 98 करोड़ रुपया व्यय किया गया है ।

महोदय, अभी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रामीण विकास विभाग का हुआ था, दिल्ली में मैं गया था, हमने अनुरोध किया है भारत सरकार के माननीय मंत्री से कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा के मजदूरों को 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देते हैं, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री योजना में भी 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देने के लिए आप हमें प्रोत्साहित कीजिए ।

मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, अभी कह रहे थे कि जमीन दीजिए, इधर से मांझी जी भी कह रहे थे कि जमीन दीजिए, तो जमीन हम लोग लगातार दे रहे हैं

। जिनका घर स्वीकृत करते हैं, स्वीकृति के पहले जमीन देते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, अगर वहीं पर वह बसना चाहते हैं तो उनको 5 डिसमिल सरकारी जमीन देते हैं और अगर वहां पर सरकारी जमीन नहीं है, तो यह देश का पहला राज्य बिहार है जहां राज्य के खजाने से हम उनको 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए देते हैं, ऐसी योजना बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं है ।

मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, यह भी दूसरे किसी राज्य में नहीं है, बिहार के अलावे । मुख्यमंत्री सहायता योजना, 1 मार्च, 2010 से पहले जिनके आवास की स्वीकृति मिली है और उनका आवास आधा–अधूरा है, जर्जर है, तो उनको 50 हजार रुपया राज्य के खजाने से देते हैं और जमीन खरीदने के लिए भी देते हैं, तो इस प्रकार से राज्य के विकास के लिए और खासकर गरीबों की तरक्की के लिए हमलोग काम करते हैं ।

महोदय, इसी प्रकार हमारे जो अंचल सह प्रखंड कार्यालय है, आज सदन को बताते हुए प्रसन्नता होगी कि 486 प्रखंड सह अंचल कार्यालय की स्वीकृति दिया है, उसमें कुछ कहीं पर विवाद है वहीं पर रूका है, बाकी जगहों पर प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा ।

महोदय, जल–जीवन–हरियाली योजना, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का यह प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है । इसके तहत, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे नेता ने इस काम को आगे बढ़ाया है और यहां पर पूरी दुनिया जब जलवायु परिवर्तन से परेशान थी, जलवायु परिवर्तन से परेशान थी, उस हालात में जल–जीवन–हरियाली योजना बिहार में चलाने का काम किया गया है और यहां पर पौधे लगाने का काम, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का काम और जितने हमारे जल स्रोत हैं उसके गाद को निकालकर हमने उनको ठीक करने का काम किया है और देश का पहला राज्य बिहार है जहां के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो हम सब के नेता हैं, उनके काम से प्रभावित होकर दुबई के सी0ओ0पी0–28 सम्मेलन में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत किए गए प्रयासों को वैश्विक स्तर पर सराहना की गई ।

चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार बिहार को मिला । 20वें सी.एस.आई.–ई गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्राप्त हुआ । तुलनात्मक दृष्टि से राज्य के भू–जल स्तर में बढ़ोतरी एवं हरित आच्छादन में वृद्धि हुई है । महोदय, सार्वजनिक जल स्रोतों के संरचनाओं को हमलोगों ने ठीक करने का काम किया है और वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं नई तकनीकों के उपाय से जलवायु अनुकूल कृषि के तहत की जा रही खेती 2 लाख 71 हजार 571 एकड़ में की गई

है । कृषि योग्य भूमि 1 करोड़ 43 लाख 85 हजार 389 है, जैविक खेती 86 हजार 152 एकड़ में की जा रही है । टपकन सिंचाई चिन्हित खेती 61 हजार 843 एकड़ में की जा रही है । महोदय, इसी प्रकार से राज्य भर में 21 करोड़ 13 लाख पौधे लगाए गए हैं । बड़े पैमाने पर पौधशाला का भी निर्माण कराया गया है । 3 करोड़ 83 लाख 34 हजार से भी ज्यादा पौधशाला का भी हमने निर्माण कराया है, लेकिन इसमें माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि बच्चों के जन्म दिवस पर, अपने माता–पिता के पुण्यतिथि पर, त्योहारों के अवसर पर अगर एक–एक पौधा हमलोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी हरियाली परत बढ़ेगी । पहली बार जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय मात्र 9 प्रतिशत हरियाली परत था बिहार में और आज बढ़कर 16 प्रतिशत के करीब है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 33 प्रतिशत है, जब तक हम 33 प्रतिशत नहीं पहुंचेंगे जलवायु परिवर्तन से हम निजात नहीं पा सकते हैं, इसलिए मैंने सभी लोगों से अपील किया है ।

महोदय, लोहिया स्वच्छ अभियान के बारे में प्रथम चरण में 1 करोड़ 22 लाख हमने व्यक्तिगत शौचालय बनाया । द्वितीय चरण में भी हम यह काम कर रहे हैं और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का भी काम कर रहे हैं । 9513 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया है, जिनके पास रहने के अलावे जमीन नहीं है गरीबों के लिए और खेल के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान बिहार ने हासिल किया है । यह देश का पहला राज्य है बिहार, जहां 5 हजार 317 खेल मैदान का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और 5 हजार 292 खेल मैदान पूर्ण कर लिया है और अपूर्ण खेल मैदान मात्र 25 है और इसका पूरा एक दिन में पटना से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसका शिलान्यास किया, तो आप सोच सकते हैं कि इतना खेल मैदान देश में एक बार नहीं बना है ।

महोदय, माननीय नेता जी का आदेश हो रहा है कि थोड़ा कम कर दीजिए, हम कम ही कर रहे हैं, खत्म करने वाले हैं, वे जो चले जाते हैं तो मन भी नहीं लगता है ।

महोदय, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सदन को आपके माध्यम से देना चाहता हूं हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, विपक्ष के लोग चले गए हैं, अखबार में कल ही पढ़ ही लेंगे, उनका दरख्वास्त पहले ही आ जाएगा, इन लोगों से पहले । महोदय, राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो राज्य के अंदर सकल घरेलू उत्पाद है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसको बाजार देने के लिए हम पंचायत स्तर पर हॉट का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से कर रहे हैं । राज्य के प्रत्येक पंचायतों में करेंगे, जिन माननीय सदस्यों के क्षेत्र में परती जमीन, सरकारी जमीन है, वहां पर हॉट बाजार बनाने का काम करेंगे यह काम जिला स्तर पर भी करेंगे, प्रखंड के स्तर पर भी करेंगे,

ग्रामीण हॉट का निर्माण करेंगे । जिला और प्रखंड में मार्ट का निर्माण भी करेंगे ताकि हमारे जीविका दीदिओं के जो निर्मित समान हैं उसको बेचने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, यह काम करने का निर्णय हमलोगों ने लिया है । यह जानकार सदन में आप सब को प्रसन्नता होगी कि बिहार के हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल हैं, माननीय महोदय, जहां से आप आते हैं, सबसे बड़ा पर्यटन स्थल तो आज बोधगया है, नालंदा है, राजगीर है, पावापुरी है, वैशाली है, केसरिया है, रोहतास है, बक्सर है, सीतामढ़ी है, इन जगहों पर हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल हैं, देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / पुलकित / 23.07.2026

(क्रमशः)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : हमारे जीविका के उत्पादित जो सामान हैं, जो हम गाँव में बनाते हैं, जो हमारे हुनरमंद लोग हैं, जो शिल्पकार लोग हैं, उनके हुनर को इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा हाट बनाकर के वहाँ पर उनके सामानों को बेचने के लिए, प्रदर्शनी के लिए मौका देना चाहते हैं। महोदय, राज्य के अंदर भी, पूरे भारत के अंदर जो हमारे राज्य हैं, उनके एक राज्य एक प्रोडक्ट को, एक जिला एक प्रोडक्ट को, एक प्रखंड एक प्रोडक्ट को हम इन जगहों पर मौका देना चाहते हैं, जो हमारे शिल्पकार हैं, जीविका की दीदियाँ हैं, उनको यह मौका देना चाहते हैं। इसके लिए इस काम में हम आगे बढ़ रहे हैं ।

अंत में मैं कहना चाहता हूँ, जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2025 की विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार के प्रतिभावान बच्चों को एक करोड़ नौकरी रोजगार देने का उन्होंने संकल्प लिया है । महोदय, एक करोड़ लोगों को नौकरी देने का, रोजगार देने का वचन दिया है और बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। उस संकल्प को हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और बिहार की सरकार इस काम को आगे बढ़ा रही है। इसलिए हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आपने बिहार की चिंता की है और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए बिहार को आप आगे बढ़ा रहे हैं।

अब माननीय विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करना चाहते हैं, जो कटौती प्रस्ताव लाए थे, जो चले गए, अनुरोध करना चाहते हैं सदन से, सदन से कि इस ग्रामीण विकास के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा की जाए ताकि बिहार के

गाँव, गाँव के गरीबों के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए हम काम कर सकें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग का वक्तव्य, जो सदन पटल पर रखा गया परिशिष्ट द्रष्टव्य–1)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटायी जाए ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2026 के उपबंध के अतिरिक्त 13682,63,96,000 (तेरह हजार छः सौ बयासी करोड़ तिरसठ लाख छियानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांग गिलोटिन के माध्यम से ली जाएगी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त–

माँग संख्या–01 कृषि विभाग के संबंध में 558,33,05,000/– (पाँच सौ अठावन करोड़ तैंतीस लाख पाँच हजार) रुपये,

माँग संख्या–02 डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के संबंध में 74,27,95,000/– (चौहत्तर करोड़ सताइस लाख पंचानवे हजार) रुपये

माँग संख्या–03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 232,68,39,000/– (दो सौ बत्तीस करोड़ अड़सठ लाख उनतालीस हजार) रुपये

माँग संख्या–04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 1,03,79,000/– (एक करोड़ तीन लाख उनासी हजार) रुपये

माँग संख्या–06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 12,27,00,000/– (बारह करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये

माँग संख्या–07 निगरानी विभाग के संबंध में 40,00,000/– (चालीस लाख) रुपये

माँग संख्या–08 कला एवं संस्कृति विभाग के संबंध में 4,02,55,000/– (चार करोड़ दो लाख पचपन हजार) रुपये

माँग संख्या–09 सहकारिता विभाग के संबंध में 2,97,20,000/– (दो करोड़ सत्तानवे लाख बीस हजार) रुपये

माँग संख्या–10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 11494,79,26,000/– (ग्यारह हजार चार सौ चौरानवे करोड़ उनासी लाख छब्बीस हजार) रुपये

माँग संख्या–11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 1186,76,44,000/– (एक हजार एक सौ छियासी करोड़ छिहत्तर लाख चौवालीस हजार) रुपये

माँग संख्या–12 वित्त विभाग के संबंध में 14063,71,00,000/– (चौदह हजार तिरेसठ करोड़ इकहत्तर लाख) रुपये

माँग संख्या–15 पेंशन के संबंध में 77,43,97,000/– (सतहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख संतानवे हजार) रुपये

माँग संख्या–16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 3771,13,38,000/– (तीन हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ तेरह लाख अड़तीस हजार) रुपये

माँग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 489,32,90,000/– (चार सौ नवासी करोड़ बत्तीस लाख नब्बे हजार) रुपये

माँग संख्या–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 69,09,48,000/– (उनहत्तर करोड़ नौ लाख अड़तालीस हजार) रुपये

माँग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 5578,98,00,000/– (पाँच हजार पाँच सौ अठहत्तर करोड़ अंठानवे लाख) रुपये

माँग संख्या–21 शिक्षा विभाग के संबंध में 6901,16,62,000/– (छः हजार नौ सौ एक करोड़ सोलह लाख बासठ हजार) रुपये

माँग संख्या–22 गृह विभाग के संबंध में 187,40,52,000/– (एक सौ सत्तासी करोड़ चालीस लाख बावन हजार) रुपये

माँग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में 213,13,00,000/– (दो सौ तेरह करोड़ तेरह लाख) रुपये

माँग संख्या–24 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 57,62,46,000/– (सत्तावन करोड़ बासठ लाख छियालीस हजार) रुपये

माँग संख्या–25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 119,00,00,000/– (एक सौ उन्नीस करोड़) रुपये

माँग संख्या–26 श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के संबंध में 93,00,000/– (तिरानवे लाख) रुपये

माँग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 109,93,51,000/– (एक सौ नौ करोड़ तिरानवे लाख इक्यावन हजार) रुपये

माँग संख्या–31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 52,24,000/– (बावन लाख चौबीस हजार) रुपये

माँग संख्या–32 विधान मंडल के संबंध में 30,00,000/– (तीस लाख) रुपये

माँग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 5,80,61,000/– (पाँच करोड़ अस्सी लाख इकसठ हजार) रुपये

माँग संख्या–35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 158,20,00,000/– (एक सौ अट्ठावन करोड़ बीस लाख) रुपये

माँग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 520,50,00,000/– (पाँच सौ बीस करोड़ पचास लाख) रुपये

माँग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 2180,03,00,000/– (दो हजार एक सौ अस्सी करोड़ तीन लाख) रुपये

माँग संख्या–38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 54,29,50,000/– (चौवन करोड़ उनतीस लाख पचास हजार) रुपये

माँग संख्या–39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 35,45,23,000/– (पैंतीस करोड़ पैंतालीस लाख तेईस हजार) रुपये

माँग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 483,10,15,000/– (चार सौ तेरासी करोड़ दस लाख पंद्रह हजार) रुपये

माँग संख्या–41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 3665,00,00,000/– (तीन हजार छः सौ पैंसठ करोड़) रुपये

माँग संख्या–43 विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 49,98,00,000/– (उनचास करोड़ अट्ठानवे लाख) रुपये

माँग संख्या–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 864,60,23,000/– (आठ सौ चौंसठ करोड़ साठ लाख तेईस हजार) रुपये

माँग संख्या–45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 92,05,82,000/– (बानवे करोड़ पाँच लाख बयासी हजार) रुपये

माँग संख्या–46 पर्यटन विभाग के संबंध में 28,11,00,000 / – (अट्ठाईस करोड़ ग्यारह लाख) रुपये

माँग संख्या–47 परिवहन विभाग के संबंध में 14,76,85,000 / – (चौदह करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार) रुपये

माँग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 3153,03,00,000 / – (तीन हजार एक सौ तिरेपन करोड़ तीन लाख) रुपये

माँग संख्या–49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 103,87,00,000 / – (एक सौ तीन करोड़ सत्तासी लाख) रुपये

माँग संख्या–50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 87,67,88,000 / – (सत्तासी करोड़ सड़सठ लाख अट्ठासी हजार) रुपये

माँग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 16485,88,24,000 / – (सोलह हजार चार सौ पच्चासी करोड़ अट्ठासी लाख चौबीस हजार) रुपये

माँग संख्या–52 खेल विभाग के संबंध में 18,78,04,000 / – (अठारह करोड़ अठहत्तर लाख चार हजार) रुपये

माँग संख्या–53 युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के संबंध में 229,43,59,000 / – (दो सौ उनतीस करोड़ तैंतालीस लाख उनसठ हजार) रुपये

माँग संख्या–54 उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में 156,19,00,000 / – (एक सौ छप्पन करोड़ उन्नीस लाख) रुपये

माँग संख्या–55 सिविल विमानन विभाग के संबंध में 100,00,00,000 / – (एक सौ करोड़) रुपये, से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुई ।

<u>विधायी कार्य</u>

<u>राजकीय (वित्तीय) विधेयक</u>

<u>बिहार विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026</u>

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य लिए जाएँगे।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

टर्न–19 / हेमन्त / 23.07.2026

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक–20 जुलाई, 2026 को उपस्थापित किया गया। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में 87 हजार 3 सौ 83 करोड़ 43 लाख 1 हजार रुपये (87,383.4301 करोड़ रुपये) की राशि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित राशि में वार्षिक स्कीम मद में 57 हजार 77 करोड़ 95 लाख 74 हजार रुपये (57,077.9574 करोड़ रुपये), स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रभृत्त सहित 30 हजार 2 सौ 65 करोड़ 99 लाख 6 हजार रुपये (30,265.9906 करोड़ रुपये) एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 39 करोड़ 48 लाख 21 हजार रुपये (39.4821 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है। कुल प्रस्तावित राशि में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 4 हजार 5 सौ 19 करोड़ 62 लाख 11 हजार रुपये (4,519.6211 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, वार्षिक स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा राज्य स्कीम को शामिल किया जाता है। वार्षिक स्कीम अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में 32 हजार 7 सौ 7 करोड़ 23 लाख 65 हजार रुपये (32,707.2365 करोड़ रुपये) एवं राज्य स्कीम मद में 24 हजार 3 सौ 70 करोड़ 72 लाख 9 हजार रुपये (24,370.7209 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है। प्रस्तावित राशि में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत मुख्यतः विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अन्तर्गत 9 हजार 3 सौ 35 करोड़ 35 लाख रुपये (9,335.35 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अन्तर्गत 3 हजार 3 सौ 42 करोड़ 12 लाख रुपये (3,342.12 करोड़ रुपये), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत 3 हजार 3 सौ 8 करोड़ 69 लाख रुपये (3,308.69 करोड़ रुपये), सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति अन्तर्गत 2 हजार 7 सौ 32 करोड़ रुपये (2,732.00 करोड़ रुपये), सक्षम आंगनबाड़ी पोषण–2.0 कार्यक्रम अन्तर्गत 2 हजार 7 सौ 80 करोड़ 94

लाख रुपये (2,780.94 करोड़ रुपये), अमृत 2.0 योजना अन्तर्गत 2 हजार 1 सौ करोड़ 11 लाख रुपये (2,100.11 करोड़ रुपये), मध्याह्न भोजन योजना/प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अन्तर्गत 1 हजार 3 सौ 59 करोड़ 72 लाख रुपये (1359.72 करोड़ रुपये), आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (ए0बी0एन0एच0पी0एम0) अन्तर्गत 1 हजार 1 सौ 50 करोड़ रुपये (1,150.00 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के साथ–साथ राज्य की स्कीम पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। राज्य स्कीम मद में 24 हजार 3 सौ 70 करोड़ 72 लाख 9 हजार रुपये (24,370.7209 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव है, जो मुख्यतः 6 हजार 7 सौ 10 करोड़ 93 लाख रुपये (6,710.93 करोड़ रुपये) मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु, 3 हजार 6 सौ 65 करोड़ रुपये (3,665.00 करोड़ रुपये) वृहद् सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु, 1 हजार 1 सौ 47 करोड़ 84 लाख रुपये (1,147.84 करोड़ रुपये), बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु, 1 हजार 56 करोड़ 44 लाख रुपये (1,056.44 करोड़ रुपये) लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूंजीगत परिव्यय हेतु 11 हजार 3 सौ 34 करोड़ 8 लाख 4 हजार (11,334.0804 करोड़) रुपये का अनुपूरक प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रभृत सहित 30 हजार 2 सौ 65 करोड़ 99 लाख 6 हजार रुपये (30,265.9906 करोड़) रुपये का अनुपूरक प्रस्तावित है, जिसमें 13 हजार 5 सौ 50 करोड़ रुपये (13,550.00 करोड़ रुपये) आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य में राशि अन्तरण हेतु, 9 हजार 9 सौ 94 करोड़ 34 लाख रुपये (9,994.34 करोड़ रुपये) मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अन्तर्गत उपभोक्ता सब्सिडी हेतु, 2 हजार 6 सौ 58 करोड़ 16 लाख रुपये (2,658.16 करोड़ रुपये), पंचायती राज संस्थाओं को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भुगतान हेतु, 2 हजार 4 सौ 23 करोड़ 47 लाख रुपये (2,423.47 करोड़ रुपये), विभिन्न विभागों के वेतनादि हेतु, 7 सौ 47 करोड़ 98 लाख रुपये (747.98 करोड़ रुपये) पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के बकाये राशि के भुगतान हेतु प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 द्वारा कुल 87 हजार 3 सौ 83 करोड़ 43 लाख 1 हजार रुपये (87,383.4301 करोड़ रुपये) की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सदन से अनुरोध है कि प्रथम अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित करने की कृपा की जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे। महोदय, साथ ही, मैं यह सदन में कहना चाहता हूं कि जो वित्तीय संकट का मामला है, यह घनघोर निंदनीय है और विरोधी लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है, जो इस अफवाह को फैलाते हैं। कहीं–कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न विभागों में कुछ दिक्कतों के कारण भुगतान वगैरह की प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन सबकी गारंटी है कि सबको भुगतान किया जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे पारित करने की कृपा करें।

(माननीय मंत्री, वित्त विभाग का वक्तव्य, जो सदन पटल पर रखा गया परिशिष्ट द्रष्टव्य–2)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23 जुलाई, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 76 है। अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए।

(सदन की सहमति हुई)

अब माननीय सदस्य प्रमोद जी एवं श्याम बाबू जी दो–दो मिनट विषय को रखेंगे। प्रमोद जी।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्र आंदोलन की आड़ में अराजकता उत्पन्न करने की साजिश विरोधियों एवं वामपंथी कारगुजारी की निंदा करते हुए श्रीमान राजधानी पटना सहित राजभर में फैलाने वालों की पहचान सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराकर उपद्रव फैलाने वालों के विरुद्ध विधि संगत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, संपत्ति एवं जान के नुकसान की भरपाई चिन्हित उपद्रवियों की निजी संपत्ति से कराने की मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष : श्री श्याम बाबू यादव जी।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, एक मिनट। महोदय, आग्रह पूर्वक कहना है कि जिन्हें बिहार की जनता नकार चुकी, यह लोग अराजकता फैलाकर सरकार के विकास को अवरुद्ध करना तथा जनता को गुमराह करना चाहते हैं। निवेदन है कि उक्त संदर्भ में प्राथमिकता देकर अपने स्तर से निर्णय लिया जाए। महोदय, जो नीट की चर्चा करते हैं, 2004 और 11

में भी नीट परीक्षा लीक हुई थी और उस समय श्रीमान कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे। श्रीमान मनमोहन सिंह की सरकार थी और राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी थी। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को और बिहार के मुख्यमंत्री मान्यवर सम्राट चौधरी को, जिन्होंने ऐसे तत्वों को, नीट परीक्षा लीक में ऐसे जो भी तत्व थे, उनकी पहचान कर और सरकारी तंत्र लगाकर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम किया है। महोदय, आवश्यकता पड़ी तो कानून भी बनाने का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और मान्यवर प्रधानमंत्री जी का कोटि–कोटि सिर झुकाकर अभिवादन करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के समापन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है।

(सदन की सहमति हुई)

श्री श्याम बाबू यादव जी।

टर्न–20 / संगीता / 23.07.2026

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आसन के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे पक्ष रखने का आपने समय दिया । महोदय, कल जो हमला हुआ, वह जो हमला जानलेवा हमला हुआ, वे जो हमलावर थे, जो हमला करने वाले थे वे कहीं से छात्र नहीं थे । वे छात्र नहीं थे, जो हमलावर थे वे आपराधिक तत्व के लोग थे । जो हमला किया, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा हमला किया कि लाठी–डंडा और बड़े–बड़े पत्थर से हमला कर रहा था । महोदय, हमारे गार्ड जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, उनका हथियार छिनने का प्रयास किया फिर हमारे साथ जो समर्थक बैठे थे, एक चंदन जी थे और जो उनके साथ थे, उनको मारपीट किया गया, उनको घायल किया गया, उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अपनी अध्यक्षता में कमिटी बनाकर सी0सी0टी0वी0 कैमरा खोलकर पूरी घटना को दिखवाया जाए और जितना भी नुकसान हुआ है, जान–माल और जितना संपत्ति का जो बिहार में नुकसान हुआ है, उनपर कार्रवाई करते हुए दोषी के, उनके संपत्ति से इसका क्षतिपूर्ति किया जाए । महोदय, मैं क्या बताऊं कि जब हम पर हमला हुआ, वहां के जो दुकानदार थे, वे हमको अपने दुकान में बैठाकर और शटर गिराने का काम किया और हमलाकर आधा घंटा तक वहीं पर डटे रहे, जब हमने आई0जी0 साहब को फोन किया तो उन्होंने फोन किया तो प्रशासन आया । प्रशासन आया उसके बाद भी 20 मिनट–25 मिनट तक वहां पर हमला करने वाले डटे रहे और फिर जान मारने की नीयत से डटे रहे तब प्रशासन

शटर खुलवाकर हमको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया इसलिए अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं...

अध्यक्ष : धैर्य रखिए, धैर्य रखिए । आ रहा है समय आ रहा है, अपनी बातों को रख दिया ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जांच करवाया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, अब आप बैठ जाइए । श्री राकेश रंजन जी ।

श्री राकेश रंजन : अध्यक्ष महोदय, कल जिस प्रकार हम सभी शान्तिपूर्वक मार्च कर रहे थे और कांग्रेस का झंडा लिए हुए कुछ उपद्रवी, उनके कार्यकर्ता हमारे ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, हमलोग तो शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे । पत्थर अलग–अलग दिशा से हमारे ऊपर गिर रहे थे । हमने भी रोकने का प्रयास किया तो मेरा एक हाथ वहां चोटिल हुआ था और इसको डिफेंड कर रहे थे कि एक और पत्थर मेरे पैर में लगा जिससे मेरा घुटना भी चोटिल हो गया था । खैर, जो हुआ उसकी जितनी निन्दा की जाए वह कम ही होगी । सरकार ने संज्ञान भी लिया है । आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं, युवा मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं । ये कहीं न कहीं बिहार के युवाओं को भटकाकर गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह नम्र निवेदन रहेगा कि इसमें जो भी कार्रवाई हो, इसमें छात्रों के प्रति संवेदना रखते हुए, क्योंकि छात्रों को गलत रास्ते पर भटकाया जा रहा है और जो उपद्रवी हैं वे अपने मंशे को कहीं न कहीं, जो उनका मंशा है बिहार के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने का, उसको लागू करने का काम कर रहे हैं तो जो कार्रवाई हो, वह छात्रों को भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई हो । छात्रों का नाम एक बार अगर कहीं आ गया सरकारी दस्तावेज में, एफ0आई0आर0 में तो उनका भविष्य बिगड़ सकता है तो मेरा आग्रह है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करे ।

अध्यक्ष : श्री रोहित पाण्डेय ।

श्री रोहत पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना है वह लोकतंत्र के लिए एक पूरा काला अध्याय माना जाएगा । लोकतंत्र में सभी को अपने विषय को रखने का अधिकार है लेकिन जिस प्रकार से कल अराजकता फैलाने का काम किया गया है, वह भी कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा संपोषित होकर, यह बिल्कुल निंदनीय है । एक तो जिस प्रकार से सदाकत आश्रम के पास और वहां के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके रहते हुए जिस प्रकार से पत्थरबाजी किया जा रहा था और उसके बाद फिर वहां से निकलने के बाद हम जब इन्कमटैक्स गोलंबर आए और वहां से हाईकोर्ट की तरफ जब मुड़ रहे थे तो वहां पर जिस प्रकार से, उस जगह कहीं भी ईंटा, रोड़ा या पत्थर नहीं मिलता है और यह जो छात्रों को बदनाम करने का काम विपक्ष कर रही है, विपक्ष को माफी मांगना चाहिए इस बिहार के छात्रों से कि उनको भी उन्होंने शर्मसार और बदनाम करने का

काम किया है । हमारा कुछ छात्रों से संवाद भी हुआ है, बातचीत भी हुआ है । जिस प्रकार से जो वहां पत्थरबाज जो इकट्ठे किए गए हैं, वे कोई छात्र नहीं थे, सुनियोजित तरीके से कुछ असामाजिक लोगों को इकट्ठा करके और अराजकता फैलाने के लिए यह कार्रवाई की गई है तो निश्चित रूप से इस पर गहन जांच करके और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : श्री विनय बिहारी जी ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, हमारी गाड़ी और हमारे गाड़ी के पीछे श्याम बाबू जी की गाड़ी थी और जो भीड़ आ रही थी, उसके नेतृत्वकर्ता थे माले नेता संदीप सौरभ, मैंने उनको देखा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संदीप सौरभ जी का मोबाइल ट्रैक किया जाए। मैं यही कहूंगा हमलोग दो आदमी बहुत भाग्य से बचे, अपने मुकद्दर से बचे हैं इसीलिए मैंने सदन में कल कहा कि हंसुआ, बाली, चांद, सितारा आज ले ही लेते प्राण हमारा । मैं इसीलिए बोला क्योंकि अगर उनको दुकानदार ने नहीं बचाया होता तो वे चले गए होते और हमारे अंगरक्षक और हमारे गार्ड ठीक से अपना दिमाग नहीं लगाया होता और ये फोटो भी देखिए, अभी हमारे पटना विधायक हैं, वे बतायेंगे कि कैसे संदीप सौरभ खुद मार रहे थे तो इसलिए उनके मोबाइल की कॉल डिटेल ली जाए । हमारे पास वह भी ऑडियो टेप है जिसमें कोतवाली थाना में हमारी मुलाकात संदीप सौरभ से हुई थी और संदीप सौरभ वहां पर बंदी जो भी लोग थे उनको छुड़ाने के लिए गए थे, वे इंस्पेक्टर साहब ही बतायेंगे ।

अध्यक्ष : सारी बात आ गई है ।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार सिंह : इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं और प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति किस का नाम ले रहा है...

अध्यक्ष : अनुमति लेकर बोलिए । संजय जी, संजय जी नाम पुकारे नहीं खड़े हो गए आप। ऐसी व्यवस्था मत बनाइए । आप बोलना चाह रहे हैं, बोलते हैं अच्छी बात है हम कह ही रहे थे । रत्नेश जी आप बोलिए ।

श्री रत्नेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जितनी बातें आयी हैं, एक नया वाकया कल उपद्रव में हुआ है कि हमारे बिहार के सारे प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ मार–पिटाई हुई है, उनको हिंसा झेलना पड़ा है और उनके साथ बहुत ही दुःखद घटना हुई है, उनके साथ कैमरा छिनने का काम किया गया है और उनको भीड़ तंत्र ने घसीटकर मारने का काम किया है, यह लोकतंत्र पर हमला है महोदय । महोदय, ये पत्रकार जनमत का निर्माण करते हैं, जनता की आवाज बनते हैं और सरकारों को जवाबदेह बनाते हैं लेकिन जिस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारों पर चोट किया गया है, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सुनियोजित साजिश है । महोदय, कई

जो अपने यूट्यूबर हैं, इन्स्टाग्राम के होल्डर हैं, वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर को पैसे के माध्यम से कल के आंदोलन में आमंत्रित करके और ये पूरी सुनियोजित साजिश रची गई है । मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ऐसे दोषियों को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे पत्रकारों को स्वच्छंद कार्य करने का जो वातावरण सरकार देती है वह मिलता रहे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन के माननीय सदस्यों ने कल की घटना पर चिन्ता प्रकट की है और उसके संबंध में अपनी भावना रखी है । मूल रूप से सरकार की सोच और सरकार की समझ भी जो माननीय सदस्यों ने भावना रखी है उसी के साथ है और आज ही हमने प्रथम पाली में उस सदन में यह बताया है कि कल की जो घटना है उसकी शुरूआत नीट परीक्षा में कराकर जो पेपर लीक था उससे शुरू किया गया था लेकिन यह हमलोगों का, सरकार का भी, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, स्पष्ट मानना है कि जिन लोगों ने विधायकों को या पत्रकारों को चिन्हित करके उनपर हमले किए हैं, हिंसा फैलायी है वे छात्र नहीं थे और नहीं हो सकते हैं । ये छात्रों के वेश में या छात्रों की शक्ल में असामाजिक तत्व जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, उनके हो सकता है राजनीतिक मकसद हो या कोई दूसरा मकसद हो, सरकार को अस्थिर करना चाहते हों किसी लेकिन अलग मकसद से वे छात्रों के बीच में प्रवेश करके इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई में संलग्न हुए हैं और जहां तक नीट पेपर लीक का मामला है, एन0डी0ए0 सरकार, चाहे यहां की है या चाहे केन्द्र सरकार है, इतनी संवेदनशील है कि महोदय, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किसी दूसरे की बात नहीं है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया है ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / यानपति / 23.07.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यहां ये लोग जांच की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो घोषणा की, जांच, अनुसंधान...

अध्यक्ष : फार्स्ट ट्रैक।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वो तो उससे एक कदम आगे ट्रायल तक की बात कह दिए हैं कि हम इसका फार्स्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इसका ट्रायल करायेंगे और अपराधियों को जल्द से जल्द, सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। इसलिए महोदय, हम छात्रों की जो भावनाएं नीट पेपर लीक से आहत हुई हैं, हमारी सरकार यहां से लेकर दिल्ली तक की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, हमारी सोच है कि ये पेपर लीक का मामला दुःखद है और महोदय, हम बिहार सरकार की संवेदनशीलता भी बताना चाहते हैं कि

कल ही जो आपने अपराध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन पारित किया है, कल इस सदन ने पारित किया था, आज उस सदन ने पारित किया है, पहली दफा ये पेपर लीक मामला, जो अपराधों की परिभाषा थी उसमें अच्छी तरह से परिभाषित नहीं थी इसलिए उनपर आपराधिक कृत्य के लिए कार्रवाई करने में दिक्कत होती थी, हमलोगों ने कल ही संशोधन करके, आज उस सदन से भी अधिनियम पारित हो गया है, अब पेपर लीक मामले को हमलोग संगठित अपराध जो ज्यादा जघन्य अपराध होता है, उसकी श्रेणी में लाये हैं जिससे इससे जुड़े जो अपराधी होंगे, हमलोग उनके विरुद्ध और ज्यादा सख्त कार्रवाई कर सकेंगे महोदय। इसलिए छात्र जो सही मायने में जिनकी भावना पेपर लीक से आहत हुई है उनके प्रति संवेदना रखते हुए उनकी भावनाओं को जो चोट लगी है, हमें भी उसका दुःख है। लेकिन महोदय, ये पूरे बिहार ने कल देखा है कि जिस ढंग से इनलोगों के बीच में असामाजिक तत्वों ने प्रवेश करके राजनीतिक मकसद से, सरकार को बदनाम, अस्थिर करने के लिए हमारे विधायकों को चिन्हित करके, पहचान करके, पत्रकारों को चिन्हित करके, पहचान करके इनके ऊपर हमला किया है, हिंसात्मक कार्रवाई की है, महोदय यह हमलोगों की सरकार, इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी जो आपलोगों ने मांग की है कि इसकी चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस सबमें देखकर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति में अकारण लिप्त पाये जायेंगे, चिन्हित किये जायेंगे, सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक–24 जुलाई, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

परिशिष्ट—1

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार की कुल जनसंख्या में से लगभग 89 प्रतिशत लोग गाँवों में निवास करते हैं। उनकी गरीबी दूर करने, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग कृत संकल्पित हैं। विभाग अंतर्गत जीविका, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, विकसित भारत– जी राम जी, जल–जीवन–हरियाली अभियान, प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, सतत् जीविकोपार्जन योजना, आधार पंजीकरण, सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी, विकास प्रबंधन संस्थान, आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

दिनांक 01.07.2026 से मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के स्थान पर "Vikshit Bharat-Guarantee for Rojgar and Ajeevika Mission (Gramin)" (वी०बी०– जी राम जी) योजना लागू है । इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करना है । योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच लागत साझेदारी का अनुपात 60:40 है ।

ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाएँ केन्द्र प्रायोजित है। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन एवं योजना के उद्देश्य की वास्तविक पूर्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर से भी कई योजनाएँ संचालित की जा रही है।

आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के दिशा–निर्देशन एवं सुदृढ़ नेतृत्व में विकसित बिहार के लिए सात निश्चयों के अतिरिक्त गाँव का समग्र विकास कर ग्रामवासियों को सम्मान के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक में ग्रामीण विकास विभाग की माँग संख्या 42 के अन्तर्गत कुल 1368263.90 लाख (एक सौ छत्तीस अरब बेरासी करोड़ तिरसठ लाख नब्बे हजार) रूपये का उपबंध प्रस्तावित है। विभाग की योजनाओं के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से सदन को संक्षेप में अवगत कराना चाहूँगा :–

जीविका – बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति

जीविका

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना "जीविका" बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यरत है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं के संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन विकास हेतु वित्तीय सहयोग एवं उनके सम्पोषण के लिए निरंतर कार्य जीविका, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है।

जीविका, बिहार के 1 करोड़ 81 लाख से अधिक परिवारों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। महिलाएँ विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को अपनाकर उद्यमी बन रही हैं।

जीविका द्वारा विभिन्न अवयवों पर कार्य किया जा रहा है जिसकी उपलब्धि एवं लक्ष्य निम्न हैं :–

सामाजिक समावेशन –

- स्वयं सहायता समूह की शुरूआत वर्ष 2006 में 6 प्रखंडों में प्रारम्भ किया गया । वर्तमान में स्वयं सहायता समूह की कुल संख्या 11 लाख 88 हजार 130 है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में करीब 43 हजार समूहों का गठन किया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों के अंर्तगत 1 करोड़ 81 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है तथा 73 हजार 517 ग्राम संगठन एवं 1 हजार 686 संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है।

वित्तीय समावेशन–

- अब तक विभिन्न बैंकों द्वारा 11 लाख 08 हजार स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाता खोले गए हैं और कुल मिलाकर 73 हजार 053 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।
- ग्राहक सेवा केन्द्र खोले जाने की योजना के तहत कुल 6 हजार 677 बैंक सखियों को प्रशिक्षित कर ग्राहक सेवा केन्द्र खुलवाये गए हैं।
- ग्रामीण परिवारों के जीवन बीमा हेतु अब तक कुल स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 90 लाख 94 हजार सदस्यों का बीमा कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में करीब 65 हजार समूहों को बैंक द्वारा 3 हजार 527 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं की उद्यमशीलता को और अधिक गति प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर एक

सहकारी संस्था बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना (जीविका निधि) का गठन किया गया है।

कृषि गतिविधि :–

- अबतक 46 लाख 89 हजार छोटे और सीमांत किसानों को कृषि सम्बंधित गतिविधियों से जोड़ा गया है। महिलाओं द्वारा संचालित 61 उत्पादक कंपनियों के पंजीकरण के साथ किसानों को प्रोत्साहन, उत्पादों का संग्रहण तथा बाजार से उनका लिंकेज किया जा रहा है।
- कृषि विभाग से समन्वय कर जनसमूह संघों द्वारा अबतक 520 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है।
- महिलाओं द्वारा जैविक खेती के संवर्द्धन हेतु अबतक 35 प्रखंडों में 85 जैविक क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं, जिनसे 6 हजार 876 किसानों को जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में लगभग 4 लाख 29 हजार 035 महिला किसान को विभिन्न तरह के कृषि संबंधित योजनाओं से जोड़ा गया है।

पशुधन गतिविधिः–

- पशुधन गतिविधि के अंतर्गत अबतक 15.08 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। अबतक 7 हजार 781 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया गया है जो बकरीपालन करने वाले 8 लाख 12 हजार परिवारों को सेवा प्रदान कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2026–27 में लगभग 1 लाख 91 हजार 314 परिवारों को विभिन्न तरह के पशुधन संबंधित योजनाओं से जोड़ा गया है।

- अररिया में स्थापित सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी द्वारा अबतक 19 हजार 956 परिवारों को जोड़ा गया है।
- कोशी प्रमंडल हेतु स्थापित कौशिकी दुग्ध उत्पादक कंपनी के अंतर्गत अबतक 889 दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले गए हैं। अबतक 38 हजार 561 पशुपालक दूध की बिक्री, इन दुग्ध संग्रहण केंद्रों में कर रहे हैं एवं औसतन प्रतिदिन लगभग 72 हजार लीटर दूध का संग्रहण हो रहा है।

गैर–कृषि गतिविधिः–

- गैर कृषि गतिविधियों के कियान्वयन हेतु 791 उत्पादक समूह एवं 5 उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है।
- गैर कृषि गतिविधि के अंर्तगत स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 4 लाख 89 हजार परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में लगभग 2 लाख 11 हजार 835 परिवारों को विभिन्न तरह के गैर कृषि गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- राज्य बागवानी मिशन, कृषि विभाग बिहार के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 11 हजार 855 से अधिक महिलाएं मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अबतक 4 हजार 340 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।
- ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना अन्तर्गत अबतक कुल 109 परिवारों को व्यवसायिक वाहन की उपलब्धता तथा स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमशीलता

कार्यक्रम (SVEP) के तहत अबतक कुल 43 हजार 242 व्यक्तिगत उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है।

- IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अबतक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है।
- बिहार सरकार के विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जाती एवं जनजाति कल्याण विभाग, गृह विभाग आदि के साथ अभिसरण कर जीविका दीदियों द्वारा अस्पतालों, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 330 'जीविका दीदी की रसोई' का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में 12 नए जीविका दीदी की रसोई स्थापित की गयी है।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 42 सदस्यों को उद्यमी के रूप में चयनित कर मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर का विकास किया गया है, जिसके अंतर्गत अबतक 38 लाख बैग का निर्माण किया जा चुका है ।
- कोईलवर के मानसिक आरोग्यशाला तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों के साथ साझेदारी के तहत दीदी की रसोई का संचालन, साफ–सफाई, लाउन्ड्री, मरीजों के परिधान की उपलब्धता जीविका द्वारा की जा रही है।
- 15 जिला में नोडल सिलाई सह प्रशिक्षण केंद्र पर 1 हजार 365 सिलाई मशीन के माध्यम से सिलाई का कार्य किया जा रहा है। सिलाई कार्यक्रम को विस्तारित करते हुए सिलाई केंद्र किया जा गया है। इसके माध्यम से

52 हजार से अधिक जीविका दीदियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

कौशल विकास

- जीविका एवं विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सियों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में माँग आधारित खुदरा कारोबार, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटो, बिजली आदि क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल विकास एवं नियोजन के क्षेत्र में अबतक लगभग 4 लाख 8 हजार युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित अथवा स्व–नियोजित किया गया है।

सामाजिक समावेशन

- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा योजना से समन्वय कर 987 जीविका दीदियों ने पौधशालाएँ (दीदी की नर्सरी) विकसित किया है। अबतक 5 करोड़ 06 लाख पौधारोपण किया गया हैं।
- सरकारी योजनाओं से सरल जुड़ाव एवं महिला हिंसा पर कार्य करने हेतु 270 प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र स्थापित कर कार्य किया जा रहा है।
- 60 हजार 556 ग्राम संगठनों को जोखिम न्यूनता निधि से आच्छादित किया जा चुका है।
- सामाजिक समावेशन कार्यक्रम के तहत 4,832 दिव्यंगों के समूह बनाकर आजीविका संवर्द्धन का कार्य किया जा रहा है।

- पंचायती राज संस्थानों में जीविका समुदाय आधारित संगठनों के समन्वयन हेतु ग्राम समृद्धि क्षमतावर्धन योजना (VPRP) के कार्य किये जा रहे हैं।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में मद्यनिषेध, बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा आदि सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे तथा संवैधानिक आधिकारों के प्रति 4.87 लाख से अधिक गतिविधियों का आयोजना कर जागरूकता प्रसार का कार्य किया गया है।
- नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियाँ सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं। कुल 372 दीदियाँ इस उद्यम से जुड़ी हुई है। गया जिले में J-WIRES कम्पनी की स्थापना की गयी है जो इस उद्यम को संचालित कर रही है।
- ग्रामीण परिवारों के बच्चों को पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान कराने एवं कैरियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार के 33 जिलों के 117 प्रखंडों में चिह्नित संकुल स्तरीय संघ स्तर पर 'सामुदायिक पुस्तकालय–सह–कैरियर विकास केंद्र' ;सी.एल.सी.डी.सी.द्ध की स्थापना की गयी है।

स्वास्थ्य एवं पोषण

- जीविका के द्वारा 45 स्वास्थ्य सहायता केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जो अस्पतालों में मरीजों को उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करती है।
- बक्सर जिले में एक सेनेटरी नैपकिन निर्माण का उद्यम लगाया गया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना

- राज्य में अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अबतक 2 लाख 1 हजार 218 परिवारों का चयन किया गया है।
- अब तक कुल 2 लाख 1 हजार 218 चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों मे 1 लाख 93 हजार परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि तथा 1 लाख 97 हजार 384 परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति हस्तांतरित की गयी है। योजना द्वारा सहयोग प्राप्त कर ये परिवार गव्य एवं बकरी पालन, माइक्रो एंटरप्राइज और दो व्यवसाय शुरू किए हैं।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना :

- बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू की गयी। इस योजना का क्रियान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार करने हेतु 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरान्त 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी आवश्यकतानुसार प्रदान की जाएगी। यह लाभ महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है,

जिससे उनके पूरे परिवार की आमदनी बढ़े तथा जीवन स्तर में सार्थक सुधार हो सके।

➢ इस योजना अंतर्गत महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गाँवों से लेकर शहरों तक हाट–बाजार विकसित किये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत अबतक 1 करोड़ 67 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगारपरक गतिविधियाँ संचालित करने हेतु 10 हजार रुपये दी जा चुकी है।

लखपति दीदी:

➢ इस पहल के तहत जीविका परियोजना ने ऐसी महिलाओं को लक्षित किया है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे अधिक समूहों से जुड़ने के बाद हो गई है, उन्हें लखपति दीदी का दर्जा दिया जाता है।

➢ लखपति दीदी पहल के तहत जीविका ने महिलाओं को विभिन्न स्थायी जीविकोपार्जन विषयों पर प्रशिक्षित किया हैं। वर्तमान समय में बिहार में 49 लाख 63 हजार जीविका दीदियों को लखपति दीदी योजनान्तर्गत लखपति घोषित किया जा चुका है।

जीविका राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संगठन निर्माण एवं स्वास्थ्य, संपोषण एवं स्वच्छता के लिए संसाधन संगठन (नेशनल रिसोर्स ऑर्गनाईजेशन) के रूप में भी कार्य कर रही है। वर्त्तमान में इस राज्य की महिलाएँ दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियाकलापों के विषय में उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमतासंवर्धन में अपना योगदान दे रही हैं।

जीविका के प्रयासों का नतीजा है कि महिलाओं के अस्तित्व का अधिकार और सामाज में महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ी है। महिलाओं में आत्मबल का संचार

हुआ है और हर दिशा में कुछ सकारात्मक करने का उनका उत्साह निरन्तर बना हुआ है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

राज्य को 'संपूर्ण स्वच्छ' बनाने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं राज्य वित्त सम्पोषित 'लोहिया स्वच्छता योजना' को राज्य सरकार द्वारा समेकित करते हुए 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' (LSBA) का संचालन किया जा रहा है।

❖ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – प्रथम चरण (2014–15 से 2019–20) :

➢ राज्य सरकार द्वारा संकेंद्रित प्रयास के माध्यम से "खुले में शौच" की समस्या का समाधान करने हेतु विकसित बिहार के सात निश्चय–1 अंतर्गत 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' को सम्मिलित किया गया। व्यवहार परिवर्तन केंद्रित जन–जागरूकता कार्यक्रमों, जनभागीदारी एवं बहुआयामी प्रयासों के फलस्वरूप लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण (2014–15 से 2019–20) में 1 करोड़ 22 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान की गयी ।

➢ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के उपरांत इसके सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लाभुक को 12 हजार रूपये का प्रोत्साहन राषि DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में दिये जाने का प्रावधान है।

➢ भूमिहीन परिवारों, प्रवासी मजदूरों, अस्थायी एवं चलंत आबादी को शौचालय की सुलभता प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 सें अब तक राज्य में 9 हजार 513 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया गया है।

❖ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – द्वितीय चरण (2020–21 से 2025–26)

:

➢ विकसित बिहार के सात निश्चय–2 अंतर्गत 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' के संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 'खुले में शौच से मुक्ति' (ओडीएफ) का स्थायित्व बनाये रखते हुये ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा वर्ष 2025–26 तक राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को 'संपूर्ण स्वच्छ' (ओडीएफ प्लस) बनाया जाना लक्षित है।

➢ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत अब तक 25 लाख 4 हजार से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों (IHHL) का लाभार्थियों द्वारा स्वनिर्माण किया गया है।

➢ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत मुख्यतः घरेलू स्तर पर अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु सामुदायिक उत्प्रेरण, घर–घर से ठोस अपशिष्ट का उठाव, परिवहन एवं समुचित निष्पादन, नाली की सफाई, धूसर जल का निस्तारण हेतु समुदाय का उत्प्रेरण, मलिन जल एवं मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन, नवोन्मेष इत्यादि कार्य किये

जा रहे हैं । इस संदर्भ में राज्य के सभी वार्डों में घर–घर से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं निष्पादन किया जा रहा है।

- ठोस अपशिष्ट के समुचित निष्पादन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) का प्रावधान है। इसके तहत अब तक 7 हजार 257 ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) का निर्माण किया गया हैं।

- प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर 175 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित किये गये हैं।

- तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 2 लाख 31 हजार 349 सामुदायिक सोकपिट का निर्माण कराया गया है।

- कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में 36 जिलों में गोबर्धन इकाइयों का निर्माण किया गया है।

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा समुदाय द्वारा राज्य में 35 हजार 380 गांव ओडीएफ–प्लस श्रेणी के घोषित किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2026–27 का कार्यक्रम :

- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में करीब 6 लाख 75 हजार नये परिवारों अथवा किसी कारणवश छूटे हुये परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है।

➢ भूमिहीन परिवारों, चलंत आबादी एवं अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों की मांग एवं आवष्यकता के आधार पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों / कलस्टर शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

➢ प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर 5 मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर (MRF) स्थापित किया जाना लक्षित है तथा नगरीय सीमा से सटे ग्रामीण (Peri Urban) क्षेत्र में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत निर्मित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों (PWMU) को निकटवर्ती नगरीय निकायों के साथ संबद्ध किया जायेगा।

➢ बचे हुये करीब 496 ग्राम पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे पूर्ण करते हुए संचालन कराया जायेगा।

➢ मलयुक्त कीचड़ (Fecal Sludge) के प्रबंधन हेतु जिला स्तर पर 38 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) की स्थापना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में सभी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण पूर्ण कर संचालन लक्षित है।

➢ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत सभी शेष ग्राम पंचायतों को ओडीएफ–प्लस मॉडल बनाया जाना लक्षित है।

➢ सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन के स्थायित्व हेतु समुदाय केंद्रित जन–जागरूकता कार्यक्रम तथा सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यक्रमों का निरंतर संचालन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- ग्रामीण क्षेत्र में बेघर, कच्चा एवं जीर्ण–शीर्ण मकानों में निवास कर रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से इन्दिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

- इस योजना के तहत प्रति लाभुक को 1 लाख 20 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है।

- इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2025–26 तक के लिए आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 49 लाख 17 हजार के विरूद्ध कुल 49 लाख 09 हजार लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। स्वीकृत आवास के विरूद्ध 41 लाख 46 हजार लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2025–26 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत कुल 55 हजार 660 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

- वित्तीय वर्ष 2026 27 में कुल 1 लाख 91 हजार 466 आवास पूर्ण कराये गये है ।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में अबतक कुल 1 हजार 572 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

➢ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए लाभुकों का सर्वेक्षण के उपरांत इनके सत्यापन का कार्य किया जा रहा है । सत्यापन के उपरांत योग्य लाभुकों को प्रतीक्षा सूची में शामिल करते हुए आवास का लाभ दिया जायेगा ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

➢ वैसे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से लाभान्वित नहीं किये जा सकते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गयी है।

➢ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19, 2021–22, 2023–24 एवं 2025–26 के लिए आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 94 हजार 201 के विरूद्ध 93 हजार 562 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। स्वीकृत आवास के विरूद्ध 88 हजार 431 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया है।

➢ वित्तीय वर्ष 2018–19 से अबतक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत कुल 1 हजार 98 करोड़ 5 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना

➢ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना राज्य प्रायोजित योजना है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से संचालित है ।

➢ इस योजना अन्तर्गत दिनांक 01.04.2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनका आवास अधूरे/अपूर्ण अवस्था में है, उन्हे पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत 50 हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

➢ वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 से 2025–26 तक के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य 46 हजार 949 के विरूद्ध 45 हजार 814 लाभुकों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

➢ स्वीकृति के विरूद्ध 44 हजार 017 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया है।

➢ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना अन्तर्गत अबतक 224 करोड़ 55 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान

जल–जीवन–हरियाली, तभी होगी खुशहाली

बिहार को सुन्दर, हरित और स्वच्छ बनाने तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं ऊर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिकीय परिवेश के अनुरूप कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए 11 अवयवों की कार्य योजना तैयार कर दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से राज्य में

जल–जीवन–हरियाली अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गयी है –

- दुबई के COP-28 सम्मेलन में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत किये गये प्रयासों की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है।
- चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है।
- 20वें सी.एस.आई–ई गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्राप्त हुआ है।
- तुलनात्मक दृष्टि से राज्य के भू–जल स्तर में बढ़ोतरी एवं हरित आच्छादन में वृद्धि हुई है।

विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय हेतु ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।

- इस अभियान अंतर्गत कुल 11 निम्न अवयवों पर कार्य किया जा रहा है:–

1. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना।
2. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों का जीर्णोद्धार।
3. सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार।
4. सार्वजनिक कुँओं/चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण/रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।

5. छोटी–छोटी नदियों/नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रो में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण।
6. नए जल स्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में ले जाना।
7. भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण।
8. पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण।
9. वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग।
10. सौर उर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं उर्जा की बचत।
11. जल–जीवन–हरियाली जागरूकता अभियान।

जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत संरचनाओं एवं क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के सतत अनुश्रवण, विभिन्न विभागों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वय एवं क्रियान्वयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल–जीवन–हरियाली वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्प विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर जिला स्तर से अवयवों की प्रविष्टि की जाती है। साथ ही, सम्बंधित विभागों द्वारा "Scheme Authentication" के माध्यम से जिलों द्वारा की गई प्रविष्टि का सत्यापन किया जाता है।

मोबाइल एप्प के माध्यम से अभियान अंतर्गत क्रियान्वयन की जा रही सभी गतिविधियों में आम नागरिक की भागीदारी एवं योजनाओं, संरचनाओं तथा अभियान के सुझाव एवं शिकायत प्राप्त करने तथा उनके निराकरण हेतु "Citizen Report and Feedback" की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जल–जीवन–हरियाली मिशन के स्तर से सभी क्रियान्वयन विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए इसकी प्रगति का निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत 11 अवयवों की प्रगति इस प्रकार है :–

अवयव सं–01– सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों /पईनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना :–

- कुल सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं की संख्या – 1 लाख 58 हजार 542
- अतिक्रमण चिन्हित जल संचयन संरचनाओं की संख्या – 17 हजार 516
- अतिक्रमण मुक्त कराए गए जल संचयन संरचनाओं की संख्या – 17 हजार 506
- अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु शेष जल संचयन संरचनाओं की संख्या – 10

➢ सार्वजनिक कुँओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना :–

- अतिक्रमण चिन्हित कुँओं की संख्या – 10 हजार 963
- अतिक्रमण मुक्त कराए गए कुँओं की संख्या – 10 हजार 963

अवयव सं–02– सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों /पईनों का जीर्णोद्धार:–

➢ तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार की प्रगति :–

- कुल निरीक्षित संरचनाओं की संख्या – 48 हजार 273
- कार्य प्रारम्भ संरचनाओं की संख्या – 27 हजार 114
- कार्य पूर्ण संरचनाओं की संख्या – 26 हजार 831

➢ आहरों/पईनों के जीर्णोद्धार की प्रगति :–

- कुल निरीक्षित संरचनाओं की संख्या – 1 लाख 561
- कार्य प्रारम्भ संरचनाओं की संख्या – 81 हजार 835
- कार्य पूर्ण संरचनाओं की संख्या – 81 हजार 137

अवयव सं–03– सार्वजनिक कुँओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार :–

- कुल चिन्हित कुँओं की संख्या – 67 हजार 45
- कार्य प्रारम्भ कुँओं की संख्या – 38 हजार 745
- कार्य पूर्ण कुँओं की संख्या – 38 हजार 641

अवयव सं–04– सार्वजनिक कुँओं/चापाकलों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण :–

➢ सार्वजनिक कुँओं के किनारे सोख्ता निर्माण :–

- कुँओं के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य प्रारम्भ संरचनाओं की संख्या – 31 हजार 441
- कुँओं के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य पूर्ण संरचनाओं की संख्या – 31 हजार 312

➢ सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण की प्रगति :–

- चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य प्रारम्भ संरचनाओं की संख्या – 2 लाख 31 हजार 505
- चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य पूर्ण संरचनाओं की संख्या – 2 लाख 28 हजार 177

अवयव सं–05– छोटी–छोटी नदियों/नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण :–

- निर्माण कार्य प्रारम्भ – 13 हजार 676
- निर्माण कार्य पूर्ण – 13 हजार 608

अवयव सं–06– नए जल स्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रो में जल ले जाना :–

- नए जल स्रोतों का निर्माण कार्य प्रारम्भ – 85 हजार 550
- नए जल स्रोतों का निर्माण कार्य पूर्ण – 83 हजार 561

इसके अलावा, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के अधिशेष जल को पाइप लाइन के माध्यम से राजगीर, नवादा, गया एवं बोधगया शहरों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ है ।

अवयव सं–07– भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण :–

- छत–वर्षा जल संचयन कार्य प्रारम्भ भवनों की संख्या – 15 हजार 791
- छत–वर्षा जल संचयन कार्य पूर्ण भवनों की संख्या – 15 हजार 502

अवयव सं–08– पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण :–

- सघन वृक्षारोपण अंतर्गत लगाये गए पौधों की संख्या – 21 करोड़ 63 लाख

अवयव सं–09– वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं नई तकनीकों का उपयोग (एकड़ में) :–

- कुल कृषि योग्य भूमि – 1 करोड़ 43 लाख 85 हजार 389 एकड़
- जैविक खेती से किये जा रहे भूमि का क्षेत्रफल – 86 हजार 152 एकड़
- टपकन सिंचाई पद्धति से किये जा रहे भूमि का क्षेत्रफल – 61 हजार 848 एकड़
- जलवायु अनुकूल कृषि के तहत की जा रही खेती का क्षेत्रफल – 2 लाख 85 हजार 673 एकड़

अवयव सं–10– सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत :–

- ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पॉवर प्लांट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण सरकारी भवनों की संख्या – 12 हजार 546

जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन अनेक स्तरों पर विभिन्न विभागों के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है, इसके लिए संचार के नवीन एवं परंपरागत तकनीकों को अपना कर पर्यावरण सरंक्षण के प्रति जन–मानस में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल–जीवन–हरियाली मिशन के माध्यम से अन्तर्विभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है।

जल सरंक्षण एवं पारिस्थितकीय संतुलन को समर्पित यह अभियान जन–भागीदारी के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर सतत अग्रसर है।

<u>विकसित भारत– जी राम जी / मनरेगा</u>

केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा (मनरेगा) के स्थान पर नेशनल विजन फॉर विकसित भारत / 2047 के उद्देश्यों के परिपूर्ति हेतु "विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन" (ग्रामीण) {वी0बी0–जी राम जी}, अधिनियम, 2025 लागू किया गया है । उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना, बिहार 2026 अधिसूचित किया गया है, जो 1 जुलाई, 2026 से पूरे बिहार में लागू है । इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अकुशल शारीरिक श्रम के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ आजीविका – सम्बद्ध टिकाउ परिसम्पतियों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है ।

भौतिक उपलब्धि (मनरेगा) :–

- मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2025–26 में 23 करोड़ मानव दिवस के स्वीकृत श्रम बजट के विरुद्ध 22 करोड़ 32 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है, जो कुल उपलब्धि का 97.04 प्रतिशत है।
- वर्ष 2026–27 में माह जून तक के लिए 8 करोड़ 75 लाख मानव दिवस का श्रम बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 20 जुलाई 2026 तक 7 करोड़ 23 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है, जो कुल उपलब्धि का 82.62 प्रतिशत हैं।

- वर्ष 2026–27 में 1 करोड़ 93 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है ।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2026–27 में अभी तक 392 सार्वजनिक तालाब / पोखर तथा 2 हजार 8 सौ 41 सार्वजनिक आहर / पईन का जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2026–27 में अभी तक 3 हजार 6 सौ 86 सार्वजनिक चापाकल के किनारे सोखता का निर्माण कराया गया है।

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल–कूद के पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु खेल–कूद की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा से ग्राम पंचायतों में 5 हजार 2 दौ 92 खेल मैदान विकसित किये गये है।

भौतिक उपलब्धि **(VB-G RAMG)** :–

- विकसित भारत – जी रामजी योजना अंतर्गत 01 जुलाई 2026 से अबतक 30 हजार 7 सौ 15 परिवारों में 31 हजार 5 सौ 68 व्यक्तियों के द्वारा कार्य करते हुए 1 लाख 52 हजार 7 सौ 82 मानव दिवस सृजित किया गया है।
- विकसित भारत – जी रामजी योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग के 20 घनसेक अथवा उससे कम जलश्राव वाले लघु नहरों, उप लघु नहरों एवं जलवाहों के पुर्नस्थापन/जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है।

- 7 निश्चय 3.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दुगुना रोजगार – दुगुना आय सुनिश्चित किये जाने के साथ राज्य अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबुत करने और स्थानीय उत्पादनों के लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2026–27 में विकसित भारत – जी रामजी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण हाट/बाजार को विकसित किये जाने का कार्य किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान हेतु 228 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026–27 में विकसित भारत – जी रामजी योजना के अंतर्गत विकसित किया जाना है।
- केन्द्र सरकार द्वारा विकसित भारत – जी रामजी योजना के अंतरिम बजट हेतु बिहार राज्य के लिए 67 अरब 15 करोड़ 83 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष विकसित भारत – जी रामजी योजना अंतर्गत जुलाई के प्रथम सप्ताह में अकुशल मजदूरी मद में 9 अरब 24 करोड़ 20 लाख रूपये, सामग्री मद में 6 अरब 16 करोड़ 13 लाख रूपये तथा प्रशासनिक मद में 1 अरब 23 करोड़ 22 लाख रूपये भारत सरकार से प्राप्त हुआ है।

सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी

मनरेगा के स्थान पर दिनांक 01.07.2026 से विकसित भारत–जी राम जी प्रभावी होने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या 5927731 दिनांक 15.07.2026 द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025 अंतर्गत अंगीकृत किया गया है एवं विकसित भारत – जी राम जी योजना, बिहार, 2026 का निष्पक्ष, कारगर

एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को अधिकृत किया गया है । गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी की उपलब्धियां निम्न है :–

- सामाजिक अंकेक्षण से योजनाओं में लोक भागीदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिष्चित हुई है।
- सामाजिक अंकेक्षण से लोगों में जागरूता के कारण मनरेगा/विकसित भारत–जी राम जी योजना में काम की मांग में वृद्धि हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में 255 ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में 2 हजार 667 ग्राम पंचायतों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा जन–वितरण प्रणाली के दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 38 जिलों के 5 हजार 372 पंचायतों का मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा जन–वितरण प्रणाली के दुकानों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 38 जिलों के मनरेगा अंतर्गत 2 हजार 131, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 1 हजार 976, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 2 हजार 79 ग्राम पंचायतों एवं जन–वितरण प्रणाली के 2 हजार 118 दुकानों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में 38 जिलों में मनरेगा अंतर्गत 7 हजार 801, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 7 हजार 126, लोहिया स्वच्छ

बिहार अभियान अंतर्गत 4 हजार 320, 'हर घर नल का जल' योजना अंतर्गत 3 हजार 211 ग्राम पंचायतों एवं जन–वितरण प्रणाली के 5 हजार 50 दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में मनरेगा अन्तर्गत 7 हजार 184, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत 4 हजार 315, 'हर घर नल का जल' योजना अंतर्गत 441, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत 3 हजार 343 ग्राम पंचायतों एवं जन–वितरण प्रणाली के 7 हजार 6 दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में मनरेगा अन्तर्गत 7 हजार 976 ग्राम पंचायतों में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का 4 हजार 159 ग्राम पंचायतों में तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का 533 विद्यालय का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में मनरेगा का दिनांक 20.01.2026 तक 7 हजार 256 ग्राम पंचायतों में एवं 1 हजार 422 प्राथमिक/मध्य विद्यालयों का प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।

आर०आई०डी०एफ० परियोजना अंतर्गत प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

➢ राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में आर०आई०डी०एफ० योजना अंतर्गत राज्य के 101 प्रखण्ड में प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें से 99 प्रखंड में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 2 प्रखंड में भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण तत्समय स्वीकृति वापस लेते हुए राज्य योजना से निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन का निर्माण

➤ वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के कुल 241 जर्जर अथवा गैर मरम्मति योग्य कार्यालय भवन के कारण नये प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार रूपये एवं 62 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रूपये की दर से कुल राशि 5 हजार 994 करोड़ 75 लाख 14 हजार रूपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रखंड कार्यालय की साफ–सफाई

➤ राज्य के सभी प्रखंड कार्यालय प्रषासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रखंड कार्यालय द्वारा किया जाता है। इन कार्यालयों की साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था का प्रबंधन नहीं होने से कर्मचारियों के साथ–साथ आम जनता को उचित वातावरण नहीं मिल पाता है। इस हेतु सभी प्रखंड कार्यालयों में उचित साफ–सफाई की व्यवस्था की गई है।

आधार पंजीकरण

➤ ग्रामीण विकास विभाग (राज्य निबंधक कोड–169) अंतर्गत चयनित सेवा प्रदाता एजेंसियों तथा स्थापित किये गए स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों के

माध्यम से आधार पंजीकरण एवं आधार अद्यतीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

➢ राज्य में बिहार सरकार द्वारा कराये गये जाति आधारित गणना वर्ष 2023 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख के विरूद्ध अब तक लगभग 12 करोड़ 38 लाख 18 हजार 676 यानि 94.73 प्रतिशत जनसंख्या का आधार सृजित किया जा चुका है, जिसमें से व्यस्क जनसंख्या (18 वर्ष से उपर) का 8 करोड़ 75 लाख 41 हजार 270, 5–18 वर्ष आयुवर्ग का 3 करोड़ 36 लाख 35 हजार 464 एवं 0–5 वर्ष आयुवर्ग का 26 लाख 41 हजार 942 आधार सृजित किया जा चुका है। 0–5 वर्ष वाले आयुवर्ग के बच्चों का आधार पंजीकरण में समाज कल्याण विभाग भी सहयोग प्रदान कर रहा है। आधार सेवाओं संबंधी अनुश्रवण को सूचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु सभी जिलों में जिला आधार अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।

➢ आधार पंजीकरण, आधार से संबंधित अन्य सेवाओं यथा बायोमैट्रिक/डेमोग्राफिक अपडेषन, ई–आधार, आधार की स्थिति की जानकारी इत्यादि की सुविधा के लिए सभी नागरिकों को सतत् रूप से उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंडो/अनुमंडलों/नगर पंचायतों/नगर परिषदों/जिला मुख्यालयों में कुल 1015 (एक हजार पंद्रह) स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

रोजगार के अवसर/नई नियुक्तियों का विवरण

➢ राज्य सरकार का मानना है कि राज्य का विकास तभी संभव है, जब युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो । इसी सोच के साथ

पिछले वर्षो में पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।

➢ जीविका, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी इसी उद्देश्य की दिशा में कार्य करते हुए प्रखंड स्तर के रिक्त 2747 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया था । मिशन मोड में परीक्षा का आयोजन किया गया एवं प्रखंड स्तरीय 2747 रिक्त पदों का चयन प्रक्रिया पूर्ण लिया गया है । जिसमें 62 प्रखंड परियोजना प्रबंधक, 195 जीविकोपार्जन विशेषज्ञ, 463 प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, 338 क्षेत्रीय समन्वयक, 1060 सामुदायिक समन्वयक, 160 लेखापाल तथा 168 कार्यालय सहायक सहित अबतक कुल 2446 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ।

➢ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास सेवा के अधीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु कुल 393 पदों के लिए नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

➢ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को आगामी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 की रिक्ति के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास सेवा के अधीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु कुल 65 पदों के लिए अधियाचना भेजी गयी है।

विकास प्रबंधन संस्थान

➢ विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना बिहार सरकार द्वारा देश एवं विशेषकर राज्य में विकास संबंधी कार्यो के समुचित संचालन एवं योजनाओं का लाभ निर्धनतम परिवारों तक पहुँचाने हेतु बड़ी संख्या में विकास संबंधी पेशेवर को

तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उच्च ज्ञानप्रदायी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में किया गया है।

➢ विकास प्रबंधन संस्थान (DMI) के स्थायी परिसर हेतु पटना जिला अंतर्गत बिहटा के सिकंदरपुर मौजा में अधिग्रहित पन्द्रह एकड़ भूमि पर 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़) की लागत से भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

केंद्रीकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण एवं कियाषीलता पर्यवेक्षण प्रणाली (Centralised Rural Scheme Monitoring and Functionality System-CRSMFTS)

➢ ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा/VB-GRAMG(G), जीविका, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण भारत मिशन ग्रामीण / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान सहित अन्ययोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है । इस योजनाओं के कार्यान्वनयन के कम में उपरोक्त योजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण एवं निर्मित परिसंपतियों की दीर्घकालिक कियाशीलता के पर्यवेक्षण (Tracking) हेतु केंद्रीकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण एवं कियाशीलता पर्यवेक्षण प्रणाली (Centralised Rural Scheme Monitoring and Functionality System-CRSMFTS) विकसित की गयी है ।

➢ उपरोक्त प्रणाली में वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन एवं नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से योजनाओं के कियान्वयन की प्रगति, परिसंपतियों के संचालन एवं कियाषीलता का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया

जाना है, जिससे आमजनों तक सुगमतापूर्वक एवं पारदर्षिता के साथ विभाग की योजनाओं से संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके । इससे ससमय चुनौतियों एवं बाधाओं की पहचान कर ससमय वांछित प्रगति प्राप्त की जा सकेगी ।

➢ इस तंत्र के अंतर्गत योजनाओं का समयबद्ध निस्तारण, एस्केलेशन एवं सतत निगरानी से संबंधित प्रणाली को समाहित किया गया है। इस प्रणाली से आम नागरिक भी अपने स्तर से वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन एवं नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर द्वारा सूचना/आवेदन दर्ज करा सकेंगे एवं ससमय अद्यतन जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे ।

जीरो ऑफिस डे **(ZOD)** अंतर्गत डिजिटल निरीक्षण अभियान

➢ मुख्य उद्देश्य

जीरो ऑफिस डे का मुख्य उद्देश्य विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्षेत्रीय अनुश्रवण, लाभार्थी–केन्द्रित सेवा वितरण तथा वास्तविक समय में प्रगति का सत्यापन सुनिश्चित करना है। प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत जिन लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण का निर्धारित चरण पूर्ण कर लिया गया है, उन्हें उनकी देय किश्तों का भुगतान बिना किसी विलंब के प्राप्त हो सके, इसके लिये क्षेत्रीय कर्मी लाभार्थियों के घर जाकर आवश्यक आवेदन प्राप्त करते हैं, आवास का जियो–टैगिंग करते हैं तथा किश्त भुगतान हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताएँ मौके पर ही पूर्ण करते हैं।

- इसी प्रकार, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसंपत्तियों तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं क्रियान्वयन की स्थल पर जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। वहीं मनरेगा/विकसित भारत गारंटी–रोजगार एवं आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों का भौतिक सत्यापन, कार्यस्थलों की गुणवत्ता, प्रगति तथा परिसंपत्तियों के निर्माण की स्थिति का डिजिटल निरीक्षण किया जाता है, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो सके ।

- इस डोर–स्टेप डिजिटल निरीक्षण व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकतान हीं पड़ती, योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शता एवं जवाबदेही बढ़ती है तथा सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है ।

- उपलब्धियाँ

दिनांक 10 एवं 11 जून, 2026 तथा 16 एवं 17 जुलाई, 2026 को जीरो ऑफिस डे ऐप के माध्यम से राज्यव्यापी विशेष डिजिटल निरीक्षण अभियान सफलता पूर्वक संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा मनरेगा/विकसित भारत गारंटी–रोजगार एवं आजीविका मिशन के कार्यों का जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर व्यापक क्षेत्रीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान योजनाओं की वास्तविक प्रगति, कार्यों

की गुणवत्ता, लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुँच तथा निर्माण/क्रियान्वयन की स्थिति का डिजिटल माध्यम से सत्यापन एवं वास्तविक समय में अनुश्रवण सुनिश्चित किया गया। इस पहल से योजनाओं के प्रभावी मॉनिटरिंग तंत्र को सुदृढ़ करने, लंबित कार्यों की शीघ्र पहचान करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

प्रथम अनुपूरक के माध्यम से विभागीय प्रस्ताव – वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक के माध्यम से वी0बी0 जी राम जी के अंतर्गत 933534.52 लाख (तिरानबे अरब पैतीस करोड़ चौतीस लाख बावन हजार) रूपये, मनरेगा के अन्तर्गत 334212.00 लाख (तेतीस अरब बैयालीस करोड़ बारह लाख) रूपये, एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत 30253.89 लाख (तीन अरब दो करोड़ तिरपन लाख नवासी हजार) रूपये, स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) के अंतर्गत 24532.49 लाख (दो अरब पैतालीस करोड़ बतीस लाख उनचास हजार) रूपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 14900.00 लाख (एक अरब उनचास करोड़) रूपये एवं बी.आर.टी.पी. (बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना) के अंतर्गत 30000.00 लाख (तीन अरब) तथा स्थापना एवं प्रतिवद्व व्यय के अंतर्गत 831.00 लाख (आठ करोड़ एकतीस लाख) रूपये अर्थात कुल 1368263.90 लाख (एक सौ छत्तीस अरब बेरासी करोड़ तिरसठ लाख नब्बे हजार) रूपये की स्वीकृति का प्रस्ताव है ।

परिशिष्ट–2

मानननीय अध्यक्ष महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026–27 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक–20 जुलाई, 2026 को उपस्थापित किया गया। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में 87 हजार 3 सौ 83 करोड़ 43 लाख 1 हजार रुपये (87,383.4301 करोड़ रुपये) की राशि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित राशि में **वार्षिक स्कीम मद** में 57 हजार 77 करोड़ 95 लाख 74 हजार रुपये, (57,077.9574 करोड़ रुपये), **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद** में प्रभृत्त सहित 30 हजार 2 सौ 65 करोड़ 99 लाख 6 हजार रुपये (30,265.9906 करोड़ रुपये) एवं **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद** में 39 करोड़ 48 लाख 21 हजार रुपये (39.4821 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है। कुल प्रस्तावित राशि में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 4 हजार 5 सौ 19 करोड़ 62 लाख 11 हजार रुपये (4,519.6211 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, वार्षिक स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा राज्य स्कीम को शामिल किया जाता है। वार्षिक स्कीम अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में 32 हजार 7 सौ 7 करोड़ 23 लाख 65 हजार रुपये (32,707.2365 करोड़ रुपये) एवं राज्य स्कीम मद में 24 हजार 3 सौ 70 करोड़ 72 लाख 9 हजार रुपये (24,370.7209 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है।

प्रस्तावित राशि में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत मुख्यतः विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अन्तर्गत 9 हजार 3 सौ 35 करोड़ 35 लाख रुपये (9,335.35 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अन्तर्गत 3 हजार 3 सौ 42 करोड़ 12 लाख रुपये (3,342.12 करोड़ रुपये), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत 3 हजार 3 सौ 8 करोड़ 69 लाख रुपये (3,308.69 करोड़ रुपये), सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति अन्तर्गत 2 हजार 7 सौ 32 करोड़ रुपये (2,732.00 करोड़ रुपये), सक्षम आंगनवाड़ी पोषण–2.0 कार्यक्रम अन्तर्गत 2 हजार 7 सौ 80 करोड़ 94 लाख रुपये (2,780.94 करोड़ रुपये), अमृत 2.0 योजना अन्तर्गत 2 हजार 1 सौ करोड़ 11 लाख रुपये (2,100.11 करोड़ रुपये), मध्याह्न भोजन योजना/प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अन्तर्गत 1 हजार 3 सौ 59 करोड़ 72 लाख रुपये (1359.72 करोड़ रुपये), आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (ए०बी०एन०एच०पी०एम०) अन्तर्गत 1 हजार 1 सौ 50 करोड़ रुपये (1,150.00 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के साथ–साथ राज्य की स्कीम पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। राज्य स्कीम मद में 24 हजार 3 सौ 70 करोड़ 72 लाख 9 हजार रुपये (24,370.7209 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव है, जो मुख्यतः 6

हजार 7 सौ 10 करोड़ 93 लाख रुपये (6,710.93 करोड़ रुपये) मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु, 3 हजार 6 सौ 65 करोड़ रुपये (3,665.00 करोड़ रुपये) वृहद् सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु, 1 हजार 1 सौ 47 करोड़ 84 लाख रुपये (1,147.84 करोड़ रुपये) बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु, 1 हजार 56 करोड़ 44 लाख रुपये (1,056.44 करोड़ रुपये) लक्ष्मीबाई समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूंजीगत परिव्यय हेतु 11 हजार 3 सौ 34 करोड़ 8 लाख 4 हजार (11,334.0804 करोड़) रुपये का अनुपूरक प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रभृत सहित 30 हजार 2 सौ 65 करोड़ 99 लाख 6 हजार रुपये (30,265.9906 करोड़) रुपये का अनुपूरक प्रस्तावित है, जिसमें 13 हजार 5 सौ 50 करोड़ रुपये (13,550.00 करोड़ रुपये) आकस्मिकता निधि के स्थायी काय में राशि अन्तरण हेतु, 9 हजार 9 सौ 94 करोड़ 34 लाख रुपये (9,994.34 करोड़ रुपये) मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अन्तर्गत उपभोक्ता सब्सिडी हेतु, 2 हजार 6 सौ 58 करोड़ 16 लाख रुपये (2,658.16 करोड़ रुपये) पंचायती राज संस्थाओं को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भुगतान हेतु, 2 हजार 4 सौ 23 करोड़ 47 लाख रुपये (2,423.47 करोड़

रुपये) विभिन्न विभागों के वेतनादि हेतु, 7 सौ 47 करोड़ 98 लाख रुपये (747.98 करोड़ रुपये) पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के बकाये राशि के भुगतान हेतु प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 द्वारा कुल 87 हजार 3 सौ 83 करोड़ 43 लाख 1 हजार रुपये (87,383.4301 करोड़ रुपये) की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सदन से अनुरोध है कि प्रथम अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे।

जय हिन्द, जय बिहार।

****